खण्ड-273, अंक-9
बुधवार, 21 आषाढ़, शक संवत् 1889
(12 जुलाई, 1967 ई0)

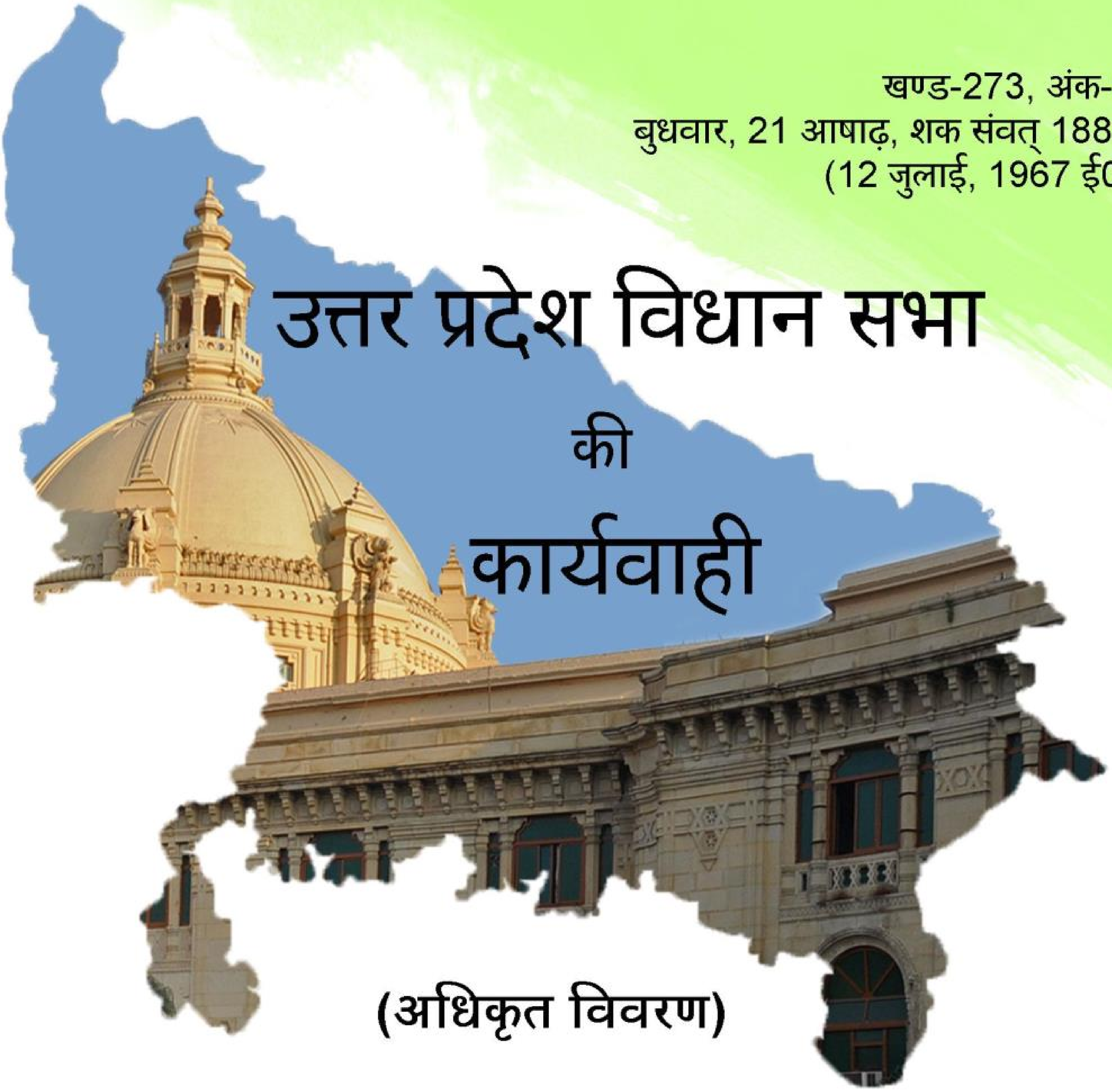

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 273 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६७

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

## बुधवार, १२ जुलाई, १९६७

---

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डल, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीशशरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

---

## उपस्थित सदस्य—३७०

अंगनेलाल, श्री
अख्तर अली खां, श्री
अजीत प्रताप, श्री
अठई राम, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (झांसी)
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अशर्फी लाल, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', श्री
आत्मा, श्री
आनन्द सिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वर शरण, श्री
उदय प्रताप, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्धई लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल, श्री (झांसी)
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमला प्रसाद, श्री (बहराइच)
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कामता सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल, श्री
किशनलाल दिलेर, श्री
किशनसिंह, श्री
किशुनलाल, श्री
कृष्ण बहादुर, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार राज जंगबहादुर राणा, श्री
केशरीलाल, श्री
केशव देव, श्री
खेमा, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाभक्त सिंह, श्री
गंगाराम, श्री
गंगास्वरूप भटनागर, श्री

गजाधर, श्री
गया प्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गिरिराज सिंह, श्री
गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त अग्रवाल, श्री
गोपाल राम दास, श्री
गौरीराम, श्री
गौरीशंकर सराफ, श्री
गौरीसिंह राठौर, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र किशोर, श्री
चन्द्र कुमार, श्री
चन्द्र देव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरण सिंह, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगत सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगपत सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जवाहरलाल जाटव, श्री
जवाहिरलाल, श्री
जसोदा नन्द, श्री
जानकी प्रसाद, श्री
जितेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
जी० एस० चौधरी, श्री
जुगल किशोर, श्री
जैदत्त सिंह, श्री
जैनूराम, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकम सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दल बहादुर सिंह, श्री
दशरथ, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दुर्गराज सिंह, श्री
देव राम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवी दयाल सेन, श्री
देवी सहाय बाजपेयी, श्री
देवी सेवक, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनराज यादव, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
ध्रुव कुमार, श्री
नन्हेलाल, श्री
नरदेव सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणदास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेमपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पब्बर राम, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पीतम सिंह, श्री
प्यारेलाल, श्री (मेरठ)

प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फारूक चिश्ती, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बदनसिंह, श्री
बदलराम, श्री
बद्रीप्रसाद अवस्थी, श्री
बनारसी दास, श्री
बलवीर सिंह, श्री (मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (फतेहगढ़)
बसन्तलाल, श्री (जालौन)
बसन्तलाल, श्री (लखनऊ)
बसन्त सिंह, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल, श्री
बिशनलाल, श्री
बुधिराम, श्री
बृज किशोर, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बृजमोहन दास अग्रवाल, श्री
बेचनराम, श्री (वाराणसी)
बेनी बाई, श्रीमती
बेनी सिंह अवस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भग्गूराम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भारत सिंह चौहान, श्री
भोलालाल, श्री
भुवनेश भूषण, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त धूलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगला प्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मकसद हुसैन, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मदन मोहन सिंह, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महिपालसिंह श्री
मही लाल, श्री
महेन्द्रप्रताप सिंह, कुंवर
महेशकुमार, श्री
माताप्रसाद, श्री
मानसिंह, श्री
मारकण्डे, श्री
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह श्री
मुन्शीलाल श्री
मुरलीधर, श्री
मुलायम सिंह, श्री
मुल्की राज, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुहम्मद महमूद अली खां, श्री
मुहम्मद रऊफ, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, आचार्य
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
योगेश्वर प्रसाद, श्री
रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथ सिंह, श्री (झांसी)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मैनपुरी)
रफी मुहम्मद खां, श्री
रमाकान्त, श्री
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री

रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबली, श्री
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (आगरा)
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम कपूर, श्री
राम अंजोर, श्री
राम अधार, श्री
रामअधीन सिंह, श्री
राम आसरे, श्री
रामकरन, श्री
राम किंकर, श्री
रामकिशोर, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्र सिंह, श्री
रामचरन दोहरे, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री
रामदुलार पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (गोंडा)
रामदुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
राम नारायण, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (गढ़वाल)
रामप्रसाद, श्री (रायबरेली)
रामबचन, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति "अंचल", श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम लाल, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
राम समझावन, श्री
रामसिंह, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर सिंह, श्री
रुस्तम सैटिन, श्री
रूपनाथ, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर, श्री
लटूरीसिंह, श्री
लाखन, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
वरमेश्वर पाण्डेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विपिन बिहारी तिवारी, श्री
विशुन प्रताप सिंह, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (उपनाम झींगन साहू)
विश्वनाथ सिंह, श्री
विष्णु स्वरूप, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकर सिंह, चौधरी
शकुंतला देवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमीम आलम, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री

शिवनाथ सिंह, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शीतलादीन, श्री
शीतल प्रसाद सिंह, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्याम सिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्रीनारायण तिवारी, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
श्री शंकरशर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील)
सन्तू, श्री
सरजू प्रसाद, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिक राम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेव, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री
सोहनलाल, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरिगेनराम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरी बाबू)
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र, श्री
हरीश चन्द्र सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी सिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन गहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट---उपमुख्य मंत्री, श्री राम प्रकाश भी उपस्थित थे।

# प्रश्नोत्तर

## मंगलवार, १२ जुलाई, १९६७

## तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

### परिवार नियोजन कर्मचारियों को बढ़ा वेतन न मिलना

*१---श्री महेशकुमार (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९६५ में उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की गई थी? यह सारे कर्मचारियों को तो दे दिया गया है परन्तु परिवार नियोजन के फील्ड कर्मचारियों को अभी तक क्या यह बढ़ा हुआ धन नहीं दिया गया है? यदि हां। तो क्यों?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रतापसिंह)---

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत १५० कार्यालय हैं। अभी तक सब कार्यालयों से सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन सम्बन्धी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है। इस सूचना को प्राप्त करने में कुछ समय और लगेगा।

## विकास क्षेत्र, तालग्राम में दाई को सेवा मुक्त करना

*२—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद के अन्तर्गत विकास क्षेत्र तालग्राम में किन दाइयों को १ जनवरी, १९६६ से ३१ अप्रैल, १९६६ तक सेवा से अलग किया गया? यदि हां, तो क्यों तथा उनमें कौन-कौन स्थायी थीं और कौन-कौन अस्थायी और उनमें से किन-किन को चार्जशीट देकर जवाब मांगा गया?

स्वास्थ्य उप मंत्री (श्री कृष्ण बहादुर मिश्र)—

जिला फर्रुखाबाद के तालाग्राम विकास क्षेत्र में केवल एक दाई को, जिनका नाम श्रीमती रामलली है और जो अस्थाई थी, १ जनवरी, ६६ से ३१ अप्रैल, ६६ के दरम्यान, सेवा से अलग किया गया, उनका कार्य तथा आचरण काफी असन्तोषजनक पाया गया। अतएव उनका जवाब तलब कर दिनांक १९-४-६६ से उन्हें सेवा मुक्त किया गया।

श्री होरीलाल यादव—

यह दाई १० वर्ष से इस विभाग में कार्य करती रही है तो इस दरमियान कितनी शिकायतें अधिकारियों के पास आईं?

श्री प्रतापसिंह—

छुटपुट बहुत सी शिकायतें आती रहीं। जब गंभीर शिकायत आ गयी तो फिर जांच कराई गयी।

श्री रमा शंकर अग्रवाल (जिला आगरा)—

ये पद अस्थायी थे या स्थायी?

श्री प्रताप सिंह—

स्थायी थे।

श्री होरीलाल यादव—

जो आखिरी शिकायत उनके खिलाफ लिख कर आई वह क्या थी?

श्री प्रताप सिंह—

उनके खिलाफ घूस लेने की, अनुशासनहीनता की शिकायत थी और बिना छुट्टी लिये दफ्तर से उठ कर चले जाने की शिकायत थी।

## पुवायां तहसील में वन भूमि

*३—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर की तहसील पुवायां में कितने एकड़ सरकारी वन है और उसमें से कितने एकड़ अनधिकृत रूप से गांव वालों ने कब्जा कर लिया है और प्रधान द्वारा पट्टे भी करा लिये हैं जिनको परगनाधीश पुवायां ने भी मंजूर कर लिया है और इससे वन विभाग को कितना नुकसान होगा?

वन उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

जिला शाहजहांपुर की तहसील पुवायां में ३४,४०६ एकड़ सरकारी वन हैं जिसमें से १,०६२.२० एकड़ भूमि पर गांव वालों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रक्खा है। अनधिकृत कब्जा की गई भूमि में से ३६६.५० एकड़ भूमि के लिये ग्राम प्रधानों ने पट्टे दे दिये हैं जिन्हें परगनाधीश, पुवायां ने भी मंजूर कर लिया है। अनधिकृत भूमि को खाली कराने के लिये कानूनी कार्यवाही की जा रही है। वन विभाग की क्या हानि होगी, यह कानूनी कार्यवाही का परिणाम ज्ञात होने पर ही बताया जा सकता है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

जब वन विभाग का अच्छा खासा स्टाफ है तो उसका भूमि पर नाजायज कब्जा कैसे होता चला गया और वन विभाग के कर्मचारी क्या करते रहे ?

वन मंत्री (श्री रामचन्द्र विकल)--

उन कर्मचारियों के खिलाफ हमने कार्यवाही की है। एक रेंजर को रिवर्ट किया है और दो फारेस्ट गार्ड्स को बरखास्त कर दिया है।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)--

यह जो नाजायज कब्जा है यह कितने वर्षों से चला आता है ?

श्री रामचन्द्र विकल--

यह अधिक दिन का नहीं है लेकिन हमने सारी जमीन वन विभाग के कब्जे में ले ली है। इस समय केवल ४५७.९ एकड़ जमीन ऐसी है जो अभी हमारे कब्जे में नहीं आई है और जिस पर हम मुकदमा कायम करने वाले हैं।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

जैसी शिकायत इस वन खंड के बारे में है ठीक वैसी ही शिकायतें और वन खंडों के बारे में हैं। माननीय मंत्री ने इस वन खंड के अधिकारियों को दंडित करने की घोषणा भी सदन में की है तो मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह की अनियमिततायें जब एक बड़े पैमाने पर हुई हैं तो इस बात को देखते हुए क्या वह कोई ऐसी कमेटी बनायेंगे जो इस बात की जांच करे और वह सरकार को रिपोर्ट दे ?

श्री रामचन्द्र विकल--

यदि माननीय सदस्य अनियमितताओं की सूची पहले लिखित पेश करेंगे तो उन अनियमितताओं की आवश्यकता को देखते हुये कमेटी बनाने पर विचार किया जा सकता है।

श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)--

क्या माननीय मंत्री जी को यह सूचना मिली है कि कई स्थानों पर जहां नाजायज कब्जा किया जा रहा है वहां लोगों को उभाड़ करके जबरन भूमि पर कब्जा किया जा रहा है ?

श्री रामचन्द्र विकल--

शाहजहांपुर का सवाल है, वहां से कोई ऐसी शिकायत नहीं आयी।

श्री होरीलाल यादव--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पट्टे पर जमीन दे दी गयी है क्या उसका दाखिल खारिज हो चुका है ?

श्री रामचन्द्र विकल--

दाखिल खारिज के बारे में तो नहीं, मगर उस जमीन को भी हम खाली करा चुके हैं।

श्री अश्वनी कुमार (जिला गोरखपुर)--

क्या एस० डी० एम० ने उसकी मंजूरी दे दी थी जो स्वयं वन विभाग ने आपत्ति नहीं की थी ?

श्री रामचन्द्र विकल--

दूसरी बड़ी अदालत में केस दायर किया और वहां से हमें कामयाबी मिली।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

श्रीमन्, इसमें अच्छी तरह से जानकारी है कि बड़ा रुपया लिया गया और एस० डी० एम० ने रुपया लेकर किया। तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कार्यवाही करेंगे जिससे एस० डी० एम० के खिलाफ भी जांच हो ?

श्री रामचन्द्र विकल—

माननीय सदस्य अगर कोई लिखित शिकायत देंगे, उनके बारे में तो जांच करा ली जायगी ।

श्री इन्द्रमणि (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

आपने कहा है कि जमीन के पट्टे पर एस० डी० एम० ने भी स्वीकृति दे दी है तो फिर आपके पास शिकायत करने की तो कोई गुन्जायश नहीं रह जाती बल्कि आपको डायरेक्ट ऐक्शन ले लेना चाहिये ।

श्री रामचन्द्र विकल—

एस० डी० एम० से बड़ी अदालत में गये और वहां कामयाबी हुई ।

[१२ जुलाई, १९६७ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

## सहारनपुर जिले में पशुओं की चराई दर

*१—श्री मुल्की राज (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सहारनपुर जिले के जंगलों में मवेशियों के चरने की दो प्रकार की (१) रियायती तथा (२) बेशी दरें हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां । शिवालिक वन खण्ड के वनों में जो सहारनपुर जिले में पड़ता है, हर ब्लाक का चराई के लिये खुला क्षेत्रफल, तथा अधिकतम पशुओं की संख्या, जो रियायती दरों पर चुगाये जा सकते हैं । कार्य योजनाधिकारी ने जिलाधीश की सलाह से निर्धारित की है, इस अधिकतम निर्धारित पशुओं की संख्या से ज्यादा पशुओं के चुगाने के सम्बन्ध में सामान्य दरों से तिगुना चराई फीस लगा कर कम करने का प्रयत्न किया जाता है ।

*२—श्री मुल्की राज—

क्या यह सच है कि देशी दर का भार मजदूर वर्ग के लोगों पर पड़ता है, और रियायती दर का लाभ उच्च वर्ग के लोगों को मिल जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार एक ही दर रियायती दर लागू करने की कृपा करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

देशी दर की चराई का भार किसी विशेष वर्ग के ऊपर नहीं पड़ता है । जिस किसी के भी निर्धारित संख्या से अधिक पशु हों उसको ही बेशी दर पर चराई का भुगतान करना पड़ता है ।

श्री मुल्की राज—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस वर्ष में यह क्षेत्र और यह संख्या नियत की गयी थी और मवेशी चराने की दरें क्या हैं ?

श्री रामचन्द्र विकल—

चराई की दरें १९३७ से पहले कुछ अधिक थीं । १९३७ में आधी कर दी गयीं ।

श्री रमा शंकर अग्रवाल—

बेशी की चराई के लिये क्या संख्या नियत की गयी ?

श्री रामचन्द्र विकल—

हर गांव की और मवेशियों की संख्या अलग-अलग हैं और दर भी अलग हैं ।

श्री अश्वनी कुमार—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रियायती दर क्या है और बेशी दर क्या है और दोनों में क्या फर्क हैं ?

श्री रामचन्द्र विकल—

जो रियायती दरें हैं वह विभिन्न जानवरों के लिये अलग-अलग हैं । भैंस के लिये १९ पैसे साल, हाथी के लिये १२० रुपये साल, ऊंट के लिये ८ रुपये साल, गाय और बैल के लिये ९ पैसे सालाना, घोड़े और गधे के लिये १६ पैसे, भेड़ और बकरी के लिये १९ पैसे सालाना है । गैर रियायती दर में माहवारी और सालाना दोनों हैं, गैर रियायती दर में हाथी के लिये १२० रुपये हैं, ऊंट के लिये ८ रुपये है, गाय बैल के लिये १२ पैसे हैं, घोड़े और गधे के लिये १२ पैसे तथा भेड़ बकरी के लिये २५ पैसे है ।

श्री मुल्की राज—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १९३७ में भूमिहीनों के पास मवेशी नहीं थे जब दरें स्थापित की गईं तो क्या बेशी दरों का भार भूमिहीनों पर नहीं पड़ रहा है ? इसको देखते हुये क्या मंत्री जी इसको बदलने की कृपा करेंगे ?

श्री रामचन्द्र विकल—

भूमिहीनों के पास १९३७ मवेशी नहीं थे ऐसा मैं नहीं जानता लेकिन गैर रियायती आज के हालात को देखते हुये अधिक नहीं हैं जो मैंने पढ़कर सुनाये हैं ।

*३-४—श्री नेकराम शर्मा—

[२६ जुलाई, १९६७ के लिये स्थगित किये गये । ]

## श्री के० के० सिंह की डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारिता के पद पर नियुक्ति

*५—श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अभी हाल में श्री के० के० सिंह की पदोन्नति करके सहकारिता विभाग में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त कर दिया गया है ?

सहकारिता उप मंत्री (श्री जोरावर वर्मा)—

जी हां ।

*६—श्री नवल किशोर—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग के संबंध में किन्हीं शिकायतों के आधार पर विजीलेन्स कमीशन द्वारा जांच की गई थी ? यदि हां, तो वह शिकायत क्या थी ?

श्री जोरावर वर्मा—

उक्त अधिकारी के संबंध में सतर्कता आयोग द्वारा जांच की जा रही है । अतः इस सम्बन्ध में इस समय और कुछ बताना जनहित में न होगा ।

श्री नवल किशोर—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि संबंधित अधिकारी की कब पदोन्नति की गई और उनका केस विजीलेन्स कमीशन को कब दिया गया ?

श्री जोरावर वर्मा—

इनका केस विजीलेन्स कमीशन को १९६४ में भेजा गया था और पदोन्नति ३ जून, १९६७ को की गई है ।

श्री नवल किशोर—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब विजिलेंस कमीशन में इनका केस सन् ६१ से चल रहा था तो क्या आधार थे जिनके ऊपर उनको पदोन्नति देना उचित समझा गया ?

श्री जोरावर वर्मा—

जी हां, पिछले वर्ष जो सहकारिता मंत्री थे उनके सामने उन्नति का प्रश्न, निबंधक सहायक समितियों द्वारा आया । भूतपूर्व मंत्री का जब ध्यान दिलाया गया कि इनका केस विजीलेन्स कमीशन को दे दिया गया है तो उन्होंने इस पर यह आर्डर किया था कि—

"Sri K. K. Singh is a man of drive, unless some charge against him is proved, it will not be justifiable to debar him from promotion. Vigilence Department starts proceedings even on suspicion. While we should spare no effort to purify administration there should be no watch hunting in over zeal. As such, I feel, we should be guided by the advice of the Registrar, Co-operative Societies about Sri. K. K.Singh and his proposal should be accepted."

मंत्री जी का ध्यान दिलाया गया कि इनका केस विजीलेन्स कमीशन को दे दिया तो इनको पदोन्नति देना कहां तक ठीक है, तो उन्होंने लिखा था कि के० के० सिंह ओवरजील (बड़े उत्साह से) काम करते हैं । इसलिये जब तक कोई चार्ज सिद्ध न हो जाय मामला बिजिलेन्स कमीशन में होने से उन्नति रोकी नहीं जा सकती क्योंकि बिजिलेन्स कमीशन कभी-कभी सन्देह पर केस चला देता है, इसलिये उनकी पदोन्नति स्वीकार की जाती है ।

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, किन आधार पर उनका केस विजिलेन्स कमीशन को भेजा गया और कभी-कभी कमीशन झूठी अफवाह पर केस चला देता है तो यह केस कमीशन को गवर्नमेन्ट ने दिया या उसने अपने आप टेक अप कर लिया है ?

श्री जोरावर वर्मा—

यह जो मैंने पढ़कर सुनाया है भूतपूर्व मंत्री, श्री बनारसी दास जी थे । उनका आर्डर है । मैं फिर सुना दूं, उन्होंने कहा है.....

श्री अध्यक्ष—

फिर सुनाने की जरूरत नहीं है ।

श्री जोरावर वर्मा—

विजिलेन्स कमीशन उनके ऊपर भी इनक्वायरी स्टार्ट करना चाहता है । लेकिन जब तक उनके विरुद्ध चार्ज न सिद्ध हो जाय तो हमें पदोन्नति करनी चाहिये ।

श्री रमा शंकर अग्रवाल—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि भूतपूर्व मंत्री के आदेश के अनुसार ही के० के० सिंह की पदोन्नति की गयी है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो कह चुके ।

श्री राज बहादुर द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि के० के० सिंह अपने दामाद के नाम से बनारस में एक जमीन ले कर बहुत आलीशान मकान बनवा रहे हैं जो उनकी आर्थिक स्थिति से कहीं ज्यादा बढ़चढ़ कर है ?

श्री जोरावर वर्मा—

जो हमारे भूतपूर्व सचिव थे सहकारिता के उन्होंने इस मकान के सम्बन्ध में जांच की और जांच करके बताया था कि जो आरोप लगाये गये हैं वह बिलकुल गलत हैं । अगर कोई कहे कि उन्होंने बदनीयती या गड़बड़ की है तो उससे पहले मुझ पर चार्ज लगना चाहिये और मुझे सजा होनी चाहिये ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

क्या सहकारिता मंत्री, श्री के० के० सिंह के कार्यकलापों के सम्बन्ध में उनके मंत्रि-परिषद् के सदस्य श्री जयराम वर्मा जो फैजाबाद के रहने वाले हैं, उनसे भी परामर्श लेने की कृपा करेंगे कि यह कहां तक अच्छे या बुरे आदमी हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

अध्यक्ष महोदय, अब तक तो ऐसा रहा है कि विभागीय अधिकारियों से सलाह सम्मति होती है । अगर माननीय प्रश्नकर्त्ता बतायें कि उनके समय में ऐसा होता था. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

उनके समय में कुछ होता था, आप अपनी बात बताइये ।

(आगे उत्तर नहीं दिया गया)

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब कोई केस विजिलेन्स में भेजा जाता है तो तभी भेजा जाता है जब प्राइमाफेसी गवर्नमेन्ट सोचती है कि भेजना मुनासिब है, ऐसी सूरत में ऐसे व्यक्ति के पदोन्नति के क्या कारण थे जब कि एक तरफ विजिलेन्स कमीशन में केस भेज रहे थे और दूसरी तरफ पदोन्नति कर रहे थे ?

श्री जयराम वर्मा—

जब तक चार्ज सिद्ध न हो जाय वह सबसे अच्छे व्यक्ति उस कैडर में आते हैं ।

श्री नवलकिशोर—

मैं अपने सवाल को फिर दोहराता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मोटे-मोटे वह कौन से चार्जेज हैं जिनको विजिलेन्स कमीशन को दिया गया है ?

सहकारिता मंत्री (श्री गंगा भक्त सिंह)—

जब केस उनके पास पहुंच जाता है तो कोई जानकारी नहीं होती है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रायः सभी अधिकारियों की पदोन्नति रोक दी जाती है जब उनके खिलाफ सीरियस चार्जेज होते हैं ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

ऐसा कोई नियम नहीं है । जब तक चार्ज सिद्ध न हो तब तक पदोन्नति रोकी नहीं जा सकती ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्या यह सही है कि श्री के० के० सिंह के विरुद्ध जब स्वयं सरकार ने विजिलेन्स कमीशन को जांच भेजी है, तो सरकार स्वीकार करती है कि प्राग्दर्शन में केस बनता है ऐसे केसेज में जब सरकार विजिलेन्स को सुपुर्द करती है, सरकार ने जो प्रस्ताव भेजे या जो कई लोगो के केसेज थे, उसकी रिपोर्ट आने पर स पेन्ड किया है चाहे केस पूरा साबित नहीं हुआ है । सरकार ने प्राग्दर्शन में ही उनका दोष स्वीकार करने के बाद उनकी पदोन्नति क्यों की ?

श्री जोरावर वर्मा—

जो परम्परा चली आ रही है उसी के आधार पर हम काम कर रहे हैं । अगर परम्परा के विरुद्ध कोई काम करते हैं तो उधर से कहा जाता है कि हमारी नीतियों को पलटा जा रहा है ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या सहकारिता मंत्री जी बतायेंगे कि जब यह नियम है कि किसी के खिलाफ इन्क्वायरी हो तो उसकी पदोन्नति नहीं होनी चाहिये । तो अगर यह बात सिद्ध हुई विजिलेन्स द्वारा कि यह दोषी हैं तो जो पदोन्नति की है उसको वापस लेंगे ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

जब कोई केस विजिलेन्स को भेज दिया जाता है तो वह वापस नहीं होता है । किसी केस के बारे में पहले से जानकारी नहीं होती है । केस भेज दिया जाता है जब निर्णय हो जाता है तब उस पर फैसला होता है । उसकी जांच हो रही है । उसका कुछ निर्णय आयेगा तो उसके बाद कोई कार्यवाही की जायगी अगर वे दोषी पाये जायेंगे ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जिस समय यह के० के० सिंह फैजाबाद में असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार थे तो उनके खिलाफ इस किस्म की शिकायतें आई कि इन्होंने वहां की कन्ज्यूमर सोसाइटी से गलत तरीके से रुपया कमाया और उन्होंने इस रुपये से फैजाबाद और बनारस में जमीन खरीदी ? क्या इस किस्म की शिकायत श्री जयराम वर्मा के द्वारा प्राप्त हुई थी और विजिलेन्स कमीशन के सामने उसको भेजा गया ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है । मैं इतना कह सकता हूं कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध इन्क्वायरी की गई और चरित्र सन्तोषजनक पाया गया ।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—

इस सरकार ने कुछ अधिकारियों का प्रोमोशन केवल इस आधार पर रोक रखा है कि उनकी ईमानदारी के विषय को जांच के लिये कुछ विभागों को सिपुर्द किया गया है । जब वे अपनी पदोन्नति की मांग करते हैं तो यह सरकार उनसे कहती है कि तुम्हारा मामला जांच के लिये गया है इसलिये पदोन्नति नहीं की जा सकती । क्या ऐसे मामले हैं, यदि हां, तो उनकी पदोन्नति क्यों नहीं की गई और यदि नहीं हैं तो माननीय मंत्री जी क्या यह कहने के लिये साहस कर सकते हैं कि ऐसे मामले नहीं हैं ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

ऐसा कोई मामला मेरे सामने नहीं आया । अगर माननीय सदस्य सुझायेंगे तो मैं उस पर जांच करा सकता हूं ।

श्री राज बहादुर द्विवेदी—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि वे कौन लोग थे जिन्होंने के० के० सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत की थी और उस पर विजिलेन्स कमीशन कब तक अपना निर्णय देगा ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

इन शिकायतों के बारे में अभी तक मुझे कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है । उनकी फाइल उन्हीं के पास है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या उक्त अधिकारी के खिलाफ शिकायतों की जांच किसी असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार के द्वारा कराई गई ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

मुझे इतनी ही जानकारी है कि सहकारिता विभाग के सचिव ने एक बार इनके विरुद्ध जांच की और उन्होंने इनको बिलकुल निर्दोष बताया और यह भी बताया कि यह ईमानदार आदमी हैं ।

श्री राज बहादुर द्विवेदी—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इसके पहले भी जब के० के० सिंह एक जिले में सहायक रजिस्ट्रार थे तो कुछ गम्भीर कारणों से निलम्बित किये गये थे ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि इन्हीं महोदय की शिकायतों के संबंध में रिपोर्ट फाइलों में मौजूद है जिस के आधार पर विजिलेन्स कमीशन जांच कर रहा है और माननीय जयराम वर्मा ने उप मंत्री की हैसियत से उस फाइल में जो नोट लिखा था वह भी उसमें है ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

फाइल तो सतर्कता विभाग के पास है । उसमें क्या है मुझे नहीं मालूम । फाइल यहां मौजूद नहीं है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने इन के संबंध में पत्रावली देखी है या नहीं ? और यदि देखी है तो क्या वह कृपा कर बतलायेंगे कि भूतपूर्व मंत्री जी ने स्वयं इस प्रमोशन को रोक दिया था जब उन के सामने सेक्रेटरी ने यह तथ्य लाकर रखा था कि उन के विरुद्ध इस इस प्रकार की शिकायतें हैं ?

श्री गंगाभक्त सिंह—

जैसा वह बता रहे हैं .....

श्री अध्यक्ष—

किसी स्टेज पर आप ने स्वयं पत्रावली देखी है या नहीं ? और उस के बाद उनका दूसरा प्रश्न है ।

श्री गंगा भक्त सिंह---

वह पत्रावली १९६४ से सतर्कता विभाग के पास है । वह मुझे नहीं मिली लेकिन मैंने रजिस्ट्रार से बात की, उन की चरित्र पंजिका देखी । उस में असंतोषजनक बात कोई भी नहीं है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

अभी मंत्री जी ने बताया कि पत्रावली उन्होंने नहीं देखी और उन के उप मंत्री जी ने तत्कालीन सहकारिता मंत्री जी का १९६६ का नोट पढ़ा । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उप मंत्री जी को या मंत्री जी को बीच में उस फाइल को दिखाया गया ?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने कहा कि फाइल तो विजिलेन्स कमीशन के पास है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

तो मैं जानना चाहता हूं कि १९६६ का नोट विजिलेन्स कमीशन के पास से कैसे निकल आया ?

श्री गंगा भक्त सिंह---

मैंने बताया कि दो, तीन और अधिकारियों के मामले के साथ जब के० के० सिंह का मामला आया तो उस समय जो पत्रावली सामने आयी उस में से यह नोट पढ़ कर सुनाया गया है ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---

मंत्री जी ने बताया कि फाइल नहीं है तो मैं जानना चाहता हूं कि वह फाइल उन के पास नहीं है या उन के दफ्तर से वह कहीं गायब हो गयी है ?

श्री अध्यक्ष---

इस का जवाब आ चुका है ।

श्री केशव देव (जिला अलीगढ़)---

माननीय मंत्री जी ने सदन के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों की भावना को इस संबंध में सुना । इस के बाद क्या वे इस व्यक्ति को उस पद से हटाने की कोशिश करेंगे ?

श्री गंगा भक्त सिंह---

मैंने कहा कि उस की जांच हो रही है और जब भी सतर्कता विभाग से कुछ आयेगा उस के अनुसार ही बात कहीं जा सकती है ।

श्री चन्द्रशेखर (जिला वाराणसी)---

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब उन का मामला सतर्कता कमीशन को दे दिया गया तो उस के बाद आप का कहना है कि यहां कागज नहीं थे । मैं जानना चाहता हूं कि आखिर यह अफवाह उन के संबंध में क्यों है ?

श्री गंगा भक्त सिंह---

मेरे पास विभागीय पत्रावली है जिस में श्री के० के० सिंह और वैश्य की पदोन्नति के बारे में है । उस में भूतपूर्व सहकारिता मंत्री का नोट है । उसी के अनुसार मैं यह कह रहा हूं ।

श्री बनारसी दास (जिला बुलन्दशहर)---

क्या माननीय सहकारिता मंत्री जी को विदित है कि भूतपूर्व सहकारिता मंत्री ने जो आदेश दिये थे उस के बाद पदोन्नति को रोक दिया सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर ? क्या यह उन की जानकारी में है ?

श्री गंगा भक्त सिंह---

मान्यवर, रोका नहीं गया । वहां से सिफारिश हुई और पदोन्नति कर दी गयी । रोकने का कोई प्रश्न नहीं आया ।

श्री बनारसी दास---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस प्रश्नावली पर रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पर पदोन्नति के आदेश दिये गये थे, क्या मंत्री जी ने स्वयं देखा है कि सरकार के इस बात को सामने लाने पर कि उनका केस विजिलेन्स में है, पदोन्नति रोक दी गयी ? अगर उनको विदित नहीं है तो क्या पदोन्नति के आदेश भूतपूर्व सहकारिता मंत्री के समय भेज दिये गये थे ?

श्री जोरावर वर्मा---

ऐसे आदेश नहीं हैं । पहले बताया जा चुका है कि जब दो व्यक्तियों की पदोन्नति का प्रश्न आया और फाइल चल रही थी तो आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार पदोन्नति कर दी गयी ।

श्री नवल किशोर---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि श्री के० के० सिंह के अतिरिक्त और भी कोई केस उनके मंत्रि-मंडल काल में हुआ है जिसका केस विजिलेन्स में हो और पदोन्नति दी गयी हो ?

श्री गंगा भक्त सिंह---

ऐसा कोई दूसरा केस नहीं है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस अधिकारी के विरुद्ध विजिलेन्स कमीशन से यह भी रिपोर्ट आयी कि इनका केस सी० आई० डी० द्वारा ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सामने भेजा जाय ?

श्री गंगा भक्त सिंह---

ऐसी कोई रिपोर्ट मेरे सामने नहीं आयी ।

श्री बेनीसिंह अवस्थी (जिला कानपुर)---

विजिलेन्स कमीशन में कब फाइल भेजी गयी और इस बीच में कोई इंटेरिम रिपोर्ट आयी है या नहीं ?

श्री गंगा भक्त सिंह---

कोई इंटेरिम रिपोर्ट नहीं आयी ।

श्री बनारसी दास---

क्या सहकारिता मंत्री को मालूम है कि समीउद्दीन, आई० सी० एस०, और श्री गिरीशचन्द्र के खिलाफ जो रिपोर्ट थी, उनकी कोई रिपोर्ट नहीं दी गयी ?

श्री गंगा भक्त सिंह---

इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला मिर्जापुर)—

जब एक व्यक्ति का मामला विजिलेन्स कमीशन को दे दिया गया, अफवाहें और चर्चायें रहीं तो क्या उनसे योग्य व्यक्ति नहीं मिला जिसको नियुक्त किया जा सकता था ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

पदोन्नति वरिष्ठता और नियमों के अनुसार की जाती है ।

श्री चन्द्रशेखर—

क्या सरकार की ओर से कोई तारीख निश्चित कर दी गयी कि अगर पक्ष में रिपोर्ट आ जाय तो ठीक वरना उनकी अवनति कर दी जाय, क्योंकि मामला गम्भीर है और जल्दी होना चाहिये ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

इस संबंध में मेरी ओर से कोई समय नहीं दिया जा सकता है और आयोग की ओर से जब जांच कम्प्लीट करेंगे तो वह भेजेंगे ।

श्री अश्वनी कुमार—

मैं जानना चाहता हूं कि जो भूतपूर्व सहकारिता मंत्री का नोट पढ़ा गया उस में कहा गया कि 'सस्पीशन' के आधार पर भी विजिलेन्स कमीशन को केस दिया जा सकता है, उसकी हिन्दी "अफवाह" की गयी । मैं कहता हूं कि "संदेह" के आधार पर । तो क्या संदेह होने पर भी किसी की पदोन्नति की जा सकती है ?

श्री गंगाभक्त सिंह—

संदेह के कारण किसी की पदोन्नति रोकी भी नहीं जा सकती ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

भूतपूर्व सहकारिता मंत्री के जब इस फाइल पर आदेश हुये थे और केस को विजिलेन्स कमीशन को भेजा गया तो शिकायत क्या थी ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

शिकायत क्या थी, यह पता नहीं चला, वह केस भेज दिया गया । (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि जब कोई केस विजिलेन्स कमीशन को भेजा जाता है तो विभागीय सचिव द्वारा यह देख लिया जाता है कि प्राइमाफेसी वह केस बनता है या नहीं ? तो क्या इस केस को भी विभागीय सचिव द्वारा देखा गया था ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

यह सही नहीं है कि पहले प्राइमाफेसी केस को देखा जाता है, बाद को कमीशन को भेजा जाता है । जब शिकायत आती है तो उसे भेज दिया जाता है । (व्यवधान)

श्री बनारसी दास—

क्या माननीय सहकारिता मंत्री को विदित है कि किसी केस को भेजने से पूर्व नियम १२ के अन्तर्गत विभागीय मंत्री से उसकी स्वीकृति ली जाती है ? यदि हां, तो क्या उसकी स्वीकृति ली गयी ?

श्री जोरावर वर्मा—

हमारे पास कोई केस ऐसा नहीं आया, मंत्री जी के पास भेजा गया होगा । (व्यवधान)

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"---

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या यह सरकार भी उन्हीं परम्पराओं के आधार पर चल रही है जिन पर पुरानी कांग्रेसी सरकार चला करती थी, या वह कोई अपनी नयी परम्परायें स्थापित करेगी ?

श्री गंगा भक्त सिंह---

इसमें परम्पराओं का कोई सवाल नहीं है, पदोन्नति के नियम बने हुये हैं और उसी के अनुसार पदोन्नति होती है ।

श्री अध्यक्ष---

अभी आपके सहायक मंत्री महोदय ने यह कहा था कि ऐसा परम्पराओं के अनुसार किया गया ।

श्री बनारसी दास---

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह जो मंत्रिमंडल की नीति है कि जिनके केसेज विजिलेन्स में होंगे उनकी परिधि में आये के सेज को कहीं और न भेजना आवश्यक होगा ?

श्री गंगा भक्त सिंह---

ऐसी कोई नीति नहीं है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

क्या माननीय मंत्री जी इस सारे प्रश्न की अहमियत को देखते हुये और इस बात को देखते हुये कि सी० आई० डी० की जांच पहले सरकार ने कराई और जब विजिलेन्स को भेजा तब आपकी संतुष्टि हो गई । तो क्या माननीय मंत्री जी इस सारे प्रश्न को स्वयं न देख कर माननीय जोरावर वर्मा को निर्णयार्थ भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री जोरावर वर्मा---

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पहले कहा जा चुका है विभागीय सचिव द्वारा इस संबंध की शिकायत की जांच की गई थी । माननीय गुप्त और माननीया सुचेता जब मुख्य मंत्री थे तभी उनका आदेश था कि इनके खिलाफ शिकायत सिद्ध नहीं हुई है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया था वह इस कारण से किया था कि ये फैजाबाद से संबंधित हैं और उनके कर्तव्यों को समझते हैं....

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि उन्होंने कुछ जवाब दिया, यद्यपि वह प्रश्न से संबंधित नहीं था । उन्होंने जवाब आपके प्रश्न का ही दिया है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

क्या माननीय मंत्री विजिलेन्स कमीशन को लिखेंगे कि सदन में इस तरह की बातें की गई थीं और विजिलेन्स कमीशन की इस संबंध में प्राइमाफेसी क्या राय बनती है और उसकी राय के बाद के० के० सिंह की पदोन्नति पर फिर आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

श्री गंगा भक्त सिंह---

मैंने कहा कि सतर्कता आयोग को हमारी ओर से आदेश जा नहीं सकते । हम केवल जल्दी करने को कह सकते हैं । उनका निर्णय हो जायेगा तो हम अवश्य कार्यवाही करेंगे ।

श्री बनारसी दास--

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय उपमंत्री ने कहा कि उनकी फाइल पर माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री गुप्ता जी और सुचेता जी के आदेश हैं। क्या उन्होंने फाइल को देखा है कि उनके आदेश हैं? म आपको सूचनार्थ बताना चाहता हूं कि उसमें कोई आदेश नहीं है। सेक्रेटरी के प्वाइंट आउट करने पर ही मैंने पदोन्नति रोकी थी।

श्री गंगा भक्त सिंह--

मान्यवर, उन्होंने यह कहा कि ऐसा मालूम हुआ है। उनको सुनने को मिला होगा।

श्री राज बहादुर द्विवेदी--

क्या माननीय मंत्री इस बात की जांच करायेंगे कि जब के० के० सिंह फैजाबाद में सहायक रजिस्ट्रार थे तो उन्होंने अपने कार्यकाल में गल्ला वितरण में, खाद बनाने में और जो गोभी का बीज सरकारी वितरण के लिये दिया गया था, उसको ब्लाक में बेचने में, टेलीफोन वगैरह को अपने निजी उपयोग में लाने में, अपने बाप के नाम जमीन ले कर मकान बनाने का प्रयास किया है?

श्री गंगा भक्त सिंह--

मान्यवर, इस प्रकार की मेरे पास जानकारी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सहकारिता मंत्री, उनका प्रश्न इस समय वह नहीं था। पहले मैंने अनुमति नहीं दी थी। उनका प्रश्न यह है कि मेरी सूचना के आधार पर ये शिकायतें हैं। क्या इसके आधार पर जांच करवाने की कृपा करेंगे?

श्री गंगा भक्त सिंह--

मान्यवर, अगर वह लिख कर दें, तो मैं जांच करवाऊंगा।

## पिथौरागढ़ जिले में शराब बन्दी

*७--श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिथौरागढ़ जिले में शराब बन्दी के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

आबकारी मंत्री (श्री अख्तर अली खां)--

जी नहीं।

श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)--

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिथौरागढ़ के मुन्शियारी सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर में जहां शराब नहीं बेची जाती थी आज फिर भी वहां शराब बेची जा रही है दुकानों पर?

श्री अख्तर अली खां--

अध्यक्ष महोदय, मैं ठीक तरह से समझ नहीं पाया।

श्री गोपाल दत्त ओझा--

श्रीमन्, मुन्शियारी सब-डिवीजन में तीन महीनों से शराब नहीं बिक रही थी पर अब फिर वहां शराब की दुकानें क्यों चालू की जा रही हैं?

श्री अख्तर अली खां--

मान्यवर, इस वक्त पहाड़ में तीन जगह आन्दोलन इस संबंध में चल रहे हैं और वहां पर लोग शराब बन्दी के लिये कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहां एक साल तक के लिये ठेका दिया जा चुका है पहले से ही इसलिये सरकार उसे अब रोक नहीं सकती ।

श्री चन्द्र सिंह रावत--

श्रीमन्, जब हमारे सारे देश में अनाज की कमी है और लोग भूखों मर रहे हैं। ऐसी हालत में लोगों को अनाज न देकर शराब की बोतलें पिलाई जायं क्या मंत्री जी इसको उचित समझते हैं ? क्या वे उसको बन्द करवाने की कृपा करेंगे ? पहाड़ के लोग भी आये थे कि उन दूकानों को बन्द किया जाय ।

श्री अख्तर अली खां--

माननीय सदस्य ने ठीक फरमाया है लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इस संबंध में आन्दोलन चल रहा है । इस से पहले पांच दुकानें पहाड़ में बन्द की जा चुकी हैं जिसमें पांच लाख मुस्तकिल का नुकसान हुआ है सरकार को । पहाड़ में शराब का जो अधिक प्रयोग है उसकी मैं तफसील आपको बता दूं अगर आपकी आज्ञा हो तो .....

श्री अध्यक्ष--

इतना ही काफी है । तफसील की आवश्यकता नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, जहां-जहां शराब बन्दी के लिये आन्दोलन चलाये जा रहे हैं, उसमें माननीय मंत्री जी का यह कहना है कि दुकानदार को ठेका दिया जा चुका है इसलिये सरकार नहीं रोक सकती उसे बेचने के लिये । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी ऐसा प्रबन्ध नहीं कर सकते कि ठेके की जितनी अवधि बीत चुकी है उस अवधि को निकाल कर सरकार उसकी कमी को पूरा कर दे और दुकान के बन्द करवाने के आदेश दे दे ?

श्री अख्तर अली खां--

जैसा कि मैंने अर्ज किया कि सरकार के सामने यह सवाल नहीं है कि दुकान को बन्द कर दिया जाय या नहीं । सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वहां दुकान को ठेका दिया गया था और वह चल रही है और लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस सूरत में उसका बन्द करना उचित नहीं मालूम पड़ता ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या माननीय आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब शराब का ठेका छोड़ा जा रहा था तो उस समय भी लोगों में भारी असंतोष था और लोगों ने विरोध में शिकायतें की थीं ?

श्री अख्तर अली खां--

ऐसा मामला है कि मैं सही तफसील तो नहीं बता सकता लेकिन तीन आन्दोलन चल रहे थे और लोग ख्वाहिशमन्द थे, इसलिये वे चला रहे थे ।

श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जितनी अवधि बीत चुकी है सरकारी ठेके की उस बाकी अवधि का अगर लोग चन्दा करके वापिस कर दें तो सरकार क्या दुकान बन्द करवा देगी ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया ।)

श्री विपिन बिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पिथौरागढ़ के लोगों ने आप से मांग की थी कि वहां पर शराब बन्द कर दी जाय ? लेकिन इस बात को देखते हुये कि पिथौरागढ़ में शराब से सरकार की आमदनी बहुत अधिक है इसलिये सरकार प्रदेश की जनता की मांग को न मानते हुये शराब की दुकान बन्द नहीं कर रही है ?

श्री अख्तर अली खां—

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहिले भी एक सदस्य ने यह सवाल किया था। इससे सरकार की आमदनी से संबंध नहीं है। दुकान बन्द कर देंगे लेकिन लोग नाजायज शराब बनाने लगते हैं। इसलिये सरकार यह चाहती है कि उस शराब की दुकान को चलने दिया जाय।

*८—श्री केशरी लाल—

[२६ जुलाई, १९६७ के लिये स्थगित किया गया।]

## आजमगढ़ जिला सहकारी बैंक में मनोनीत संचालक

*९—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिला सहकारी बैंक में दो प्रतिनिधि सरकार द्वारा वर्ष १९६७ के आरम्भ में ही मनोनीत किये गये थे और एक दो महीने के अन्दर ही उन दोनों प्रतिनिधियों को हटा कर उनके स्थान पर दो नये प्रतिनिधियों को मनोनीत कर दिया गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री जोरावर वर्मा—

जी हां। जिला सहकारी बैंकों के बाइला-५१ के अन्तर्गत शासन को पूर्ण अधिकार है कि जिला सहकारी बैंकों के मनोनीत संचालकों को कभी भी बदल सकते हैं। इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करके मई, १९६७ में उक्त बैंक में नये प्रतिनिधियों को मनोनीत किया गया।

श्री मुक्तिनाथ राय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन सी विशेष परिस्थिति आ गई थी कि सरकार को इस अधिकार का प्रयोग करना पड़ा ?

श्री जोरावर वर्मा—

विशेष कोई बात नहीं थी। शासन को अधिकार है कि जब वह उचित समझे मनोनीत कर सकता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या वर्ष १९६६-६७ के लिये सबसे पहले जनवरी, ६७ में ही नामजदगी की गई थी अथवा उसके पेशतर भी कोई हो चुकी थी ?

श्री जोरावर वर्मा—

केवल १७ जनवरी, १९६७ को नामजदगी की गई थी।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह नामजदगी सबसे पहले थी या इससे पहले भी कोई थी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री नवल किशोर—

जो दूसरे दो व्यक्ति रखे गये उनके नाम क्या हैं और वह किस पार्टी के हैं ?

श्री जोरावर वर्मा—

श्री सर्वजीतसिंह वकील और श्री जगत भूषण । श्री सर्वजीत सिंह जनसंघ के हैं ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

क्या वह विशेष परिस्थिति यही थी कि मंत्री जी जनसंघ के लोगों को नामांकित करना चाहते थे ? इसका कारण बता दीजिये ।

श्री जोरावर वर्मा—

नये लोगों को सहकारिता में लाने के लिये ऐसा किया गया ।

श्री सियाराम (जिला एटा)—

क्या पहले व्यक्तियों के खिलाफ कोई शिकायत थी जिन्हें हटाया गया ?

श्री जोरावर वर्मा—

शिकायत कुछ नहीं थी । लेकिन कई सालों से वही नाम रिपीट हो रहे थे ।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

क्या इन सहकारी बैंकों में मनोनयन के निमित्त कोई नियमितताये या मान्यतायें या योग्यतायें निर्धारित हैं ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

कोई आधार नहीं बन सकता है । शासन जब आवश्यकता समझता है तब अवश्य देता है ।

श्री राजबहादुर चन्द—

क्या यह सही है कि सरकारी बैंकों के नामीनेशनों की अवधि सहकारी वर्ष ३० जून तक होती है ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

कोई अवधि नहीं है । आवश्यकतानुसार होते हैं ।

श्री चतुर्भुज शर्मा (जिला जालौन)—

क्या यह सही नहीं है कि जो रुपया सहकारी बैंकों में लगा हुआ है उसकी देख रेख के लिये नामजदगियां की जाती हैं और इसमें भी जो बैंकिंग में एक्सपर्ट होते हैं, खास तौर से सेन्ट्रल बैंक वगैरह के रिप्रेजेन्टेटिव को नामिनेट करना चाहिये और ऐसी ही प्रथा पहले इस विभाग में थी ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

इस समय तो यही है कि एक असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार होता है जो वहां का अधिकारी होता है और दस अन्य होते हैं । माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार किया जायगा ।

*१०—११—श्री माता प्रसाद—

[२६ जुलाई, १९६७ के लिये स्थगित किये गये ।]

## हल्द्वानी सिंचाई खंड में पाइल वुड की सप्लाई

*१२—श्री इन्द्रलाल—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सिंचाई खंड हल्द्वानी को मौसम बरसात में पानी के बांध (बरसातियां) गोला हेड आदि से सिंचाई का पानी चलाने के

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

[श्री इन्द्रलाल]

लिये गत वर्ष तक वन विभाग से जिस मात्रा में लकड़ी (पाइलवुड) दी जाती थी वह इस वर्ष पूरी मात्रा में दिनांक १७ जून, १९६७ तक नहीं दी गई ? यदि हां, तो इसका उत्तरदायी कौन है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राम चन्द्र विकल--

हल्द्वानी सिंचाई खंड में बरसातियों के लिये पाइल वुड वन विभाग द्वारा सिंचाई विभाग से इन्डेन्ट मिलने पर सप्लाई की जाती है । इस वर्ष पाइल-वुड के लिये इन्डेन्ट उक्त विभाग से २२ अप्रैल, १९६७ तथा १७ मई, १९६७ को प्राप्त हुये । कुल १७,६०० अदद पाइलवुड की मांग पर १६ जून, १९६७ तक ९,६०० अदद सप्लाई की गयी । तराई भावर वन खंड से पूरी सप्लाई नहीं की जा सकी, क्योंकि वनों की कमी तथा वन रोपण के लिये अधिक संख्या में बाड़ आदि के लिये बल्लियों की आवश्यकता के कारण इस वन खंड में लकड़ी की कमी थी । सिंचाई विभाग से इस कमी की पूर्ति की मांग १६ जून, १९६७ को प्राप्त होते ही हल्द्वानी वन खंड से सप्लाई करने के आदेश दे दिये गये और अब तक ५,००० अदद और पाइल-वुड सप्लाई कर दी गई है । शेष ३,००० को शीघ्रातिशीघ्र देने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

सिंचाई विभाग का इन्डेन्ट पूरे वर्ष के लिये था जिसमें वर्षा तथा जाड़े दोनों की आवश्यकता शामिल थी । १६ जून, १९६७ तक सप्लाई की गई पाइल-वुड बरसात के लिये पर्याप्त थे, फिर भी सिंचाई विभाग के बताने पर अतिरिक्त सप्लाई का प्रबन्ध कर दिया गया है । इस प्रकार पाइल वुड देने में वन विभाग की ओर से देर नहीं हुई है ।

## स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद में आक्सीजन प्लांट एवं पेय जल का प्रबन्ध

*१३--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद के मेडिकल कालेज के अस्पताल में लाखों रुपये की मशीन बेकार हो रही है जिनका इस्तेमाल वहां के डाक्टर नहीं कर रहे हैं तथा उक्त अस्पताल में आक्सीजन प्लांट नहीं है और मरीजों को आक्सीजन देने के लिये बाहर से मंगाना पड़ता है ?

श्री प्रताप सिंह--

स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद मेडिकल कालेज का अस्पताल है । यह सही नहीं है कि उक्त अस्पताल में लाखों रुपये की मशीनें बेकार पड़ी हैं ।

यह सही है कि उक्त अस्पताल में आक्सीजन प्लांट नहीं है और राज्य सरकार के दूसरे अस्पतालों की तरह मरीजों को आक्सीजन देने के लिये बाहर से मंगाना पड़ता है

*१४--श्री कल्याण चन्द मोहिले--

क्या यह सही है कि मेडिकल कालेज के ट्यूबवैल में बोरिंग न होने से वहां मरीजों को पानी का घोर कष्ट है ?

श्री प्रताप सिंह--

इस साल ट्यूबवैल में पानी सूख जाने की वजह से मरीजों को असुविधा हो रही है किन्तु नगर महापालिका से सीधे पानी लेने की व्यवस्था कर दी गई है ।

## वाराणसी जिले में बेसिक हेल्थ वर्करों को नोटिस

*१५--श्री राम सजीवन (जिला बांदा) तथा श्री ऊदल--(जिला वाराणसी)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में कितने बेसिक हेल्थ वर्करों को दिनांक २० सितम्बर, १९६६ को एक माह की नोटिस दे कर जिला स्वास्थ्य अधिकारी वाराणसी

ने निकाल दिया है ? क्या उसमें से जो सीनियर थे उन्हें निकाला गया और जो जूनियर थे उन्हें पुन: मलेरिया विभाग या दूसरे विभागों में ले लिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री प्रताप सिंह--

वाराणसी जिले में २९ सितम्बर, १९६३ को ३५ बेसिक हेल्थ वर्करों को १ माह की नोटिस देकर सेवा मुक्त किया गया था ।

सेवा मुक्त करने का आधार कनिष्टता न होकर संबंधित कार्यकर्ताओं की परिवार नियोजन संबंधी लक्ष्य पूर्ति में असफलता थी । अतएव इन कार्यकर्ताओं की वरिष्ठता या कनिष्टता के आधार पर सेवा मुक्त किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त कार्यकर्ताओं में से केवल ऐसे तीन को उनकी व्यक्तिगत कार्य कुशलता को ध्यान में रख कर पुन: नियुक्त कर लिया गया ।

## अतारांकित प्रश्न

### इलाहाबाद मेडिकल कालेज में रेजीडेन्ट रेडियोलाजिस्ट की नियुक्ति

१--श्री कल्याण चन्द मोहिले--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि क्या इलाहाबाद में मेडिकल कालेज में डाक्टरों की नियुक्ति के संबंध में विज्ञापन नहीं होता है ? यदि हां, तो क्या रेजीडेन्ट रेडियोलाजिस्ट की नियुक्ति जो अभी हाल में हुई है उसका विज्ञापन किया गया था ?

श्री प्रताप सिंह--

मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल, प्रोफेसर, रीडर तथा लेक्चरर आदि राजपत्रित पदों पर संबंधित नियमों के अधीन लोक सेवा आयोग की सम्मति से नियुक्ति की जाती है और अभ्यर्थियों के चुनाव के लिये ये पद आयोग द्वारा विज्ञापित किये जाते हैं । डिमान्स्ट्रेटर, रजिस्ट्रार, रेजिडेन्ट आदि अराजपत्रित पदों पर नियुक्त करने का अधिकार इलाहाबाद मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल को है । चूंकि ये पद आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं, अत: इन पदों को उनके द्वारा विज्ञापित नहीं किया जाता है । रेजिडेन्ट रेडियोलाजिस्ट के पद पर भी इसी परम्परा के अनुसार नियुक्ति की गयी है ।

## शनिवार को सदन की बैठक न करने के संबंध में आवेदन

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास ८१ माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर से एक प्रार्थना, आवेदन पत्र या सुझाव आया है और उसमें वह शिकायत है कि "हम विधान सभा के सदस्य यह अनुभव करते हैं कि शनिवार को बैठक न होने की प्रणाली को समाप्त करके आपने कोई विशेष सुधार नहीं किया है । हम लोग प्रोफेशनल पालिटिशियन तो हैं नहीं ।" आगे इसमें है कि इसको समाप्त किया जाय ।

इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है । माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल के परामर्श से एक कार्यक्रम इस सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ जिस पर सदन ने अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी । इसलिये वह सदन के हर सदस्य का और सदन का फैसला हो गया परन्तु यदि इसके बाद कोई असुविधा होती है तो फिर भी माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल यदि चाहें तो कोई परिवर्तन कर लें । मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

## १९६७-६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २९—अनुसूचित व पिछड़ी हुई जातियां—तथा अनुदान संख्या ३०—समाज-कल्याण

*उप मुख्य मंत्री (श्री राम प्रकाश)—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २९—अनुसूचित और पिछड़ी हुयी जातियों के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,५०,३२,००० रुपये की अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय तथा

श्रीमन्, मैं माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३०—समाज कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३६,८७,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हरिजन कल्याण विभाग एवं समाज कल्याण विभाग यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य नीतियों के विषय में एकमत होंगे। श्रीमन्, यह एक ऐसा विषय है जो हमारी सामाजिक प्रगति का द्योतक है, जो इस बात को प्रकट करता है कि किस हद तक हमने समाज को एक परिवार के रूप में पहचाना है, किस हद तक हमने अपने देश और प्रदेश का जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो अभी तक असहाय है, उपेक्षित है, निर्धन है, उसको बढ़ाने के लिये हम जागरूक हैं और इसलिये यह विषय कोई वाद विवाद का नहीं अपितु गम्भीर अध्ययन का है कि इस महत्वपूर्ण विषय के लिये हम कितना धन दे पायें। सामाजिक प्रगति के लिये यह आवश्यक है कि हजारों सालों से जो वर्ग पिछड़ा हुआ है, असहाय है, निर्धन है, उनको आगे बढ़ाने के लिये बहुत तेजी से कार्यवाही की जाय ....

श्री अध्यक्ष—

मैं यह जानना चाहता हूं कि आप कितना समय लेंगे ?

श्री राम प्रकाश—

श्रीमन्, कम से कम आधा घंटा।

तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि जो वर्ग हमारा निर्धन है, असहाय है, उनको आगे बढ़ाने के लिये बहुत तेजी से कार्यवाही की जाय और भारत का एक आदर्श यह है कि हमने हर एक व्यक्ति में अपनी आत्मा के दर्शन किये हैं। हमारा यह दर्शन रहा है कि हर व्यक्ति के अन्दर वही भगवान निवास करता है और इसलिये किन्हीं दो प्राणियों में सामाजिक दृष्टि से कोई अन्तर नहीं हो सकता। इसलिये यह सारा राष्ट्र एक परिवार है। हम सब एक परिवार के घटक हैं, किसी प्रकार की दीवारें ऊंच व नीच की, निर्धन और धनी की हमारी इस परिवार को असंगठित कर दें इस प्रकार की व्यवस्था समाज के लिये हितावय नहीं होगी और इसलिये समाज कल्याण और हरिजन कल्याण का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी ओर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। श्रीमन्, पिछले २० सालों में आजादी मिलने के बाद मैं कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र की ओर ध्यान दिया गया है और शायद यह एक क्षेत्र है जिसमें जो प्रयास किये गये उन प्रयासों की सराहना करनी पड़ती है।

श्रीमन्, समाज कल्याण के बारे में एक साधारण आम जनता में गलत धारणा है कि यह विभाग अपने कर्तव्य की पूर्ति नहीं करता और जो अपेक्षायें इस विभाग से हैं उन अपेक्षाओं के विपरीत बहुत कुछ काम कर रहा है। ऐसी धारणा सारे समाज में व्याप्त है और शायद इस सदन के माननीय सदस्यों में भी इस प्रकार की धारणा हो। परन्तु मैंने २,३ महीने के अन्दर जो इस विभाग के कार्य कलापों का निरीक्षण किया है मुझे बड़ी खुशी है कि धीरे-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

धीरे हम उन समाज की पुरानी रूढ़ियों के शिकार जो पिछड़े हुये लोग हैं उनके बंधनों को तोड़ते जा रहे हैं, यद्यपि यह भी सच है कि हमारी प्रगति बहुत धीमी है। जिस तेजी से हमें बढ़ना चाहिये शायद उस तेजी से बढ़ने में हम असमर्थ रहे। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर हमें बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करना है क्योंकि आजादी मिलने के बाद भी आज इस प्रदेश के अन्दर ऐसे अनाथ बालक हैं जिनकी देख-रेख करने वाला कोई नहीं और वह अनुभव नहीं करते कि हम किसी स्वाभिमानी स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक हैं। वह मजबूर होते हैं अपनी परिस्थितियों के कारण दूसरे लोगों के हाथ में शिकार होने के और अपना दुखदायी जीवन व्यतीत करने के। इसलिये वह स्वतंत्र राष्ट्र जो अपने अनाथ बालक, अपनी निराश्रित विधवाओं, अपने प्रदेश के अपाहिज और निराश्रित बन्धुओं को सहारा नहीं दे सकता वह राष्ट्र स्वाभिमान से खड़ा नहीं रह सकता है। उस प्रदेश की जनता और सरकार स्वाभिमान में अपना सिर ऊंचा नहीं कर सकती। इसलिये श्रीमन्, इस दिशा में जो प्रगति के कदम धीरे-धीरे बढे हैं उन कदमों को हमें तेजी से आगे बढ़ाना होगा।

श्रीमन्, जो लोग इस कल्याण क्षेत्र में आते हैं उनमें अनाथ बालक, अनाथ विधवायें, अपाहिज, पिछड़े हुये वर्गों के लोग, अनुसूचित जनजातियां, विमुक्त जातियां, भिक्षुक और शारीरिक रोगों से पीड़ित सारे लोग आते हैं और इन सब की ओर यह हमारा दायित्व है कि सरकार बहुत तेजी से कदम बढ़ा कर इनकी समस्याओं को सुलझाए।

मैं श्रीमन्, हरिजन कल्याण बजट की ओर आ रहा हूं। सबसे पहल जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनके लिए इस बजट में प्राविधान किया गया है उस बारे में मैं विवरण रखना चाहता हूं। इस वर्ष बजट के अन्दर जो आयोजनागत व्यवस्था है वह १ करोड़ ७९ लाख रुपए की है। जबकि पिछले वर्ष यह १ करोड़ ६६ लाख थी। उसी तरह से आयोजनेतर व्यवस्था में इस वर्ष १ करोड़ ७३ लाख की व्यवस्था है, जब गत वर्ष १ करोड़ ९३ लाख थी। कुल मिलाकर इसमें ३ करोड़ ७६ लाख की इस साल व्यवस्था है जबकि पिछले वर्ष यह व्यवस्था ३ करोड़ ४५ लाख रुपए की थी।

इसमें कुछ गलतफहमियां बजट को देखकर कई माननीय सदस्यों को हुयीं और उन्होंने उस ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया। इस विषय में मैं थोड़ा सा विवरण सदन को देना चाहता हूं। ऐसा लोगों को भ्रमवश लगा है कि जैसे पिछले वर्ष जो बजट में प्राविधान किए गए थे उसके अनुपात में वह इस वर्ष कम कर दिए गए और कुछ योजनाओं को काटने का सरकार विचार कर रही है। लेकिन श्रीमन्, पिछले वर्ष जो प्राविधान किए गए थे और जो खर्च पूरे साल में हुआ था उनके आंकड़ों का हम अध्ययन करेंगे तो हमें स्थिति स्पष्ट हो जायगी।

पिछले वर्ष प्राविधिक शिक्षा में ९ लाख ४२ हजार रुपए का प्राविधान था और साल भर के अन्दर ६ लाख २९ हजार रुपया खर्च हो पाया और श्रीमन्, इस वर्ष ८ लाख १७ हजार का प्राविधान किया गया है। इसी तरह से विमुक्त जातियों के लिए आवास, अनुदान और सहायता के क्षेत्र में १४ लाख ७८ हजार रुपए की व्यवस्था पिछले साल थी, जिसमें से कुल ९ लाख ६३ हजार रुपया ही खर्च हो पाया था और ५ लाख रुपया खर्च नहीं हो पाया था। लेकिन इस वर्ष इसका प्राविधान और बढ़ा दिया गया है और अब यह बढ़ा कर १७ लाख ६३ हजार का प्राविधान कर दिया गया है। श्रीमन्, आर्थिक उत्थान के क्षेत्र में कृषि अनुदान और कुटीर उद्योग अनुदान को देखकर कुछ भ्रम पैदा होता है, लकिन पिछले वर्ष कृषि अनुदान के लिए ३ लाख ६६ हजार रुपए की जो व्यवस्था की गई थी, उसमें से साल भर म कोई पैसा खर्च नहीं किया गया और पिछले वर्ष सरकार ने इसकी कटौती कर ली थी। इसी तरह से कुटीर उद्योग के लिए ६ लाख ८४ हजार रुपए की जो व्यवस्था थी, उसमें से केवल विमुक्त जातियों पर इस निमित्त १ लाख ६८ हजार रुपया खर्च किया गया और अनुसूचित जातियों के लिए जो प्राविधान किया गया था वह खर्च नहीं किया गया और कटौती कर ली गई। इसी तरह से स्वास्थ्य, आवास और रहन-सहन

[श्री रामप्रकाश]

में गृह-निर्माण में ४ लाख रुपए का प्राविधान पिछले वर्ष किया गया था, लेकिन पूरे वर्ष तक कोई खर्च इसमें नहीं किया गया और इस धन की भी कटौती कर ली गई। इसी प्रकार गृह एवं कार्य-स्थल---उसके लिए पिछले वर्ष ५ लाख ८७ हजार रुपया रखा गया था लेकिन इस सम्बन्ध में पूरे साल तक कोई खर्चा नहीं किया गया और उसमें कटौती कर ली गई।

मेहतरों के लिए गृह-निर्माण हेतु ५ लाख रुपए की पिछले साल व्यवस्था थी, उसमें से केवल ९० हजार रुपया पिछली सरकार ने खर्च किया था और ४ लाख १० हजार रुपए की बचत कर ली गई। मेहतरों की कार्य-पद्धति में सुधार के लिए पिछले वर्ष बजट में ५ लाख ७० हजार रुपए की जो व्यवस्था की गई थी उसमें से साल भर तक कोई खर्चा नहीं किया गया। श्रीमन्, पानी पीने के लिए पेय जल की व्यवस्था के लिए पिछले वर्ष ५ लाख ५५ हजार रुपए की बजट में व्यवस्था की गई थी, किन्तु उसमें से भी साल भर तक कार्य में खर्चा नहीं किया गया और पूरी कटौती कर ली गई। इस तरह से इसमें जो कुछ करीब ६० लाख की व्यवस्था पिछले वर्ष बजट में थी उसमें से केवल १८ लाख रुपया खर्च हुआ और ४२ लाख रुपए की कटौती पिछले वर्ष कर ली गई थी। यह कटौतियां होने के कारण, पूरे वर्ष तक इन में कोई खर्च न होने के कारण वित्त विभाग ने कई योजनाओं में खर्च की कटौती कर ली है और इसलिए हमें बजट में दिखाई नहीं देता है। लेकिन आज की परिस्थिति को देखते हुए और पिछड़े वर्ग को विशेष सुविधा देने के लिए जो वर्तमान इस वर्ष की योजना है, उस प्लान में जो हमारी सीलिंग है, उस सीलिंग में बजट में हमने यद्यपि ४६ लाख रुपए का खर्च दिखलाया है लेकिन वह हमारी सीलिंग ६० लाख रुपए की है और १४ लाख रुपया इस योजना में, जो पिछली योजना में काट लिया गया था, इसको फिर पुनर्जीवित करने के लिए रखा गया है जो सप्लीमेंटरी बजट में आवेगा। जितनी छात्रवृत्तियों द्वारा और निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था हरिजनों के लिए और पिछड़ी जातियों के लिए इस प्रदेश में चल रही है, यद्यपि छात्रों की संख्या बढ़ी है फिर भी यदि पूर्ण रूप से उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती, तो जो भी खर्च में वृद्धि होगी उसकी व्यवस्था इस बजट में की गयी है।

एक नयी योजना हरिजनों के विकास के लिए लेने का विचार यह सरकार कर रही है। कभी-कभी यह अनुभव में आया है कि हरिजनों की प्रगति के लिए जो कुछ भी सुविधाएं हम दे रहे हैं वे सुविधाएं यद्यपि उनको आगे बढ़ाने में समर्थ हुई हैं लेकिन बड़ा असन्तोष दिख पड़ता है कि बड़े-बड़े पदों पर, उच्चतम स्थानों पर हमारी पिछड़ी जाति के बालक कभी अपने को प्रतियोगिता में सक्षम नहीं पा रहे हैं। और जब तक हमारे उच्चतम पदों पर प्रतियोगिता के आधार पर हमारी पिछड़ी जाति के बालक आगे बढ़ कर उन स्थानों पर नहीं पहुंचते तब तक हमें कहना होगा कि हरिजन कल्याण की योजना अधूरी है और जो हमारा लक्ष्य था उसकी हमने पूर्ति नहीं की। इसलिए इस वर्ष एक नयी योजना लेने का निश्चय किया गया है। उस योजना में सारे प्रदेश से ५वीं कक्षा पास करने के बाद ५० हरिजन विद्यार्थी प्रतियोगिता के आधार पर चुने जायेंगे जो आगे बड़ी अच्छी प्रगति करने के लिए समर्थ हों, जो ऐसे श्रेष्ठ बालक होंगे उनको छाँटा जायगा और प्रति वर्ष यह संख्या आगे आती जाएगी। उन्हें उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार के अच्छे वातावरण की आवश्यकता है, ऐसे वातावरण में उनको रखा जायगा जिससे वे अपनी पुरानी मजबूरियों से दूर रह सकें और ऐसे वातावरण में जो बराबरी का वातावरण हो, एक स्वाभिमान का वातावरण हो, उसमें आगे बढ़ सकें और उन पर पर्याप्त धन व्यय करने के लिए रखा जायगा। इस व्यवस्था के लिए लगभग एक लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है और १५ साल के प्लान की सीलिंग में से इसकी व्यवस्था की जायगी जो अखिल भारतीय योजना हरिजन कल्याण की चल रही है भारत सरकार से इस बात पर विचार विनिमय हो रहा है कि इस प्रकार की योजना के लिए वह अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे ताकि हम इससे भी अधिक वेग से, और व्यापक रूप से इस योजना को चला पावें। जब तक हम यह अनुभव नहीं करते कि जो हमारे बड़े-बड़े पद हैं उनके लिए हमारी पिछड़ी जाति और हरिजन भाइयों में ऐसे बालक और ऐसे तरुण उपलब्ध हैं जो अच्छे हैं और प्रतियोगिता के आधार पर आगे आ

सकते हैं, जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था और छात्र-वृत्तियों की संख्या बढ़ाने से भी उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी। उन्हें अपने पैरों पर ही खड़े होकर पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ना होगा, सारे समाज के साथ समान व्यवहार करते हुए स्वाभिमान का जीवन बिताना होगा और यह तभी सम्भव होगा कि हर छात्र जो उच्चतम स्थान हैं उनको प्राप्त करने के लिए सक्षम हों। इसलिए यह योजना हरिजन कल्याण की दृष्टि से, उनको स्वाभिमानी बनाने की दृष्टि से, समाज के अन्दर उनको गौरवशाली स्थान दिलाने की दृष्टि से बहुत आवश्यक है और सरकार इस योजना के लिए उचित कार्यवाही करने जा रही है।

दूसरी बात यह है कि सरकार की सेवा में हरिजन भाइयों को जो १८ परसेन्ट प्रतिनिधित्व देने की बात है, वह स्थान उनको मिलने चाहिए। वह स्थान वे प्रतियोगिता के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं, सुविधाओं के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं लेकिन वह स्थिति लाने में हम अभी तक असमर्थ रहे हैं। लेकिन इस वर्ष पहली बार शायद हमारी सरकार ने लोक सेवा आयोग में एक हरिजन सदस्य जो बहुत योग्य हैं नियुक्त किया है और मुझे विश्वास है कि यह क्रान्तिकारी पग है जिसके कारण सेवाओं में जो १८ प्रतिशत का हमारा लक्ष्य है उसे पूर्ण करने में हम समर्थ होंगे। इस विषय में जो राधाकृष्ण समिति बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था इस प्रकार के पिछड़े हुए वग हैं उनके बालकों को जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में प्रतियोगिता के आधार पर आगे बढ़ सकें, ट्रेंड करने के लिए कोई विद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता है और उस दृष्टि से इस वष एक विद्यालय प्रारम्भ करने का विचार किया जा रहा है। इन बातों को देखते हुए मैं आशा करता हूं कि पिछड़े हुए वर्गों को सुविधा देने की दृष्टि से हम बहुत तेजी से प्रगति करेंगे। यह सरकार जिस तेजी से इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है उन भावनाओं को एक योजना का स्वरूप इस बजट में नहीं पहना सकी है। लकिन मुझे विश्वास है सप्लीमटरी बजट में अथवा अगले वर्ष के बजट में एक बहुत बड़ी राशि रखी जायगी और उनके विकास की एसी योजनाय इस क्षेत्र में आयेंगी जिससे हमारे कदम बहुत तेजी से बढ़ सकेंग। समाज कल्याण क क्षत्र में पिछले वर्ष ५२ लाख का प्राविधान किया गया था, उसकी अपेक्षा इस वष ५३ लाख २७ हजार रुपए रखे गए हैं।

एक विषय महिला मंगल योजना के बारे में है। सभी माननीय सदस्यों को यह विषय परेशान कर रहा है। सरकार न महिला मंगल योजनाओं की गतिविधियों में आमूल परिवर्तन करन का निश्चय किया है। इसलिए इस क्षेत्र म काम करने वाली लगभग ढाई हजार बहिनों को सेवा मुक्त किया जा रहा है। परन्तु सरकार पूरे तौर से अपनी जिम्मेदारी समझती है कि इस कठिन काल में उनको सेवा मुक्त करते हुए उपयुक्त स्थान पर उनकी नियुक्ति की जाय और इसके लिए श्रीमन् एक योजना बनायी जा रही है जिस योजना का अन्तिम स्वरूप अभी निश्चित रूप से नहीं आया है परन्तु साधारणतया जिस प्रकार से उन बहिनों को सेवा के स्थान दिए जायेंगे उसका विवरण मैं आपके आगे प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसमें १ हजार हमारी बहिनें जो इन्टर, हाई स्कूल पास हैं उनको परिवार नियोजन विभाग में भेजा जा रहा है और यहां से सेवा मुक्त होने पर वे वहां कार्य करेंगी। इसी तरह से १ हजार बहिनें जो इससे कम शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं उनकी नियुक्ति प्राइमरी विद्यालयों में करने का विचार किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त जो १५ ए० डी० ओ० (वीमेन) इन्टर, सी० टी० हैं उनको शिक्षा विभाग में अध्यापक के पद पर नियुक्त किया जा रहा है। इसी तरह से ११ ए० डी० ओ० (वीमेन) जो एम० ए० हैं उनको जो विस्तार योजना शिक्षा और प्लानिंग विभाग की है उसमें २००–४५० क स्कल में नियुक्त किया जा रहा है। जो ७५ बहिनें एम० ए०, एल० टी०, जे० टी० सी०, बी० टी० हैं उनको प्रदेश के शिक्षा विभाग के जो बहुत से विद्यालय हैं उनमें जो स्थान उपलब्ध ह उन पर उनको भेजा जा रहा है। इसी तरह से जो ४० बी० ए० हैं, अर्बन सोशल वर्कर्स के रूप में हैं फैमिली प्लानिंग क अन्तगत १६०–३२० के स्केल में लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त थोड़ी सी बहनें बचेंगी उनको ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे ताकि वह प्राथमिक

[श्री रामप्रकाश]

विद्यालयों में पढ़ा सकें। इस प्रकार से योजना बन रही है कि सभी बहनों को सेवा मुक्ति के साथ-साथ दूसरे विभागों में नियुक्त कर दिया जाय ताकि वह अपना जीवनयापन सफलता से कर सकें। श्रीमन्, जो महिला मंगल योजना है उसको समाप्त क्यों किया गया, इस बारे में इतना कहना पर्याप्त होगा कि महिलाओं के विकास की दृष्टि से यह सरकार कुछ नए ठोस कदम उठाना चाहती है। इसके अतिरिक्त जो महिला मंगल योजना इस समय सरकार के द्वारा चल रही थी उसी प्रकार की योजना समाज कल्याण सलाहकार परिषद् की ओर से भी चलायी जा रही है। इसलिए इसमें डुप्लीकेशन होता था। इस साल भी समाज कल्याण सलाहकार परिषद् की ओर से जिसमें लगभग २० लाख रुपए का प्राविधान है महिला मंगल योजना चलायी जा रही है। उसमें भी नयी नयी योजनायें आ रही हैं। लेकिन सरकार चाहती है कि जो हमारी ऐसी बहनें हैं जो निराश्रित हैं, जिनकी पारिवारिक परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं हैं, जो विधवायें हैं उनके लिए कुछ ठोस काम किया जाय। ऐसे गृह निर्माण किए जायं जहां वे स्थायी रूप से रह सकें और स्वावलम्बी बन सकें और अपने जीवन को उठा सकें। सारा विस्तार महिला मंगल योजना का होने के बाद भी यद्यपि साधारण चेतना उसके द्वारा निर्मित हुई होगी, ऐसा मेरा विश्वास है, लेकिन ऐसी हमारी लाखों बहनें होंगी जो अब भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पायीं और उनके लिए अब तक कोई ऐसी व्यवस्था जो उनको निश्चित रूप से स्वावलम्बी बना दें हम बना नहीं सके। इसलिए इस विभाग के द्वारा नयी योजनायें लाने का विचार सरकार कर रही है।

श्रीमन्, जो नयी योजनायें इस वर्ष ली जा रही हैं उनके बारे में संक्षेप में मैं विवरण देना चाहता हूं। समाज कल्याण विभाग की ओर से जितने काम हो रहे हैं मेरा ऐसा खयाल है कि शायद उनका जनता में ठीक प्रचार नहीं हो पाया और इसलिए यद्यपि उनमें अच्छा काम हो रहा है लेकिन सार्वजनिक रूप से जनता को उनका पता नहीं है जिसके कारण उनकी उपेक्षा होती है। यहीं लखनऊ में विमुक्त जातियों के बालकों के लिए एक प्रगति आश्रम चल रहा है। कल मैं उसमें गया था। वहां १७५ बालक चौबीसों घंटे रहते हैं। ये बालक उन जातियों से आए हैं जो जातियां अपना जीवनयापन ऐसे कामों से करती हैं जो सारे समाज के लिए बड़े खतरनाक हैं। ऐसे धंधे करने वाली जातियों के बालक कितनी प्रसन्नता के वातावरण में वहां अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मैंने कल देखा कि वहां पर एक छात्र जो ८वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुआ है, जिसने बहुत अच्छे नम्बर पाए हैं, डिस्टिंक्शन भी उसे मिला है, वह आगे पढ़ने के लिए कितना उतावला है। ये ऐसे स्थान हैं जहां पर चैतन्य और जीवन बोल रहा है, जिनको देख कर हमारा स्वाभिमान ऊंचा उठ जाता है और हमें गर्व होता है कि अपने समाज के पुराने कोढ़ को दूर कर के नवीन समाज का निर्माण करने जा रहे हैं। इस प्रकार की अनेक योजनायें समाज कल्याण विभाग की ओर से चलायी जा रही हैं। बाल कार्यक्रम में अपंग बालकों के लिए शिशु सदन और जो हमारी बहनें मजबूरी की स्थिति में वेश्यालयों में चली जाती हैं उनके निराश्रित बालकों क लिए बाल सदन और जो पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित परिवारों के बालक थे उनके लिए राष्ट्रीय शिशु संस्थान चलाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से अनेक बालकों के कल्याण के लिए बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी प्रकार से महिलाओं के जीवन में उद्धार करने की दृष्टि से जो प्रोटेक्टिव होम्स हैं उनमें महिलायें जब मुकदमे से मुक्त हो जाती हैं तो उनको रक्षा गृह में रखा जाता है। जो लोग वहां गए होंगे और जिन्होंने इनका उत्सव देखा होगा उनको ऐसा लगा होगा कि इस प्रकार के वातावरण का सामाजिक परिस्थितियों के बदलने के बाद निर्माण होता है और यह ऐसे कार्यक्रम हैं जिन से समाज का वह वर्ग जो अपने जीवन में परिस्थितियों के कारण सदैव तड़पता रहता है उनको इस कष्ट से मुक्त करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं जानता हूं कि इतने बड़े प्रमाण पर यह समस्या साधारण क्षेत्र में दिखाई पड़ती है कि उनके निराकरण के लिए बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार से अंधे, बहरे, गूंगे, कोढ़ी और भिखारी वगैरह और जो अन्य अपाहिज हैं उनके लिए मैंने कोशिश की यह जानने की कि सरकार के पास कोई सर्वे या आंकड़े होंगे कि हमारे प्रदेश

की यह समस्या कितनी बड़ी है। लेकिन मुझे आंकड़े प्राप्त नहीं हो पाए। मेरा ऐसा विश्वास है कि इस प्रदेश के अन्दर कोई भी व्यक्ति जो असहाय है, निराश्रित है, उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए और हमें इस स्तर पर आना पड़ेगा कि यदि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति कहता है कि हमारी व्यवस्था की जाय तो उसके करने में हम समर्थ हों। इसलिए हमें नए-नए आश्रम और गृहों का निर्माण करना होगा। निराश्रित महिलाओं और असहाय बच्चों के लिए एक नए रक्षा गृह की स्थापना के लिए ७४ हजार रुपए की व्यवस्था की गई है। इसी तरह से जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए ५० हजार रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। मानसिक दृष्टि से जो बालक मेंटली रिटार्डेड हैं, बड़े दुख का विषय है कि ऐसे बालकों के लिए प्रदेश में एक भी आश्रम का निर्माण हम नहीं कर पाए हैं। इस साल पहली बार ६० हजार रुपए का प्राविधान एक विद्यालय के लिए किया जा रहा है। श्रीमन्, जो बालक विभिन्न अपराधों में पकड़े जाते हैं और जो १६ वर्ष से कम उम्र के होते हैं, उनके लिए अनुमोदित विद्यालय चलाए जाते हैं। दो नए विद्यालयों के चलाने के लिए १ लाख १० हजार रुपए की व्यवस्था की गई है। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको पढ़ाने के लिए स्कालरशिप देने के लिए ७० हजार रुपए की व्यवस्था की गई है। दो भिक्षुक गृहों के लिए ६० हजार रुपए की व्यवस्था की गई है। ऐसी संस्थाएं जो ऐसे बच्चों और व्यक्तियों को आश्रय देती हैं, जो मानसिक दृष्टि से अविकसित हैं या अपाहिज हैं उनको अनुदान देने के लिए ९२ हजार रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। जो हमारे मूक और बधिर विद्यालय चल रहे हैं उनमें कुछ स्थान बढ़ाने के लिए ७५ हजार रुपए की व्यवस्था इस वर्ष की गई है।

एक नया अन्ध विद्यालय इस वर्ष खोल रहे हैं जिसके लिए ५० हजार रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसक अतिरिक्त अन्ध विद्यालयों में पुस्तकालयों के लिए, जहां अन्धे विद्यार्थी पठन-पाठन कर सकते हैं, उनके लिए ५३ हजार ८ सौ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है। इस तरह से यह अनेक योजनाय चालू की जा रही ह। एक योजना जो श्रीमन् अभी तक विचाराधीन है जिस प्रकार हरिजनों के क्षेत्र में नयी योजना चलाना चाहते हैं उसी तरह से समाज कल्याण के क्षेत्र में अन्धे बालकों के लिए वे बालक जो किन्हीं परिस्थितियों में अपने माता-पिता को खो देते हैं, मैं समझता हूं कि सरकार समर्थ है हर बालक को भुला सकन म कि भगवान ने उनके माता पिता छीन लिए। लेकिन आज ऐसी प्राइवट संस्थाय अन्धे बालकों के क्षेत्र में काम कर रही हैं उनकी व्यवस्था को देखकर अगर अध्ययन किया जाय तो मन रोने लगता है। इसलिए अन्धे बालकों के लिए सरकार को ऐसे रेजिडेंशियल विद्यालयों का निर्माण करना होगा जहां पर बालकों को पढ़ने की भी सुविधा हो, रहने की भी सुविधा हो। सारे प्रदेश म जो बालक असहाय और अनाथ हैं वे सरकार के बालक हैं। इसलिए सरकार को उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार की एक वृहत योजना चालू की जाय इसके लिए भारत सरकार से बात करनी होगी। उनसे विचार चल रहा है, उन योजनाओं के स्थान पर जो पंचवर्षीय योजना में राशि रखी गयी है, उस राशि का उपयोग इस क्षेत्र में किया जाय। एक दूसरा प्रश्न, जिसकी ओर ध्यान तो शायद अभी तक बहुत दिया गया होगा लेकिन ठोस कदम नहीं बढ़ा पाये हैं वह विधवाओं का प्रश्न है। हमारे समाज के अन्दर जो ऐसी विधवा बहनें हैं जिनको देखने भालने वाला नहीं उनको मजबूर होकर पैसा कमाना पड़ता है। उनके भरण-पोषण और स्वालम्बन की एक ऐसी समस्या है जिसका हल सामाजिक क्षेत्र में उत्थान की कल्पना लेकर चलने वाले लोग शायद व्यवहारिक रूप में दे नहीं पाये हैं। सरकार को इस क्षेत्र को भी देखना होगा और ऐसा ठोस कदम उठाना होगा जिससे विधवाओं के लिए कुछ प्रबंध कर सकें। इस प्रकार इन योजनाओं पर आगे विचार होगा। मैं इन शब्दों के साथ इधर बैठने वाले और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि यह विषय हमारी आत्मा की पुकार है। इस विषय पर गंभीरता से सोच विचार करके समाज को आगे बढ़ाने के लिए ठोस सुझाव देंगे। उन सारे सुझावों पर सरकार विचार करेगी और बहुत संभव है कि उन योजनाओं को आगे आपके सामने स्वीकार करते हुए उपस्थित कर

[श्री राम प्रकाश]

सके। इन शब्दों के साथ में इस अनुदान को प्रस्तुत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान में कटौती का प्रस्ताव† प्रस्तुत करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान संख्या २९ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—१८ प्रतिशत रिजर्वेशन को प्रभावी बनाने हेतु मूल्यांकन करना और हरिजनों तथा अन्य भूमिहीनों के लिए आवश्यक आवास व्यवस्था, पानी पीने के लिए स्वच्छ जल की सुविधा देने तथा मुफ्त शिक्षा और दवा का बन्दोबस्त करने हेतु प्रभावी कदम उठाना—इन सभी लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार नियमों आदि में संशोधन करना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय शिक्षा मंत्री, जिनके पास हरिजन और समाज कल्याण विभाग भी है, ने हरिजनों के संबंध में अपना अनुदान सदन से पास करने हेतु रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री जी ने अपने भावों और उद्गारों का प्रकटीकरण सदन के समक्ष किया है, वह सुनकर उन पर तरस आता है और दुख भी होता है इस बात के लिए कि जिस प्रकार की भावना वह हमारे सामने अभी रख रहे ह इस मांग को मानन के लिए, उसके विषय में चाहे इस पक्ष के सदस्य हों चाहे उस पक्ष के सदस्य हों उनके बीच में कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सारा राष्ट्र और सारा समाज एक परिवार है और उसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा युग युग की दासता और हजारों साल की गुलामी के बाद उन्हें मौका मिला है कि वे आज जनतंत्र के प्रांगण में अपने उत्थान की बात कर सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनका विचार सत्य है, लेकिन प्रभाव में, व्यवहार में इस मुल्क के अन्दर देश के २०/२२ प्रतिशत हरिजनों के साथ किस प्रकार का व्यवहार प्राचीन-काल में मध्यकाल में और आज के जागृत काल में होता चला आ रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। श्रीमन्, मैं इतिहास के पन्ने नहीं उलटना चाहता हूं हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि देहात के अन्दर रहने वाले और सारे देश में रहने वाले हरिजनों के साथ किस प्रकार का जुल्म और अत्याचार आज भी होता चला आ रहा है और जिसकी ओर से हमारे मंत्री जी भी अपनी आंख नहीं फेर सकते हैं। मंत्री जी ने यह भी कहा कि २० साल के शासन काल में इस ओर कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ और कोई सन्तोषजनक कार्य नहीं हुआ। इस संबंध में इतना मैं भी कहना चाहता हूं कि इस दिशा में बहुत कुछ सराहनीय कदम उठाये गये हैं। मैं मंत्री जी के विचारों का समर्थक नहीं, यद्यपि वह मेरा समर्थन चाहते हैं। देश की आजादी के बाद समाजवाद की स्थापना के लिए यहां के रहने वालों को समान अवसर, समान आर्थिक उत्थान का अवसर, समान शिक्षा, और समान सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के अवसर देने के लिए जिस प्रकार की योजनाओं और भावनाओं की आवश्यकता थी, जिस प्रकार की भावना देश के कर्णधारों ने व्यक्त की थी उनके अनुसार, दुख के साथ कहना पड़ता है, कांग्रेस के अलावा किसी भी सरकार ने प्रभावकारी कदम नहीं उठाये। मैं यह भी कहने में संकोच नहीं करता जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि कुछ सदस्यों ने उनके सामने इस बजट के संबंध में प्रतिवेदन किया और माननीय मंत्री जी ने उन्हें समझा भी दिया कि इस वर्ष के बजट में हरिजन कल्याण के लिए बजट में ज्यादा धन की व्यवस्था है। किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि जो बजट माननीय मंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत किया है उसको देखने के बाद कोई भी समझदार और समाजवाद पर यकीन करने वाला नहीं कह सकता और कदापि नहीं कह सकता कि यह बजट हरिजनों के हित को दृष्टिकोण में रखकर तैयार किया गया है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि इससे हरिजनों का गला घोंट दिया गया है और उनके साथ भीषण अन्याय और अत्याचार किया गया है।

---

†[अन्य कटौती के प्रस्तावों के लिए देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ ७८३–७८५ पर।]

माननीय मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री जी ने जैसा कि कहा है कि उनकी सरकार को प्रदेश की ८ करोड़ जनता का विश्वास प्राप्त है, लेकिन इस बजट को देखने के बाद, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उनको और उनकी सरकार को अब उनका विश्वास नहीं मिलेगा और अब आपको कोई हक नहीं कि आप कुर्सी पर बैठें और उनके कल्याण का दावा करें। इसके लिए मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप अपने साथ बैठे हुए ही हरिजन भाइयों के दिलों को टटोलें उनसे पूछें। वे कहते हैं कि बजट का तो अनुमोदन करेंगे लेकिन जो कटौतियां की गयी हैं उनका विरोध करेंगे। पता नहीं क्या मजबूरी है जो आपके बजट का विरोध नहीं करना चाहते। आपने उनकी भावनाओं को देखकर उनको समझाने के लिए कह दिया कि जो कमियां हैं उनको आप अगले सप्लीमेंटरी बजट में लायेंगे। इसमें क्यों नहीं किया आपके पास इसका जवाब क्या है। जब शिक्षा बजट आपका आया था तब मैंने अपने विचार प्रकट किए थ कि आप अखण्ड भारत का नारा लगाते हैं, हिन्दी राष्ट्रभाषा का नारा लगाते हैं, भारतीय संस्कृति का नारा लगाते हैं। मैं आपकी इन भावनाओं की हृदय से कद्र करता हूं लेकिन आपके कार्य ऐसे हो रहे हैं जिससे डर है कहीं इस भारत के और टुकड़े न हो जायं। मैं कहता हूं कि आप भारतमाता के सच्चे सपूत नहीं हैं और अभी तो इस देश के दो टुकड़े हुए हैं लेकिन आप इसके ३ टुकड़े कराने के लिए उतारू हैं और इसका पहला कदम आज आपने उठाया है, हरिजनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, इसकी सारी जिम्मेदारी आप पर है।

माननीय वित्त मंत्री ने जिस वक्त अपना बजट भाषण पढ़ा था तब २० साल के कांग्रेस शासन की तो बड़ी चर्चा की लेकिन प्रदेश के करोड़ों हरिजन भाइयों पर क्या बीत रही है उसके लिए आपके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला और मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो हरिजन मंत्री हैं माननीय मंगलदेव जी विशारद उनके मुखसे भी जब वे खड़े हुये तो एक शब्द भी नहीं निकला। माननीय महीलाल जी ने कई बार अपने विचार रखे किन्तु हरिजनों के लिए आपके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। आप मंत्रिमण्डल में गद्दियों के चक्कर में न पड़कर हरिजनों की बात कहत, हरिजनों का सही नेतृत्व करते तो आप मुख्य मंत्री बन सकते हैं लेकिन अगर आप हरिजनों का प्रतिनिधित्व न करेंगे तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं आपसे, उप मुख्य मंत्री जी द्वारा मुख्य मंत्री जी से कि अगर वे लोग सदन में हरिजनों की दशा को ठीक बनाने की ओर अग्रसर नहीं होंगे तो जो हालत माननीय मान सिंह वर्मा की हुई है वही आप सब की होगी। हरिजनों ने उनको अपना प्रतिनिधि नहीं माना और इसलिए उनको सदन से बाहर कर दिया।

माननीय उप मुख्य मंत्री ने कहा कि पिछले साल जो आंकड़े रखे गये उनमें खर्च नहीं हुआ इसलिए हमने भी साफ कर दिया। यह है आपकी हरिजनों के साथ हमदर्दी। १९ सूत्री प्रोग्राम बनाते हैं, जब कांग्रेसी सरकार थी तब जनता के बीच में जाकर गरीबों, हरिजनों और मजदूरों की हमदर्दी लेने के लिए चिल्लाया करते थे कि सत्ता हमें दो, हम तुम्हारा नक्शा बदलेंगे लेकिन जब आपके अपने शब्दों में ८ करोड़ जनता ने शासन आपको सौंपा तो कानों में तेल डालकर चुप बैठ गये। आप जब अपना कार्यक्रम काय न्वित नहीं करते तो आगे क्या करेंगे। हमें तो आपने सदा अपने पैरों की जूती समझा है। उत्तर प्रदेश में २० साल तक जो हरिजन पुनरुत्थान क कार्य किए गए उन पर आपकी नजर पहुंच गयी है और आप उसे सब समाप्त करन के लिए उतारू हो गये हैं। आपकी भावना है ७० में रिजरवेशन खत्म होने वाला है और उसको खत्म कराने में उपमुख्य मंत्री और आप और आपकी जनसंघ पार्टी ने ही यह सबसे ज्यादा पहला प्रभावकारी कदम उठाया है। मैं कहता हूं कि आपकी यह तानाशाही और हरिजन विरोधी नीति बहुत दिन नहीं चल सकती है क्योंकि अब वह २० साल पहले वाला हरिजन नहीं रहा। अगर पहले एक डाक्टर अम्बेदकर था तो मैं साफ कहना चाहता हूं कि अगर हरिजन हितों के साथ कुठाराघात हुआ तो १ नहीं, एक हजार और एक लाख अम्बेदकर पैदा होंगे। (व्यवधान) मैं बड़े संयम के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता हूं। यह गैर कांग्रेसी सरकार जनता के बीच में जाकर हरिजनों से यह बात कहती है कि जब तक इस देश में हरिजनों को ऊपर

[श्री धर्मवीर]

नहीं उठाया जायगा तब तक इस देश का उत्थान नहीं हो सकता है। मैं पूछता हूं इस देश के अन्दर आप किसको ऊपर उठाना चाहते हैं ? लखपती और पूंजीपति को ऊपर उठाना चाहते हैं यही आपका उसूल है। पददलित हरिजनों और पिछड़े वर्ग को उठाया जाय यही समाजवाद का लक्ष्य है लेकिन इस अरबों रुपये के बजट में ३ करोड़ ५० लाख रुपया रखकर यह गैर कांग्रेसी सरकार प्रदेश के हरिजनों के साथ, जिनकी संख्या २।।, ३ करोड़ है, खिलवाड़ करना चाहती है। हम तो तब अच्छा समझते जब कांग्रेस २० साल में जो नहीं किया वह आप करके दिखाते। तब हम उसको हरिजन उत्थान का काम मानते। मैं तो कहता हूं कि यह कांग्रेस सरकार की ही बदौलत है कि माननीय महीलाल जी यहां पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। यह उस कांग्रेस नीतियों का ही परिणाम है कि हरिजन यहां पर दिखाई देते हैं अन्यथा कभी भी चुनकर नहीं आ सकते थे और जिस तादाद म हम यहां पर बैठे हुए हैं उतनी तादाद में हम यहां नहीं आ सकते थे क्योंकि हम तो समाज क अन्दर अछूत समझे जाते हैं। अगर आप यह समझते हैं कि हरिजनों के उत्थान क लिए आप बहुत कर रहे हैं तो मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनके उत्थान के लिए क्या यही बजट है ? अगर इस सरकार का हमारी तरफ ध्यान था तो उनके लिए इस तरह के क्रांतिकारी कदम उठाते जिनको देखकर इधर बैठे हुये हमारे भाई यह सोचते कि इस सरकार ने कांग्रेस के २० साल के शासन से अच्छा काम हरिजनों के लिए किया है और उनके उत्थान के लिए क्रांतिकारी कदम उठाया है और हम सब इस सरकार के कदम मजबूत करने की बात सोचते। पर इस सरकार ने क्या नई बात कर दी ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब ज्यादा दिन तक यह सरकार इन कुर्सियों पर नहीं रह सकती। वे सब मिलकर हमारा साथ देंगे और इस सरकार को बहुत शीघ्र इस सदन से बाहर निकाल देंगे। पहले हरिजनों के लिए जो भी टुकड़ा मिलता था आपने उसमें भी कटौती कर दी है।

हमारे समाज कल्याण मंत्री जी ने एक शब्द कहा है कि हरिजनों को निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्ति से ही हम हिन्दुस्तान में या प्रदेश में हरिजन उत्थान नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनका आर्थिक विकास न हो। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस गैर कांग्रेसी सरकार के बनाये हुए हरिजन बजट को देखें कि हरिजनों के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए क्या किया गया है। उनके उत्थान के लिए इन्होंने यह किया है कि बंजर भूमि के लिए कृषि में कार्य करने के लिए जो उनको अभी तक ग्रांट मिलती थी उसको भी साफ कर दिया है। आपने इस रिपोर्ट में दिया है कि चूंकि हरिजनों के लिए जो बंजर भूमि देने की बात थी वह बंजर भूमि उनको नहीं मिलती है। हरिजनों को किस प्रकार से वह भूमि प्राप्त हो ? जब सरकार ने देखा कि उनको बंजर भूमि उपलब्ध नहीं होती है तो उनकी ग्रांट को ही काट दिया। हरिजन लोग गांव में रहते हैं लेकिन उनको वह बंजर भूमि नहीं मिल पाती है। उस बंजर भूमि पर पहले ही वहां के बड़े लोग अधिकार करके बैठ गये हैं। यहां पर तो प्रस्ताव पास करते हैं कि वह जमीन हरिजनों को दी जाय लेकिन गांव में उनको एक इंच भी जमीन नहीं मिल पाती है। इस वजह से उनका वह अनुदान काट दिया गया। क्या इसी तरह से हरिजन उत्थान करके हरिजनों की आर्थिक समस्या को सुलझाया जायगा ? यह उनके लिए तरक्की का ही कदम उठाया गया कि जो कदम उनकी तरक्की और डेवलपमेंट के लिये बढ़ा हुआ था उसको आपने साफ कर दिया। आप क्या करेंगे ? मालूम होता है कि कुटीर उद्योगों की ग्रांट खत्म कर के आप हरिजनों के लिए राउर केला कौर मिलाई के कारखाने खोलने जा रहे हैं। ढाई सौ, चार या पांच सौ रुपया लेकर इन अपाहिजों ने अगर मशीनें खरीद कर अपना जीविकोपार्जन करना शुरू किया था, उसे भी आप ने साफ कर दिया और इस को भी आपने कितनी बेशर्मी से कहा कि हमने इस ग्रांट को उठा दिया। मुझे ताज्जुब होता है कि आप स्वास्थ्य आवास की योजना कैसे उठायेंगे। अभी हम अछूत हैं अलग रहते हैं, लेकिन इसके साथ ही आप कहते हैं कि आप हमको बराबर का अधिकार देंगे। मकान के लिए जो ग्रांट दी जाती थी उसे भी आपने साफ कर दिया। जब कोई भी हरिजन आवेदन-पत्र नहीं दे सकता कि उसका छप्पर गिर गया है या उसकी झोपड़ी में आग लग गयी है और उसे उसके लिए कुछ सहायता दी जाय। अगर कोई

उसके लिए प्रार्थना करे तो आप के यहां से उत्तर मिलेगा कि उप मुख्य मंत्री जी ने उस ग्राँट को समाप्त कर दिया है। यह कुठाराघात आपने हमारी भावनाओं पर किया है।

इसके बाद उनको रोजगार के लिए कुछ पैसा मिलता था, मकान के लिए जमीन मिलती थी, रहने के लिए जमीन मिलती थी, उस सब को आप ने साफ कर दिया और इसके साथ ही उप मुख्य मंत्री जी ने यह नहीं बतलाया कि उनकी योजना क्या है। उन्होंने यही कहा कि सोचा जायगा और बाकी की कटौतियां सप्लीमेंटरी बजट में करेंगे। कटौती आपने इसलिए की है कि आप जनता को धोखा दे सकें। आपने ५५ लाख का सरप्लस बजट दिखाया है कमजोर हरिजनों को दबा कर, ऐसा करके आपने प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारी ही ग्राँट में कटौती करनी थी? विकल जी ने कहा था कि हम ५०० रुपये से अधिक वेतन नहीं लेंगे, कहा था कि ११ अथवा १५ से अधिक मंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन वहां बस नहीं चला। बस चला हरिजनों पर, जो पिसे हुए हैं, ठुकराए हुए हैं, उनको दबा कर झूठी प्रशंसा लेने के लिए आपने प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। आज गृह मंत्री जी यहां नहीं हैं, लेकिन आप गृह मंत्रालय की रिपोर्ट देखें। देहातों में जितने भी कत्ल तथा फौजदारियां होती हैं उनमें फंसने वाले अधिकांश हरिजन होते हैं और वह इसलिए कि हरिजन आज उठना चाहता है। वह समझता है कि कुंयें से पानी भरने का उसको अधिकार है, तालाब में नहाने का उसे अधिकार है संविधान में उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन वहां जाने पर उस पर लाठियों की बौछार पड़ती है, उसकी कमर तोड़ दी जाती है। प्यासे को पानी पिलाना धर्म है, लेकिन हरिजनों को जो पीने के पानी के लिए व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया। दुनियां में ऐसा दृष्टांत नहीं मिलेगा। आपने उनकी ग्राँट काट कर सरप्लस बजट पेश किया है। मैंने उस दिन कहा था, फिर दोहराता हूं कि अगर आपका मंत्रिमण्डल जनता में विश्वास प्राप्त करने को निकले तो जनता आपको एक मिनट के लिए भी सुनना पसन्द नहीं करेगी। अगर लाख, दो लाख रुपया इसमें चला भी जाता तो क्या नुकसान था? जो विमुक्त जातियां थीं, जरायम पेशा लोग, उन्होंने अंग्रेजों से टक्कर ली थी, अंग्रेजों ने उनको कुचलने के लिए उनको जरायम करार दे दिया। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केंद्र तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके लिए योजना बनायी और उनको रहने के लिए मकानों की सुविधा दी। उनके रोजगार के लिए प्रति परिवार ४–४ हजार रुपये तक की सुविधायें थीं, लेकिन मंत्री जी ने जरा भी रहम नहीं खाया और उनकी ग्राँट को भी साफ कर दिया। आप हरिजन भाइयों को समझाना चाहते हैं कि हमने सरप्लस बजट प्रस्तुत किया है? वह तो सिर्फ कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की है और पोलिटेक्निक की बिल्डिंग बनाने के लिए किया है, लकिन हरिजन का आर्थिक पुनरुत्थान किस प्रकार करेंगे जबकि उनके सारे अनुदानों को आपने काट दिया। शिक्षा के प्रसार वाली ग्राँट को काट दिया। ९३ लाख का पिछले साल प्राविधान था और इस साल वह कम से कम १,२०,००० होनी चाहिए थी, क्योंकि छठवीं से विद्यार्थी सातवीं में आते हैं और १०वीं क्लास तक की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और १०वीं से ऊपर की केंद्र की है। लेकिन आपन उसको बढ़ाने के बजाय, ८३ लाख कर दिया। आपने तो १९ सुत्री प्रोग्राम म कहा था कि दसवीं तक मु त शिक्षा देंगे, मुझे दहशत है इस बजट को देखकर कि कहीं हरिजन बच्चों पर फीस न लग जाय—चाहे आधी लें, छमाही हो, लेकिन वह पढ़ नहीं सकते। क्योंकि जब हरिजन बच्चा पढ़कर आगे निकलता है तो वास्तव में वह आपकी आंखों की किरकिरी बन जाता है....मुझे ५ मिनट का और मौका दें।

अध्यक्ष महोदय, आपने जिक्र किया कि पब्लिक सर्विस कमीशन में गैर-कांग्रेसी सरकार ने बड़ा भारी क्राँतिकारी कदम उठाया। यह धोखा है। जिस हरिजन को इसमें आपने एप्वाइन्ट किया है उसका सदन में नाम डिसक्लोज तक नहीं करते और जिनका आपने जिक्र किया वह आपकी दया के भिखारी नहीं थे। वह तो आई० जी० होने वाले थे, लेकिन उसको आई० जी० आप बर्दाश्त नहीं कर सके और वहां से हटाकर ऐसी जगह भेज दिया और फिर सरकारी तौर से बाकायदा घोषणा भी नहीं की गयी इसलिए इसी धोखे में बजट पास हो जाय। बजट तो

[श्री धर्मवीर]

पास कर ही लेंगे, लेकिन आप जनता में क्या मुंह लेकर जायेंगे। राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट है, मेरे पास समय नहीं है और जिन बड़े-बड़े शिक्षा विदों से, प्रोफेसरों से इस कमीशन ने बातें कीं हरिजनों के विषय में, उन सभी ने कहा कि बुनियादी तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक आप करोड़ों बैकवर्ड और हरिजनों को उठायेंगे नहीं। आपके पास इसके लिए क्या कार्यक्रम है? लेकिन आपके पास तो उसके लिए पैसा ही नहीं है। छात्रवृत्ति के संबंध में कमीशन ने कहा है "स्पेशल प्रावीजन फार स्कालरशिप्स, फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एण्ड फ्रॉम प्राविन्शयल गवर्नमेंट", लेकिन डबल की कौन कहे आप तो कहते हैं कि केंद्रीय सरकार की योजना चल रही है, उसी से मिलेगी। आपने उसकी राशि तक घटा दी है। पहले ५० प्रतिशत थी, अब २५ प्रतिशत ही दे पायेंगे। आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के ५० बच्चों को छाँटेंगे ५वीं क्लास से १०वीं क्लास के ताकि उनको विशेष शिक्षा दी जा सके। मुझे तो यह बीरबल की खिचड़ी ही मालूम होती है। करोड़ों बच्चों में केवल ५० के लिए आप योजना बना रहे हैं कि उनको आश्रम के ढंग की शिक्षा देकर हायर एजूकेशन में ले जायेंगे जबकि शिक्षाविदों ने और राधाकृष्णन कमीशन ने कहा, चुनौतियां दी हैं कि इसदेश का विकास तब तक नहीं होगा जब कि हरिजनों को आप ऊपर नहीं ठायेंगे। न तो अब छात्रवृत्ति देंगे, न फीस माफ करेंगे, न होस्टल में जगह उनको मिलेगी। उनको तो आज यह हाल है कि छठवीं क्लास में जगह नहीं मिलती एडमीशन के लिए। स्कालरशिप का मिलना तो दूर रहा, छठवीं क्लास में एडमीशन नहीं मिल पा रहा है औरों के लिए जगह हो जाती हैं, मगर हरिजन और पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए बजह नहीं मिलतीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कहा गया कि हरिजनों के उत्थान के लिए हम एक योजना बना रहे हैं जिसको आगे आने वाले समय में हम सदन के समक्ष रखेंगे। मैं कहता हूं कि आपको अभी यही पता नहीं कि कल आपका क्या हाल होगा, आप रहेंगे भी या नहीं। संविधान के अनुसार रिजर्वेशन हमको मिलना चाहिए और उसकी व्यवस्था आपको इस बजट में करना चाहिए थी। आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उस रेजर्वेशन को पूरा कर सकें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर हम सरकार में आ गये तो हम १८ की जगह जितना परसेंटेज है २०—२२ प्रतिशत का रेजर्वेशन पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं आपका ध्यान सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की तरफ भी दिलाना चाहता हूं जिसमें प्रमोशन के केसेज में भी रेजर्वेशन देने की बात कही गयी है। आपका ध्यान उस ओर भी नहीं गया है। आप बजाय कोई क्रांतिकारी कदम उठाते, उल्टे उन लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं, वे आज भी झोंपड़ियों में सड़ रहे हैं। मैं माननीय झारखन्डेराय जी से पूछता हूं, माननीय प्रतापसिंह जी से पूछता हूं, आपने उनके लिए क्या किया? आपके होते हुए हम लुट गये, हमारी ग्रांट काट दी गयी और आप देखते रहे। अन्त में मान्यवर, आपके द्वारा मेरा इस गैर कांग्रेसी सरकार से निवेदन है कि वह इस बजट को वापस ले, इस ग्रांट को वापस लेकर, फिर से इसे पुनरीक्षित करके सदन के समक्ष रखे और ऐसा बजट पेश करे जो हरिजनों के लिए कल्याणकारी हो, अन्यथा इस ग्रांट को पास करने के लिए हम एक पैसा भी देने को तैयार नहीं हैं। इन शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने इस अनुदान को वापस लें।

(स्वास्थ्य मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य—

इस अनुदान पर पिछड़ी जाति के लोगों को ही बोलने का अवसर मिलना चाहिए।

श्री धर्मवीर—

अध्यक्ष महोदय, उधर भी बैठने वाले और इधर भी बैठने वाले कई माननीय सदस्य जो हरिजन और पिछड़ी जाति से आते हैं, बोलना चाहेंगे, आप उनको इस अनुदान पर बोलने का पहले अवसर दें तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष---

मैं ऐसा समझता हूं कि हरिजन समस्या और हरिजन उत्थान का प्रश्न केवल हरिजनों का ही नहीं है, वह सारे सदन, सारे देश और सारे समाज का प्रश्न है।

*स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रताप सिंह)---

मान्यवर, मेरे खड़े होने पर अभी जो माननीय सदस्य ने ऐतराज किया, उस पर मुझे गुस्सा नहीं आया और वह इसलिए नहीं आया कि २० वर्ष में इस कांग्रेसी सरकार ने, जो अपने को समाजवादी सरकार कहती थी, उसने इन हरिजनों के लिए कुछ नहीं किया। उनके एतराज करने से मुझे तकलीफ नहीं है।

मान्यवर, मेरे लायक दोस्त को बड़ी शिकायत है और मैं भी मानता हूं कि हरिजनों के साथ वीकर सेक्शन आफ सोसाइटी के साथ जो न्याय करना चाहिए था वह नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि इस तीन महीने की सरकार पर आपका जो अटैक होना चाहिए, आपको यह पूछना चाहिए कि इस तीन महीने के अन्दर जो सरकार यहां बैठी है उसने कौन सा काम किया जिससे समाज के वीकर सेक्शन के अधिकारों का हनन हुआ।

(व्यवधान)

श्री धर्मवीर---

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहूंगा कि इस संबंध में मैंने सारी बातें कह दीं परन्तु माननीय प्रताप सिंह जी पूछ रहे हैं अब कि राम राक्षस था या रावण।

श्री अध्यक्ष---

राम और रावण की कथा पर मत जाइए। माननीय सदस्य के भाषण को सुनें।

श्री प्रताप सिंह---

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि मेरी टूटी-फूटी बातों को माननीय सदस्य सुनने का कष्ट करें। मैं यह कहना चाहता हूं कि बीस साल के बाद जो यह ग्रांट पेश हुई, हमारी कांग्रेस सरकार ने २० साल तक थारू और बोकसा की जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स थीं, उनको नहीं डिक्लेअर किया। हमारी सरकार ने आते ही एक हफ्ते में इन जातियों को शेड्यूल ट्राइब्स घोषित कर दिया और इनको वही सारी सुविधायें दी जायेंगी जो और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को दी जाती हैं। जो बीस साल तक आप नहीं करवा सके, उसको एक नोट भेज कर करवा दिया गया। इसके लिए आपको इस सरकार को बधाई देनी चाहिए।

डाक्टर सीताराम (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, इस मामले को एक साल पहले मैंने भेजा था। ये गलत कह रहे हैं कि इन्होंने भेजा।

श्री प्रताप सिंह---

श्रीमन्, मैं एक स्टेटमेंट हाउस के अन्दर दे रहा हूं। अगर वे समझते हैं कि गलत है तो पूछ सकते हैं। प्रिविलेज मोशन ला सकते हैं। यह स्टेटमेंट आफ फैक्ट है। मान्यवर, जिस समय मुझसे पूछा जायगा तो मैं जवाब दूंगा। दूसरी बात यह है कि हरिजन भाइयों के साथ क्या सलूक रहा। यह हमारा जो बजट है यह सब का बजट है, वीकर सेक्शन आफ सोसाइटी का बजट है जिसमें समाज कल्याण भी है, महिलायें भी हैं, यह कह देना कि यह बजट केवल हरिजन भाइयों के लिए ही है, यही ठीक नहीं है। श्रीमन्, मैंने जो वादविवाद में हिस्सा लिया उसका कारण यह है कि हमारे भाई बहनों ने जो हड़ताल की उनमें से कयों को नौकरी से निकाल दिया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रताप सिंह]

गया। तो मैं आपके जरिए इस सदन को बता दूं कि मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि विधान भवन के बाहर जो बहनें हड़ताल कर रही हैं, जितनी भी बहनें अनावश्यक विभागों में काम करती थी उन सबको स्वास्थ्य विभाग में उनकी योग्यता अनुसार लिया जायेगा और मैं समझता हूं कि अब कोई भी ऐसी बात नहीं रह जाती जिसे राजनैतिक अखाड़ा बनाया जाय। मान्यवर, यह पहला मौका है कि जो कैबिनेट इस सरकार की बनी है उसमें इस वीकर सेक्शन आव् सोसाइटी के साठ प्रतिशत व्यक्ति मिनिस्टर हैं (व्यवधान) श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे नवयुवक दोस्त, जिन्होंने कट मोशन रक्खा, उनसे मैं कहूंगा कि जब वे जवाब दें तो अपने हृदय पर हाथ रख कर पूछें कि बीस साल तक जो हुकूमत करती चली आ रही थी सरकार उसने वीकर सेक्शन आव् सोसाइटी के अधिकारों की रक्षा की या २० साल से जो मांग चली आ रही थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन में भी हरिजनों का प्रतिनिधि होना चाहिए, जिसको बैठे हुये साथी ने ठुकराया, हमारी सरकार ने उसको करके दिखा दिया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जब माननीय मंत्री जी बोल रहे हों तो मैं चाहूंगा कि उस समय माननीय सदस्य सदन में व्यवधान न करें। माननीय सदस्य जब बाद में खड़े हों तो उत्तर दें।

श्री प्रताप सिंह--

आज यहां पर यह कहा जाता है कि हरिजनों की ग्रांट कम कर दी है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उन विभागों की जो प्रदेश की प्रगति में बाधा डालते हैं, उनकी ग्रांट कम कर दी गयी है न कि हरिजन विभाग की। हमारी जो महिलाएं हैं, उनको रोजगार देने का प्रबंध करना हमारा फर्ज है और मैं अपने लायक दोस्तों से कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न को लेकर जो इसे राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहते हैं, वे ऐसा न करें। महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार अवश्य काम पर लगाया जायगा। हमें अभी स्वास्थ्य विभाग में २-१/२ या ३ हजार की आवश्यकता है। हमारी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो बी० टी०, जे० टी० सी० या सी० टी० पास हैं, उन्हें तो किसी प्रकार की ट्रेनिंग की भी आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त एक रीजनल ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें नर्सेस की ट्रेनिंग होती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारी बहन, रानी साहिबा बाहर जाकर बहनों से निवेदन कर दें कि वे अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दें। हम आश्वासन देते हैं कि हम किसी बहन को बेकार नहीं होने देंगे। अन्त में मैं अपने दोस्त जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, से प्रार्थना करूंगा कि यदि वे चाहते हैं कि वीकर सेक्शन का उत्थान हो, तो उनका स्थान कांग्रेस में नहीं है, वे इधर आकर बैठें।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, अभी माननीय प्रताप सिंह जी ने कहा है कि ३ महीने में इस सरकार ने कौन सा ऐसा काम किया है जिससे हरिजनों को नुकसान पहुंचा है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं और उधर से भी बताया गया है कि कृषि विकास के लिये पिछले साल १ लाख रुपये की सहायता हरिजनों के लिए रखी गयी थ लेकिन इस वर्ष में उनके लिये एक पैसा भी नहीं रखा गया है। कुटीर उद्योगों के विकास के लिए पिछले वर्ष ३ लाख ३४ हजार रुपये की सहायता के लिए प्रबन्ध किया गया था लेकिन इस वर्ष एक पैसा भी इस कार्य के लिए नहीं रखा गया है। अनुसूचित जन जातिओं के लिए कुटीर उद्योग के लिए पिछले वर्ष ५०,००० रुपये की धनराशि रखी गयी थी लेकिन इस साल एक पैसा भी नहीं रखा गया है। उन्हीं के लिए कृषि विकास के लिये ५०,००० रुपये का गत वर्ष प्राविधान किया गया था लेकिन इस वर्ष एक पैसा भी नहीं रखा। पेय जल की सुविधा के लिए कुओं आदि के निर्माण के लिए गत वर्ष ५,५५,००० रुपये रखे गये

लेकिन इस वर्ष कोई धनराशि इस कार्य के लिए नहीं रखी गयी है। इसी तरह से गृह निर्माण के लिए भी कोई धनराशि नहीं रखी गयी है। इस प्रकार से सरकार ने इस जाति का सबसे बड़ा अहित किया है। माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पिछले साल यह बजट ३ करोड़ ४५ लाख का था लेकिन इस वर्ष इसे ३,६७,३४,००० रुपये का कर दिया है। इस साल सत्ताइस लाख पचास हजार तीन सौ रुपया, मान्यवर, इस सरकार ने केवल सरकारी कर्मचारियों के वेतन के संबंध में इसमें बढ़ाया है। इस प्रकार से करीब-करीब जो धन पिछले साल था वही इस वर्ष भी रखा गया है। इस तरह से हरिजनों के बच्चों को सहूलियत देने में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है।

अनुसूचित जातियों के छात्रों को शुल्क के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि १०वीं कक्षा के ऊपर के जितने भी छात्र हैं, उनकी फीस और छात्रवृत्ति भारत सरकार देती है। छठी कक्षा के नीचे के विद्यार्थियों की सब की फीस माफ है। सातवें दर्जे से १०वे दर्जे तक बच्चों की फीस के लिए राज्य सरकार प्रबन्ध करती रही है। पिछले वर्ष रिएम्बर्समेंट फीस के लिए अर्थात शुल्क की क्षति के लिए राज्य सरकार ने ७३ लाख रुपये की व्यवस्था की थी और उसमें १ लाख ४९ हजार लड़कों ने लाभ उठाया। गत वर्ष ही ११४ लाख रुपये की इसमें आवश्यकता थी। ७३ लाख आय-व्ययक से और १५ लाख रुपया बचत से कुल इस प्रकार से ८८ लाख व्यय पिछले साल में किया गया। अभी गत वर्ष की रिएम्बर्समेंट फीस ही २५ लाख रुपया देना है। इस वर्ष ८८ लाख रुपये का इसमें प्राविधान है। इस प्रकार २५ लाख रुपया निकालने पर ६३ लाख रुपये इसमें बचे। ६३ लाख रुपये बचेंगे फीस के लिए, जबकि इस साल १ करोड़ ३० लाख की जरूरत होगी। या तो इन लड़कों की आधी फीस लगायी जाय या ६ महीने तक पूरी फीस माफ कर दी जाय। इसलिए मैं चाहूंगा कि मंत्री जी जवाब दें तो इस बात को स्पष्ट करें कि कक्षा ७ से १० तक लड़कों की फीस साल भर तक जिस तरह से पहले माफ रहती चली आयी है उसी तरह से इस साल भी माफ रहेगी कि नहीं।

मान्यवर, जिला स्तर पर अभी तक २ क्लर्क होते थे हरिजन विभाग में। १ समाज कल्याण का होता था जो हरिजन उत्थान का काम करता था। इस साल सरकार ने आदेश दिया है कि ३ की जगह १ क्लर्क रखा जाय। जब भारत सरकार की छात्रवृत्तियों का काम बढ़ रहा है तो १ क्लर्क किस तरह काम करेगा, यह मेरी समझ में नहीं आता। इससे जिलों में हरिजन छात्रों की छात्रवृत्तियां समय पर पाने में बड़ी दिक्कत होगी।

किस तरह से इस विभाग का कोई पुरसाहाल नहीं है, इसकी मैं मिसाल देता हूं। गवर्नमेंट लेविल पर कोई भी अधिकारी नहीं है। अभी तक एक डिप्टी सेक्रेटरी होता था और एक विशेष अधिकारी इस विभाग में थे त्यागी जी और कुरील साहब इस पद पर थे। इन दोनों अधिकारियों का इस समय तबादला कर दिया गया है। कोई भी अधिकारी सरकारी स्तर पर काम देखने वाला नहीं है और सभी काम रुका हुआ है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में एक पोलीटेक्निक अभी खुला है लखनऊ में। तीन आई० टी० आई० हैं, गोरखपुर, नैनीताल और बक्शी-का-तालाब में चल रहे हैं। इन सभी स्कूलों की नौन-रेकरिंग सहायता इस साल काट दी है। जितने छात्रावास थे, पुस्तकालय थे, अस्पृश्यता निवारण के जितने काम थे उन सब में सरकार ने कटौती कर दी है। इसलिए सरकार का जो दावा है कि हमने बजट को बढ़ाया है और कोई भी काम हरिजनों के उत्थान में बाधा डालने वाला नहीं किया है, मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इन सभी विषयों पर जवाब दें जो मैंने उठाए हैं, जिससे सभी को संतोष हो जाय। अगर संतोष नहीं होगा तो जो आप के साथी हैं वे भी आप का घोर विरोध करेंगे और उस अवस्था में आपका उन कुर्सियों पर बैठे रहना संभव नहीं होगा।

कहा गया है कि राधाकृष्ण अग्रवाल की अध्यक्षता में जो एक कमेटी नियुक्त हुई थी उसने बहुत सी सिफारिशें की हैं। उनमें एक सिफारिश यह भी थी कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की

[श्री माता प्रसाद]

सर्विसेज के लिए २५ फी सदी और चतुर्थ में ४५ फी सदी का रिजरवेशन किया जाय और जब तक यह कोटा पूरा न हो जाय तब तक चलता रहेगा। इसके लिए एक जी० ओ० भी सरकार की ओर से ३ जून, १९६४ को ई यू हुआ है। लेकिन दुख की बात है कि इसका पालन न तो पहले किया गया और न आज ही उसका पालन किसी।

(इस समय १ बजकर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र, पीठासीन हुए।)

मात्रा में किया जा रहा है। यों तो बहुत आदेश हुआ करते हैं लेकिन जब तक उनका पालन न हो तब तक वह बेकार हैं, इसलिए सरकार इस तरह के आदेश दे कि जो भी अधिकारी इन आदेशों को अवहेलना करेंगे, बहाना करेंगे, कि योग्य व्यक्ति नहीं मिलते हैं, उनको बैड एन्ट्री दी जाय, उनका प्रमोशन रोका जाय अगर ऐसा किया जायगा तो मेरा विश्वास है कि थोड़े ही दिनों में यह रिजरवेशन पूरा हो जायगा। यह कहना कि योग्य आदमी नहीं मिले, सही नहीं है। इसलिए कि मैं जानता हूं और, श्रीमन्, आप भी हमारे क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, आप भी जानते होंगे कि बी० ए० पास करके भी बहुत से हरिजन विद्यार्थी प्राइमरी स्कूल की अध्यापकी नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब कोई जरूरत होती है तो कह दिया जाता है कि कंडिडेट नहीं मिलते। हजारों की तादाद में नौकरी के लिए इन लोगों ने अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराया है। उन लोगों को नौकरी देने की जरूरत है क्योंकि उनके पास खेत नहीं होता, रोजी का और कोई साधन नहीं होता है, इसलिए उनको नौकरी जरूर दी जानी चाहिए। यद्यपि सरकार की ओर से आदेश है लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है जिससे यह दुर्गति उठानी पड़ती है। मैं चाहता हूं कि सरकार उस ओर भी ध्यान दे।

एक चीज मैं और कहना चाहता हूं। हरिजन कल्याण निदेशालय में ४० जगहें स्थायी करने के लिए हैं और वे काफी दिनों से चल रही हैं। बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो वहां १०– ० और १५–१५ साल से काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनके स्थायीकरण के लिए सरकार शीघ्र ही व्यवस्था करे।

एक चीज की तरफ मैं और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अस्पृश्यता वाली बा ' जब तक हमारे देश में मौजूद रहेगी तब तक हमारे देश के अन्दर रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वे अपने को मनुष्य नहीं समझेंगे। आज भी सरकार की ओर से उनकी बिलकुल ही उपेक्षा की गयी है। कहने को तो कहा जाता है कि हम एक ही परिवार के हैं, एक ही वर्ग के हैं लेकिन व्यव ार में बुरा असर होता है। इसलिए सरकार ने अस्पृश्यता की मद में जो कटौती की है उस पर ध्यान दें।

उनके लिए सबसे बड़ी चीज आर्थिक विषय की है। जब तक इस वर्ग का आर्थिक उत्थान नहीं होगा तब तक किसी तरह से भी कल्याण नहीं हो सकेगा। जो कुओं की ग्राँट में कटौती की गई है, उद्योग धन्धों की ग्राँट में कटौती की गई है, मकानों की ग्राँट में कटौती की गई है, कृषि उत्थान की ग्राँट में कटौती की गई है उनको आप पूरा करें। आज भी हरिजनों को दो दो मील से पीने के लिए पानी लाना पड़ता है। आज भी हरिजन लोग गन्दे गड्ढे से पानी लाकर पीते हैं। उनके लिए पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में जो ग्राँट में कटौती की गयी है वह बहुत ही अनुचित है। माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि पिछले साल जो खर्च होने को था वह नहीं हुआ इसलिए ग्राँट में कटौती कर दी गयी है। मैं भी हरिजन कल्याण समिति का सदस्य रहा हूं तथा और लोग भी रहे हैं। किसी हरिजन अधिकारी की ओर से कोई खबर नहीं मिली और न कोई कमेटी बुलायी गयी। यदि रुपया खर्च करने की बात थी तो उसे क्यों नहीं खर्च किया गया? यदि नहीं खर्च किया गया तो जिसकी वजह से खर्च नहीं किया गया उसके विरुद्ध स त कार्यवाही होनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जो कटौती है उस कटौती को वे पूरा करें। आर्थिक मामले में और फीस की घोषणा करें कि उन्हें फीस न लगे, क्लास ७ से १० तक जो छात्रवृत्ति दी जाती है उसमें किसी तरह की कमी न होगी, इसकी घोषणा करें और भी जो बहुत सी बातें कही गयी हैं उन सब के बारे में माननीय मंत्री जी घोषणा करें। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जवाहर लाल जाटव (जिला कानपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय हमारे माननीय धर्मवीर जी जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनकी कदर करता हूं लेकिन मैं यह भी अनुभव करता हूं कि अगर यह सरकार आज उधर के माननीय सदस्यों की होती तो कदाचित माननीय धर्मवीर जी ऐसा विचार कभी व्यक्त नहीं करते। हरिजन जाति के लिए चाहे वह उत्तर प्रदेश के हों, चाहे बंगाल अथवा महाराष्ट्र के हों, सबके सामने एक समान ही समस्यायें हैं। इस सरकार में मैं तो नया आया हूं---लेकिन एक कम नब्बे माननीय सदस्य हरिजन वर्ग के थे। सन् १९४६ में तो कम थे लेकिन सन् १९६२ से १९६७ तक उनकी संख्या ८९ बनी रही। माननीय डाक्टर सीताराम जी भी, मुझे खुशी है कि इस समय वे मेरे सामने हैं उनके पास हरिजन विभाग खुद था वह खुद हरिजन वर्ग के हैं लेकिन पिछले १५ वर्षों के अन्दर किसी भी माननीय सदस्य ने पिछली सरकार में रहते हुए भी हरिजनों के शोषण व उत्पीड़न की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं किया। यदि किसी माननीय सदस्य को इसमें शक हो तो सदन की कार्यवाही मौजूद है। हरिजनों की समस्या बेशुमार हैं और वे लम्बे जमाने से चली आ रही हैं, आज दो महीने की बनी हुई इस सरकार के समय की वे समस्यायें नहीं हैं। मैं धर्मवीर जी से कहना चाहूंगा कि जिन-जिन समस्याओं की तरफ उन्होंने सदन में अपने विचार व्यक्त किए वे क्या आज के जमाने की हैं? १८ परसेंट हरिजनों को संरक्षण मिलने की जो बात है वह आज तक पूरा नहीं हुआ। प्रदेश के स्तर पर अथवा जिले के स्तर पर यह १८ परसेंट का संरक्षण सर्विस में आज तक हरिजनों को प्राप्त नहीं हुआ। यह समस्या आज की है अथवा पुरानी है समस्या के सामाधान का एक मात्र उपाय केवल आलोचना करना अथवा किसी पर आक्षेप करना ही नहीं है। कुछ रचनात्मक सुझाव आपकी तरफ से आने चाहिए थे। आप आलोचना अवश्य करें। जनतंत्र प्रणाली का यह एक मुख्य अंग है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आपकी तरफ से कुछ ऐसी बातें आनी चाहिए जो रचनात्मक हों और जिनसे जिस समाज के बारे में हम कह रहे हैं उसका कुछ कल्याण हो सके।

मैं इसके पहले वाले सदन का सदस्य नहीं था। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन में जिस हरिजन व्यक्ति की नियुक्ति का प्रश्न था तो मैंने भूतपूर्व मुख्य मंत्री सुचेता कृपालानी से बातचीत की थी। उनके सामने कुछ नाम आये थे और उदयवीर जी जो उधर बैठे हैं वे इस बात को जानते भी ह। तो क्या वह चीज उस समय पूरी न हो सकी? आखिर ऐसी कौन-सी आफ थी? क्या भूतपूर्व सरकार को ऐसा कोई योग्य हरिजन व्यक्ति नहीं मिला जो पब्लिक सर्विसकमीशन का सदस्य होने के लिए उपयुक्त समझा जाता? (व्यवधान) मैं इधर चला क्यों आया, इससे कोई समस्या का सामाधान नहीं होता। प्रश्न यहां पर १ करोड़ हरिजनों के लिए कुछ काम कराने का है। उसके लिए कुछ आपकी तरफ से सुझाव आने चाहिए। मैं तो आरोप नहीं लगाता कि पिछली सरकार ने यह नहीं किया, इसे तो मैं आप पर छोड़ता हूं, आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि आप खुद निर्णय करें कि फलां फलां काम अथवा अमुक काम जो पिछली सरकार में हो जाना चाहिए था वह क्यों नहीं हुआ? मैं तो वस्तुस्थिति आपके सामने रख रहा हूं। जैसे पिछली सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन में हरिजन सदस्य की नियुक्ति नहीं की थी और उसके सामने कुछ मजबूरियां थीं उसी तरह यह सरकार भी न करती। तो आलोचक की दृष्टि दोनों ही तरफ होनी चाहिये, उसे अच्छे कामों की प्रशंसा करनी चाहिये और गलत कामों की आलोचना करनी चाहिये। तभी आलोचक की उदारता और उसकी पक्षपातरहित नीति का पता चलता है, वरना आलोचना करने को कोई करे लेकिन उसमें कोई सार नहीं होगा। मैं यह कह रहा हूं कि अगर यह सरकार पक्षपातहीन न होती तो पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एक हरिजन को नियुक्त किया है वह कभी न करती। (शोरगुल) आप ऐसे काम को अगर गलत समझते हैं तो इस सरकार की आलोचना कर सकते हैं लेकिन मैं तो हरिजन होने के नाते इस सरकार की प्रशंसा करता हूं। (व्यवधान) मैं मजबूर हूं, मेरा थोड़ा सा वक्त रह जाता लेकिन अगर माननीय धर्मवीर जी पिछली सरकार से और माननीय डाक्टर साहब

[श्री जवाहर लाल जाटव]

बैठे हुये हैं उनसे पूछ लें कि उस आई० पी० एस० के जो शैड्यूल्ड कास्ट का पहला मेम्बर था इतना तंग किया पिछली सरकार ने कि उसको किसी कैवाल टाउन में जहां एस० एस० पी० की पोस्ट होती है वहां पोस्ट नहीं किया और जब उसने इस अन्याय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फरियाद की और वहां से यह निर्णय हुआ कि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसको डी० आई० जी० का पद बहुत पहले ही मिल जाना चाहिये था तब भूतपूर्व सरकार ने उसे दिया था। मैं कहता हूं कि कौन सा ऐसा सदस्य है जो श्री दौलत राम के साथ हुये अन्याय को न जानता हो और जानते हुये न मानने की बात कहें, तो बड़े दुख की बात है।

इसमें तो कोई शक नहीं है कि हरिजनों की इस प्रदेश में स्थिति बड़ी खराब है, बड़ी उत्पीड़न है और बड़ी उपेक्षा है। फर्क इतना है कि माननीय सदस्य उसको आज की भाषा में कह सकते हैं, मैं यह कहता हूं कि यह स्थिति बहुत पहले से चली आ रही है और इसकी वास्तविक जानकारी के लिये सरकार को एक कमीशन की नियुक्ति करनी चाहिये। यह बहुत आवश्यक काम है और उसके दो काम मैं बताता हूं सुझाव के रूप में। एक तो देहातों के अन्दर खेतिहर जमीन के बंटवारे के बारे में वह सरकार के सामने आंकड़े प्रस्तुत करे कि अमुक जिले में इतने गांव हैं और जो जमीन हरिजनों को दी गयी पंचायतों के जरिये उसका अनुपात क्या है। इससे बहुत बड़ा कल्याण हरिजनों का होगा। कमीशन का दूसरा काम यह कि हरिजनों के लिये सर्विस में जो १८ परसेन्ट संरक्षण है उसकी जिला स्तर पर और प्रदेशीय स्तर पर इन्क्वायरी करें। (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, मेरा बहुत सा समय तो बर्बाद हो गया। मैं तो लम्बा भाषण करता भी नहीं और करना पसन्द भी नहीं करता लेकिन इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि समाजवाद की बहुत चर्चा की जाती है लेकिन समाजवाद का वास्तविक लक्ष्य और स्वरूप क्या है उसे इस देश के साधारण श्रेणी के लोग अब तक नहीं समझ पाये, भले ही कुछ ऊंचे किस्म के लोग जानते हों। मैं आपसे कहता हूं कि समाजवाद का लक्ष्य बहुत बड़ा है और जिस देश में पग पग पर भिन्नता है, ऊंच नीच का भेद है और आर्थिक विकास के नाम पर जहां समाजवाद लाना चाहते हैं वह मेरे विचार में भी संभव नहीं है। एक बात का मैं अनुभव करता हूं कि यदि भारतवर्ष के लोग भारतीय परम्परा में विदेशी परम्परा के आधार पर परिवर्तन करने का विचार रखेंगे तो वे कभी भी सफल नहीं होंगे। समाजवाद का वास्तविक अर्थ मध्यम मार्ग है यानी शासन की वह व्यवस्था है जो न बहुत कठोर हो और न बहुत शिथिल हो। यह भगवान बुद्ध का सिद्धान्त था और इसी के द्वारा उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी के द्वारा उन्होंने संसार को ज्ञान देने की चेष्टा की। एक चमार करोड़पति हो जाये तब भी वह चमार ही कहलायेगा, उसकी बराबर उपेक्षा होती रहेगी और वह ज्यों का त्यों नीच बना रहेगा। जहां ऊंच और नीच का प्रश्न हो वहां समाजवाद की बात करना ठीक नहीं है। १९ वर्ष से यह नारा लगता चला आ रहा है, लेकिन इसकी जड़ इसलिये मजबूत नहीं हुई है क्योंकि इसकी आधारशिला की ही हम उपेक्षा करते हैं और हम आर्थिक विकास को ही आधार मानते हैं। यूरोप में तो आर्थिक विकास ही समाजवाद का आधार हो सकता है क्योंकि वहां जाति प्रथा और ऊंच नीच का सवाल नहीं है। वहां सब एक हैं। एक सीढ़ी तो उनकी पहले से बनी हुई है। दूसरी सीढ़ी आर्थिक विकास की आती है। इस पर वे कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहां दोनों दिशाओं में साइड बाई साइड कार्य करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अस्पृश्यता निवारण के लिये सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जाति प्रथा का प्रभाव हमारे देश में घर घर में है, चाहे खत्री का घर, चाहे वैश्य का घर हो और चाहे ब्राह्मण का घर हो। जब तक यह चीज रहेगी तब तक अस्पृश्यता जरूर रहेगी किसी न किसी रूप में। अस्पृश्यता को दूर करने के लिये कोई सामाजिक संस्था नहीं है। यह काम सरकार का नहीं है लेकिन सरकार का संरक्षण मिल सकता है। यह एक जन कल्याणकारी कार्य है। इस देश और प्रदेश की गरीबी जहां अन्य कारणों से हो सकती है वहां सब से बड़ा कारण सामाजिक भेदभाव है। जैसे कहा गया है कि "जहां सुमति तहां सम्पत्ति

माना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना" अर्थात् जहां सुमति है वहां शान्ति है और जहां कुमति है वहां विपत्ति है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो चुका है ।

श्री जवाहर लाल जाटव—

आपने बड़ी कृपा की है । लेकिन अस्पृश्यता का जो गम्भीर प्रश्न है उसके बारे में मैं अपेक्षा करता हूं कि इसके निवारण के लिये माननीय सदस्य सुझाव देंगे । मेरे विचार में जब तक लोगों के संस्कार नहीं बदले जायेंगे तब तक अस्पृश्यता निवारण में हम को सफलता नहीं मिल सकती । उप मुख्य मंत्री शिक्षा मंत्री भी हैं, उनके जरिये से हमें मालूम हुआ कि कुछ आश्रम व्यवस्था की शिक्षा भी चल रही है । मैं आपके माध्यम से उप मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर ऐसे स्कूल अवश्य खोले जायं जिनमें सभी जाति और वर्ग के लड़के पढ़ाये जायं जो आश्रम व्यवस्था पर चलें, वहीं रहें और वहीं पढ़ें । इसका अस्पृश्यता निवारण पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा । इन शब्दों के साथ मैं धर्मवीर जी से फिर निवेदन करूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री गोपालदत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो बोलने का समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । आज हमारे प्रान्त में अनुसूचित जातियों की संख्या १ करोड़ ५६ लाख के करीब है । १९५१ की सेंसस की रिपोर्ट के अनुसार पिछड़ी जातियों की संख्या २ करोड़ ७० लाख और विमुक्त जातियों की संख्या १८ लाख आती हैं । इन आंकड़ों से ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारे प्रदेश में पिछड़ी जातियों की संख्या आबादी के अनुसार करीब दो-तिहाई आती है। इस लिहाज से बजट में बहुत कम पैसा रखा गया है। ३ सौ २७ करोड़ के बजट में करीब ४ करोड़ रुपया हरिजनों और समाज कल्याण के लिये रखा गया है । जब हरिजनों की समस्या बढ़ती जा रही है तो जो बजट में व्यवस्था की गयी है उसको बढ़ाना चाहिये । उनकी दशा बड़ी दयनीय है । जब माननीय मंत्री हमारे यहां गये थे तो मैं उनसे मिला था । लेकिन उन्होंने इंटीरियर में नहीं देखा जहां भोटिया रहते हैं । वहां उनकी शिक्षा का और आने जाने का कोई साधन नहीं है । उनको कोई प्रिफरेंन्स नहीं दिया गया है । बहुत दिन पहले उनका तिब्बत से व्यापार था । वह खत्म हो गया । जमींदारी उन्मूलन के बाद वह ऐबसेंन्टी लैंडलार्ड हो गये । पहाड़ों में कोई जमीन नहीं है उनके द्वारा भावर और देहरादून में जमीन लेने की कोशिश की गयी लेकिन दुर्भाग्य है कि उनको कहीं जमीन नहीं मिली । मैं निवेदन करूंगा कि उत्तराखंड के उत्तरी छोर में जो भोटिया कौम है जिनको किसी इंस्टीट्यूशन में प्रिफरेन्स नहीं दिया जाता, नौकरी में प्रिफरेन्स नहीं दिया जाता उनके लिये विशेष व्यवस्था की जायं क्योंकि वे सीमान्त निवासी हैं ।

जहां तक हरिजनों को प्राविधिक शिक्षा देने के बारे में कहा गया है, मैंने नैनीताल में प्राविधिक शिक्षण केन्द्र को देखा । हमारे उत्तर प्रदेश में एक गोरखपुर में, एक लखनऊ में और एक नैनीताल में ऐसा केन्द्र चल रहा है । परन्तु श्रम विभाग द्वारा जो आई० टी० आई० संचालित है उसकी जो योग्यता व कार्यकुशलता है इन केन्द्रों में नहीं मानी जाती । जब नौकरी का सवाल आता है तो उन्हें प्रिफरेन्स नहीं दिया जाता। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में मेरठ एवं बनारस में प्राविधिक शिक्षा केन्द्र खोलने की व्यवस्था की थी और उत्तराखंड में बार-बार कहा गया कि औद्योगिक शिक्षण केन्द्र खोले जायं, जिससे वहां मेकैनिक, लोहारी, फिटिंग का काम सिखा सकें, जिससे छोटे मोटे रोजगार वहां खुल सकें, वहां पर आई० टी० आई० खोले जायं ताकि उत्तराखंड के लोगों को कुछ रोजगार मिल सके परन्तु जिस पैटर्न पर नैनीताल में केन्द्र खोला गया है ऐसा उत्तराखंड में अभी तक नहीं खोला गया है। अब मैं उप मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि यदि हो सके तो वहां पर एक प्रशिक्षण केन्द्र अवश्य खोला जाये, ताकि वहां के लोग वहां पर प्राविधिक शिक्षा प्राप्त कर लें

[श्री गोपालदत्त ओझा]

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि हर जिले में एक हरिजन एवम् समाज कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की गई है और यह व्यवस्था सब जिलों में बनी हुई है, किन्तु उत्तराखंड के विकास के लिये जब कि वहां पर हरिजनों के लिये करीब २५ लाख रुपया रखा गया है, वहां पर ऐसी कोई पोस्ट नहीं है । कैसे वहां के हरिजनों का उत्थान होगा ? कौन उनकी अप्लीकेशन लेगा, कौन उनके दुःख दर्द को सुनेगा ? कुछ साल पहले यहां पर हरिजन कल्याण अधिकारी की एक पोस्ट थी किन्तु अब वह पोस्ट खत्म कर दी गई है । इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जैसे पहले पिथौरागढ़ में एक हरिजन और समाज कल्याण अधिकारी था, उनकी फिर से नियुक्ति की जाये, ताकि हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण का काम समुचित प्रकार से हो सके ।

अस्पृश्यता को दूर करने के लिये जिलों में सामाजिक कार्यकर्त्ता नियुक्त होता है, उसको कुल ५० रुपया मासिक मानदेय दिया जाता है, जो कि आज की भीषण महंगाई को देखते हुये बहुत ही कम है । जब यह विभाग अपनी शुरूआत में था तब भी इन कार्यकर्त्ताओं के लिये ४० हजार रुपया सालाना रखा गया था और आज भी ६७ में ४० हजार रुपया रखा गया है । इतने कम धन में कैसे उनकी गुजर होगी, कैसे वे प्रचार काय कर सकग और कैसे दिल से, मेहनत से, वे अपना काम कर सकेंगे ? उनके वेतन का अधिकांश भाग तो अपनी ड्यूटी पर इधर से उधर जाने में मार्ग व्यय में ही खर्च हो जाता है । अतः सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की ओर मंत्री जी को देखना चाहिये कि ये लो पेड कर्मचारी इतने कम वेतन में कैसे समाज की सेवा कर सकते हैं । जब मैं बरेली गया था । वहां पर बाल अधिनियम के अन्तर्गत एक बाल न्यायालय खोला गया था, वहां पर एक महिला न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है लेकिन हमें दुःख है कि वहां से महिला का पद समाप्त करके अब वह पद एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को दिया जायगा । छोटे-छोटे बच्चों के लिये जिनके मस्तिष्क बड़े कोमल होते हैं, जिनको एक विशेष प्रकार का व्यवहार चाहिये और जिनकी समस्यायें मनोवैज्ञानिक ढंग से हल की जानी चाहिये, उनकी व्यवस्था के लिये महिला न्यायाधीश का हटाना मैं किसी दृष्टि से उचित नहीं समझता हूं । इसके अतिरिक्त मैजिस्ट्रेट के पास काम की इतनी अधिकता रहती है कि वह अपना पर्याप्त समय इस ओर नहीं दे सकता है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर महिला न्यायाधीश की ही नियुक्ति की जाये। आनरेरी मैजिस्ट्रेट के जो पद समाप्त कर दिये गये हैं, यह व्यवस्था बाल न्यायालयों के हित में उचित नहीं है । इस व्यवस्था में अगर बदलाव हो जायेगा तो हमारे बच्चे जो वहां पर जाते हैं, प्रगति नहीं कर सकते हैं ।

हमारे यहां इस विभाग से कृषकों को ५०० रुपया कृषि सुधार के लिये मिलता है और हरिजन कृषि समिति को ५,००० रुपया तक इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि चूंकि जो रुपया ग्राम सभाओं और पंचायतों के द्वारा उन्हें दिया जाता है, उस धन का इन माध्यम द्वारा दुरुपयोग होता है और लोगों को रुपया देर में मिलता है, इसलिये यह रुपया उनको डायरेक्ट दिया जाया करे न कि दूसरों के माध्यम से ।

१९५४ में कांग्रेस पार्लियामेंटरी पार्टी में पंडित नेहरू जी ने कहा था कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनके लिये भी नौकरी में रिजर्वेशन दिया जाय अगर अनुसूचित जातियों को ही १८ प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जायगा तो इतनी बड़ी आबादी वाले पिछड़ी जातियों का क्या होगा ? पंडित नेहरू जी ने कहा कि "If we donot equalise casteism will flowrish" अगर बैकवर्ड क्लासेज को आगे बढ़ाने के लिये कोशिश नहीं करेंगे तो जातिवाद और बढ़ जायगा और हम एक क्लास को पैदा कर देंगे । इसलिये मैं उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि चाहे आई० ए० एस०, पी० सी० एस०, या टेकनिकल कालेजों में जहां भी अनुसूचित जातियों को प्रिफरेंस दिया जाय वहां बैकवर्ड क्लास के लोगों को भी प्रिफरेंस दिया जाय क्योंकि वे भी तो एजूकेशनल और सोशली बैकवर्ड हैं । इन दिक्कतों को दूर करने के लिये, उनकी समस्याओं को सुधारना अत्यन्त आवश्यक है । उप मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हरिजनों का एक सदस्य पब्लिक सर्विस कमीशन में रख दिया है । इससे क्या लाभ होगा ? अगर ८९ अनुसूचित जाति सदस्य वहां

हैं तो वहां सिर्फ एक आदमी रख देने से क्या होगा ? अगर इसी तरीके से नौकरियों में कहीं कहीं एक एक आदमी रख दिया जाय तो इससे क्या उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जायगी ? मैं कहता हूं कि आप वास्तविकता को पहचानें और ग्रामों में बसे पिछड़ी हुई जाति के लोगों की स्थिति सुधारने की कृपा करें । इतना कह कर मैं उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का समय दिया है ।

श्री सिया राम (जिला एटा)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं, मैं उन व्यक्तियों की तरफ से बोल रहा हूं जो हजारों वर्षों से सताये हुये हैं, भूखे और नंगे हैं समाज के द्वारा ठुकराये हुये हैं और अपना अपमानित जीवन व्यतीत कर रहे हैं । माननीय सदस्य ने अभी एक बात कही कि यहां पर बड़े जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अत्याचार इन तीन महीनों से आरम्भ हुये हैं या बीस साल से हो रहे हैं कांग्रेस में रहने वाले व्यक्ति जो यहां आये वे हरिजनों का उत्थान करने के लिये नहीं बल्कि केवल अपने निजी स्वार्थ तक यहां अपने को सीमित रखते रहे । जो हरिजनों के लिये कांग्रेस में लड़े और लड़ते रहे उन्हें कांग्रेस ने अपने यहां से निकाल दिया और दूसरे एलेक्शन में टिकट नहीं दिया । उनको विरोधी समझा गया और तब विवश होकर उनको किसी अन्य पार्टी में जाना पड़ा । जो उनकी मानते रहे और आज भी मान रहे हैं उनको ही टिकट दिया जाता है और दिया जायगा । जो कांग्रेस में विरोधी हरिजन है उनके साथ आज वहां कांग्रेस में कैसा बर्ताव किया जा रहा है । प्रान्त की बात छोड़ दीजिये, केन्द्र ही को लीजिय । श्री जगजीवन राम जी को प्रधान मंत्री बनाना चाहिये था लेकिन उनको प्रधान मंत्री न बनाकर इंदिरा गांधी को प्रधान मंत्री बना दिया गया और उनका कोई नम्बर तक नहीं रखा । क्या कारण है ? कांग्रेस के लोग किस तरह से अपने पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ व्यवहार करते हैं यह बात इसी से पता चलती है । आज २० साल हमें आजाद हुये हो गया । जब आजादी मिलने वाली थी तब गांधी जी और कांग्रेस ने वादा किया था कि न कोई अमीर, न कोई गरीब, और न कोई ऊंच न नीच, न अछूत और न सछूत जाति कैसा भी भेद नहीं रहेगा । लेकिन आज क्या हालत है ? गांधी जी महाराज हमारे साथ एक बहुत बड़ा अन्याय कर गये । पहले हम हमको हिन्दू समाज में वैसे ही अनेक नामों से पुकारा जाता था लेकिन अब हरिजन नाम देकर एक वर्ग विशेष पैदा और कर दिया जिसका नतीजा यह हुआ कि हम हरिजनों के नाम से पुकारे जाने लगे हैं और आज भी हरिजन हैं । कांग्रेस सरकार ने यह वादा किया था कि उनको समान स्तर पर ले आयेंगे लेकिन आज भी उनकी वही दशा है । जिस प्रकार का वादा किया गया था अगर उस तरह से उसे पूरा यहां पर किया जाता तो यहां न गरीबी ही रहती और न अमीरी सब लोग समान स्तर पर आ जाते और एक समाज ऐसा बन जाता जो वर्गहीन और प्रगतिशील कहा जाता । म उस समय की बात कहता हूं जब यहां पर पाकिस्तान से लोग देश का बंटवारा होने के बाद आय थ । ईमानदारी क साथ सरकार ने उनके लिये सभी सहूलियत पैदा की और वे सब यहां पर सरसब्ज हो गये लेकिन हरिजनों की आज भी वही दशा है जो पहले थी जो हजारों वर्षों से यहां आबाद हैं । आजादी के बाद राजनैतिक स्वतंत्रता तो मिली लेकिन आर्थिक स्थिति में हमारा कोई सुधार नहीं हुआ । सरकार को इन गरीबों की आर्थिकस्थिति पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है । यह बात सही है कि राजनैतिक तौर पर हम एम० एल० ए० और एम० पी० तो हो जाते हैं लेकिन समाज के अन्दर हमारी वही स्थिति है जो पहले थी । उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है । गांव के अन्दर आप देखें कि कोई भी सामाजिक परिवर्तन नहीं आया है । वही हालत है जो पहले थी । हरिजनों की बारात निकलने नहीं दी जाती है । उनको कोई त्योहार नहीं करने दिया जाता है । क्या यह सरकार ऐसा इन्तजाम करेगी जिससे राजनैतिक उन्नति के साथ-साथ उनको आर्थिक और सामाजिक उन्नति करने का मौका मिले ? कांग्रेस सरकार ने यह वादा किया था कि हरिजनों को १८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जायगा । राजनैतिक तौर पर तो हम यहां चुनकर आ जाते हैं लेकिन नौकरियों में हमारा प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हो पाया । जो कांग्रेस सरकार ने वचन

[श्री सिया राम]

बिया था वह पूरा नहीं हुआ । नौकरियों के अन्दर हरिजन २, ३ प्रति शत भी नहीं हैं । मुझे आशा है कि नई सरकार इस तरफ अपनी तवज्जह देने की कृपा करेगी ।

इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं । यह सही है कि विद्यालयों में हरिजनों के लिये दरवाजे खुले हुये हैं लेकिन जब हरिजन लड़के विद्यालयों में दाखिला लेने जाते हैं तो उनको जो परेशानी होती है उसको वे ही जानते हैं । जब कि सरकार की तरफ से आदेश यह है कि कोई भी हरिजन छात्र बिना फीस के दाखिल हो सकता है लेकिन फिर भी उनसे फीस चार्ज कर ली जाती है। इसलिये इस प्रकार का प्रबन्ध किया जाय जिससे हरिजन छात्रों को वहां पर दाखिले के समय कोई परेशानी न हो। सरकार से मेरा यह भी निवेदन है कि १८ प्रति शत दाखिले के लिये जो स्थान रखे जाते हैं १८ प्रति शत के बजाय उनके लिये २५ फी सदी कर दिया जाय और यह दाखिले के स्थान हरिजनों के लिये ३१ अगस्त तक रिक्त रखे जायं । उसके बाद अगर हरिजन छात्र न मिले तो दूसरे व्यक्तियों के लड़कों को लिया जाय । हरिजन छात्रावास के लिये मेरा निवेदन है कि उनमें २५ प्रति शत हिन्दू छात्र भी रखे जायं और हिन्दू छात्रावासों में २५ प्रति शत हरिजन छात्र रखे जायं। यदि इस तरह से कर दिया जाय तो यह भेदभाव की भावना जल्दी दूर हो सकती है । हिन्दू समाज क अन्दर यदि अन्तर्जातीय विवाह की प्रथा डाल दी जाय तो इससे भी भदभाव की भावना दूर हो सकती है और सरकार एक ऐसा नियम बना दें जो व्यक्ति अन्तर्जातीय विवाह करेगा तो सरकार उसे नौकरियों में प्राथमिकता देगी ।

गांवों के अन्दर जो परती या छूटी हुई भूमि है वह हरिजनों को दी जाय । जबकि यह १९ सूत्री कार्यक्रम के अन्दर है तब भी उनको नहीं दी जा रही है । प्रधान इस प्रकार की भूमि को दूसरे लोगों को दे रहा है । प्रधानों को सरकार इस तरह के आदेश शीघ्र भेज दे कि जो भूमि हरिजनों के अलावा जिन अन्य जातियों को दे दी गई हैं उसे तुरन्त वापिस लेकर उन गरीब भूमिहीन हरिजनों को दे दी जाय ।

इस तरह से हरिजनों के लिए सरकार ने जो वायदा किया है जमीन देने का, वह जमीन वास्तव म उसको नहीं दी गयी है। इसके बाद जमीन का सही बंटवारा होना चाहिए। भूमि का मालिक वह है जो उसे जोतता है। बहुत से लोग सैकड़ों, हजारों बीघे जमीन दबाए बैठे हैं, उनकी मोटरें चल रही हैं, और दूसरे कारोबार हैं लेकिन जमीन भी लिए बैठे हैं और उस पर मेहनत करता है बेचारा गरीब हरिजन। इसलिए जमीन का मालिक उसे बनाया जाय जो जमीन पर खुद मेहनत करता हो और जो जमीन को जोतता है। इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उदयवीर सिंह (जिला एटा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो बजट पेश है आज के दिन वह खास तौर से अछूतों के कल्याण के लिए पेश कियागया है। मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी जिसके लिए कहा जाता है कि "गवर्नमेंट आफ दि पीपुल, बाई दि पीपुल, फार दि पीपुल" वह गवर्नमेंट यहां है नहीं। और पूंजीवादी डेमोक्रेसी के इस सेटअप में हम उम्मीद करें कि कोई समाजवादी ढंग का बजट हमारे सामने आएगा तो वह उम्मीद कभी पूरी नहीं होगी। अब तक हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त भी इस सदन में पूंजीवादी ढंग का बजट पेश होता रहा और आज यह मिली जुली सरकार है, जिसको भानुमती का कुनबा कहा जा सकता है---कम्युनिस्ट सोशलिस्ट, पी० एस० पी०, और दक्षिण पंथी, वामपंथी, ऐसा रंगबिरंगा रूप हमने सरकार का कहीं नहीं देखा। इस सरकार में ऐसा बजट अगर आता है तो उस में आश्चर्य की बात नहीं है। यह बजट केवल पूंजीवादी बजट ही जैसा नहीं है, बल्कि रुढ़िगत भावनाओं से लदा हुआ बजट है। इस बजट को देखने से मालूम होता है कि अभी समाजवादी शक्तियों की ताकत बहुत कमजोर है। अगर समाजवादी ताकतें मजबूत होतीं तो इस तरह का बजट न होता। आगे चल कर हम देखेंगे कि जब जनसंघियों का पूरा आधिपत्य होगा तो इसमें जो कुछ समाजवादी

भावना है वह भी समाप्त कर दी जायगी और अछूतों की बात करने वाला गोली और संगीन का शिकार बना दिया जायगा। आज सरकार का सारा आर्गनाइजेशन जनसंघ की आड़ में छिपे हुए आर० एस० एस० माइन्डेड लोगों के हाथ में है और उन्हीं को सरकार में रखा गया है। मुझे अफसोस इस बात का है कि समाजवाद की बात करने वाले सोशलिस्ट, पी०एस० पी० और कम्युनिस्ट भाइयों के होते हुए, उनके सामने, उनकी निगाह के नीचे से यह सारी बातें गुजर रही हैं इस तरह का बजट यहां पेश हो गया और वे जनसंघियों के इशारे पर नाचते रहे। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कांग्रेस में थे, वह कभी समाजवाद की बात करते थे, वह भी आज उन के हाथ की कठपुतली बन गए। तो आज जनसंघ का बोलबाला है और उन्होंने यू० पी० के कोने-कोने में अपना क्रूर व खूनी पंजा बड़ी मजबूती के साथ जमा दिया है और जमाते चले जा रहे हैं। पर हमें खतरा उनका नहीं है, बल्कि उनका है जो उनके साथ बैठे हुए हैं। क्योंकि जर्मनी में हिटलरवाद कभी ऐसे गठबंधन से पैदा हुआ था। उन्हें होशियार हो जाना चाहिए कि आज किस शक्ति को आप शक्ति दे रहे हैं? हो सकता है कि कहीं देश में हिन्दू फासिस्ट राज कायम न हो जाय तो आगे चलकर क्या होगा। ऐसे बजटों पर बहस हो रही है और होती रहती हैं और ऐसे बजट पास होकर अलमारियों में सड़ रहे हैं, अछूत की बात कोई नहीं पूछता। मैं तो कहता हूं कि जितनी अछूतों में सियासी बेकारी आएगी, राज नीतिक चेतना आएगी' जितना उनका एजीटेशनल मूड होगा उतना ही यह बजट बढ़ता हुआ नजर आएगा। हमारे अछूत भाई भी चिल्ला रहे हैं कि हमको नेस्तो-नाबूद कर दिया, मिटा दिया लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। मैं तो समझता हूं कि अब हमें होशियार, शक्तिशाली व सुसंगठित रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे दिलों पर बड़ा जबरदस्त हमला हो रहा है, कुठाराघात और डाकेजनी हो रही है। हमें ख्वाबे खरगोश में नहीं सोना है। डेमोक्रेटिक सेट-अप में यह पोलिटिल फ्रौड बरदाश्त नहीं किया जा सकता। हमें समाजवादी ढंग पर क्रान्ति करनी होगी। यहां हमारे हरिजन एम०एल०ए० जो बैठे हुए हैं, समाजवादी विचार धारा के लोग जो उनके साथ बैठे हुए हैं, वे साठ-गांठ किए हुए हैं दक्षिण पंथियों से मैं अपील करता हूं वे हमारे साथ कदम-कदम होकर आगे चलें और शक्ति दें। वह उस आने वाले दक्षिण पंथी तूफान की तरफ नहीं देख रहे हैं जिसमें हम ही नहीं सारा देश बरबाद हो जायगा। इसलिए मैं आप लोगों को चेतावनी देता हूं और उन भाइयों को जो समाजवाद की बात करते हैं और समाजवादी आदर्शों के साथ गद्दारी करते हैं और वे उनके साथ बैठे हुए हैं जो समाजवादी आन्दोलन के बड़े शत्रु हैं। इस मिली-जुली सरकार से वह उम्मीद करते हैं कि पब्लिक का कल्याण होगा? कभी नहीं हो सकता।

सबसे पहली बात तो मैंने यह देखी कि इससे ज्यादा दकियानूसी बात क्या होगी कि महिलाओं की नौकरियों को खत्म कर दिया गया। इस दक्षिणपंथी भावनाओं से प्रभावित सरकार ने जो कदम उठाए हैं वह केवल रुढ़िवादी प्रतिक्रियावादी ही नहीं बल्कि घोर पूंजीवादी हैं। वह समझते हैं कि औरत का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना और चूल्हे पर बैठना है। वह औरत को बच्चे पैदा करने की मशीन बना देना चाहते हैं। यही रिवाज टर्की में था जिसे "सिकमैन आफ यूरोप" कहा जाता था जिसको विदेशी लुटेरों ने रौंद कर फेंक दिया था। वहां एक बड़ा जबरदस्त जन नेता मुस्तफा अता तुर्क कमाल पाशा पैदा हुआ। उसने औरतों को बुर्के से निकाल कर, सैनिक बनाकर मर्दों को पंक्ति में खड़ा कर दिया और देश को आजाद कर दिया। आज औरतों की नौकरी समाप्त करने के पीछे उनकी भी वही रुढ़िवादी भावना है। इससे देश रसातल को चला जायगा। स्त्री तो दुर्गा का रूप है, शक्ति है, उसका हम तिरस्कार करते चले आ रहे हैं, उसको ज्यादा दिनों तक तिरस्कार नहीं किया जा सकता। सोशल आर्गेनिज्म का एक पार्ट अगर पैरेलाइज्ड रहेगा तो क्या हमारा राष्ट्र शक्तिशाली हो सकता है? हम क्या उन्नति कर सकते हैं। आप सोशल आर्गेनिज्म के एक हिस्से को क्रिपिल्ड कर देना चाहते हैं। इस तरह हम तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए हमें औरतों को फील्ड में लाना होगा, फैक्टरियों और कारखानों में और बड़े-बड़े पदों पर लाना होगा। चीन में ६० परसेन्ट औरतें

[श्री उदयवीर सिंह]

आदमियों से ज्यादा काम करती हैं जबकि कुछ आदमियों को चूल्हा फूंकने का काम दिया जाता है। ऐसा ही रशिया और दूसरे मुल्कों में होता है, लेकिन यहां पर सिर्फ सरकार की वही भावना थी कि औरतें सार्वजनिक क्षेत्रों में घूमती-फिरती हैं। महिलाओं के बारे में ही क्यों ऐसा है? आपका बहुत सा स्टाफ है जो औंघता रहता है। एक ही जगह नहीं सब जगह निठल्ले लोग पनप रहे हैं। सरकार की वही दकियानूसी मनोवृत्ति है। आज की सरकार मिली-जुली सरकार बनी हुई है। आज ये तथा कथित समाजवादी कुछ नहीं कर पाए हैं और इनके सिद्धांतों पर डाका डाल रहे हैं जनसंघी। आज वे समाजवादी सिद्धांतों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आज अगर सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सिज्म की बातें करती हैं इन्टरनेशनल प्रोलिटेरियट, वर्ग संघर्ष और वर्ल्ड रिवोल्यूशन की बातें करती हैं। सब ढकोसला है। धोखा है। आज हथियार डाले बैठे हैं इन पूंजीवादी व्यवस्थाओं के सामने। यह उनका शेमलेस सरेन्डर है। जिस समाजवाद का लैनिन और मार्क्स ने निर्माण किया था, वह आज नहीं दिखाई दे रहा है। जैसा कि लैनिन ने कहा है कि "प्रतिक्रियावादियों के सामने कभी हाथ मत बढ़ाओ। हमें सरकार नहीं बनानी है अगर बनायेंगे तो मजदूरों की सरकार बनायेंगे। यह आज उन सिद्धांतों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। आज सर्वहारा का दुश्मन है जनसंघ, और उन्हीं के साथ ये कोआपरेट कर रहे हैं। देहात में अछूतों की क्या हालत है। वैसा का वैसा ही समाज है वहां पर। वे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में शिकार बने हुए हैं। आज क्रान्तिकारी परिवर्तन की जरूरत है। हम गांव-गांव में शंखनाद करेंगे। अछूतों के उद्धार के लिए तभी समाजवादी बजट पेश किया जायगा और जो बजट पेश किया गया है उसकी क्या तारीफ की जाय? मैं तो इससे पहले जो बजट पेश किए गए थे, उनकी भी तारीफ नहीं करता हूं। जितनी भी हम अछूत भाई राजनैतिक शक्ति पैदा करेंगे उसी तरह का बजट हमारे सामने पेश किया जायगा। मैंने बुनियादी व आदर्श की बातें की हैं। उन्हीं पर रोशनी डाली है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरी इन बातों पर अमल किया जायगा। किया जायगा या नहीं लेकिन मैं इस बजट का बहुत सख्त विरोध करता हूं।

श्री रघुवीर सिंह (जिला एटा)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि जिन माननीय सदस्यों ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उनको भाषण की प्राथमिकता देने की आप कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष ---

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस पर बोलने के लिए बहुत अधिक माननीय सदस्य इच्छुक हैं। जितना समय दिया जाता है कुछ उससे भी अधिक बोलने का वे प्रयास करते हैं। इन सब का ऐडजस्टमेंट करना सम्भव नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि अगर सदन की राय हो तो बोलने का समय दस मिनट से कम करके सात मिनट कर दिया जाय।

(व्यवधान)

ऐसा लगता है कि आप सब दस मिनट का समय चाहते हैं, कम नहीं चाहते।

इसके अलावा मुझे और निवेदन करना है कि जो यह बहस प्रारम्भ हुई है उसके लिए मैं माननीय सदस्यों से बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि बहस जब चलती है तो पता नहीं चलता कि सामान्य विवाद हो रहा है या कटौती के प्रस्ताव पर बहस हो रही है। इसलिए माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि बहस अनुदान पर ही सीमित रहे और इधर-उधर जो कुछ विस्तार हो जाता है उससे न आप पूरी बात कह पाते हैं और न ही कटौती के अनुदान पर बहस हो पाती है।

श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा प्रश्न यह है कि आप क्या उन्हीं लोगों को बोलने का समय देते हैं जिनका नाम पार्टियों के व्हिप की तरफ से आपके पास आता है या जो कटौती का प्रस्ताव

पेश करते हैं, कटौती प्रस्ताव में जिनका नाम होता है। इस सदन की यह मर्यादा रही है कि जो भी सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखते हैं उन्हें बोलने का समय दिया जाता रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपकी व्यवस्था व्हिपों के आधार पर पैरिटी देने की है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आपके सचेतक लोग हमको इस बात की सूचना देते हैं कि कुछ विशेष सदस्य विशेष अनुदान में रुचि रखते हैं। उससे हमको भी सुविधा होती है। कभी-कभी उसके साथ ही पुनः भी आग्रह किया जाता है कि यदि कोई माननीय सदस्य आग्रह करें तो उनको भी समय दे दिया जाय। हम उनका भी ध्यान रखते हैं। सदन की यही परम्परा रही है और नियम भी ऐसे हैं कि यह पीठासीन व्यक्ति के स्वविवेक पर ही सब कुछ रहता है कि वह किसे बुलाए, लेकिन जो भी माननीय सदस्य बोलने की इच्छा रखते हैं उनको बुलाने का प्रयास किया जायगा।

श्री हरीसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने हरिजन कल्याण विभाग से सम्बन्धित जो अनुदान सदन में पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। हमारे प्रदेश और देश के अन्दर हरिजन समस्या आज भी ज्यों की त्यों मुंह बाए खड़ी हुई है। महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया, मगर जब उनके आदमियों को हुकूमत सम्भालने का मौका मिला तो उन्होंने इस ओर कुछ नहीं किया। जब कांग्रेस की सरकार बनी, यह लोग गद्दी पर बैठे तो इस समस्या को भूल गए। २० साल की कांग्रेसी हुकूमत के बाद भी आज हरिजन मुफ़लिसी की चक्की में पिस रहा है। लोग जब कोई कमजोरी की उपमा देते हैं तो कहते हैं कि मैंने उसको इतना मारा कि मारते-मारते उसको भंगी बना दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि हरिजन समस्या समाज का एक कोढ़ है और हमको उसे दूर करने के उपायों पर विचार करना चाहिए। आलोचनायें होती हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ इस समस्या के प्रति हमको जागरुक होना चाहिए। मैं सोशियालोजी का विद्यार्थी होने के नाते यह भी जानता हूं कि सामाजिक सुधार के लिए बड़े भारी परिश्रम की और क्रान्तिकारी कदम उठाने की जरूरत होती है। सामाजिक सुधार आसान काम नहीं होता है। हरिजनों की समस्या सामाजिक तो है ही लेकिन साथ में आर्थिक भी है। श्री जवाहर लाल जाटव ने कहा हरिजन से करोड़पति और लखपति होने के बावजूद भी घृणा की जाती है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर किसी के पास साफ सुथरा मकान हो और बढ़िया कपड़े हों तो वह घृणा कुछ कम हो जाती है। २० साल की हुकूमत में कांग्रेस ने कोई उपाय नहीं सोचा जिससे यह हरिजन वर्ग अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जहां-तहां कांग्रेस ने पैवन्द लगाए हैं। कांग्रेस ने उन्हीं परिवारों की मदद करने की कोशिश की जो उसके पिछलग्गू रहे। क्या, जो कांग्रेस के साथ नहीं था उसके बच्चों को पढ़ने के लिए कोई सहायता मिली है? अगर हरिजन समस्या को मिटाना चाहते हैं, इस वर्ग को उठाना चाहते हैं, तो कोटा, लाइसेन्स, परमिट, जिनमें आर्थिक लाभ होता है, ये सब हरिजनों को आवश्यक तौर पर दिए जावें। एक नहीं, सैकड़ों परिवारों को इससे सहूलियत होगी। मैं उस जिले का रहने वाला हूं जहां से श्री बनारसीदास जी आते हैं। वह बड़े नारे लगाते थे हरिजन सुधार के, एक ठाकुर साहेब के साथ दौड़-दौड़ कर हरिजनों के मोहल्लों में जाते थे लेकिन वह मन्त्री बनने के बाद कहने लगे कि हरिजन शराब में पैसा बरबाद करते हैं। जब अंग्रेजी शराब का लाइसेन्स देने का सवाल आया तो एक ठाकुर साहब को ही उन्होंने लाइसेन्स दिलवाया। कैसे हरिजनों का उत्थान हो सकता है? यह सारी समस्या आज हमारे सामने बड़े विकट रूप में है।

यह सही है कि जिला बुलन्दशहर के हरिजनों की हालत पूरब के जिलों के हरिजनों से बहुत अच्छी है। लेकिन हमारी सरकार ऐसे सौ गांव नहीं बता सकती है जहां पर पानी पीने

[श्री हरी सिंह]

योग्य कुआं हों, हरिजनों की बस्तियों में। जब मैं मेरठ से पढ़ने के बाद गया, एक गांव में उस गांव के कुएं का पानी इतना खराब था कि मैंने हरिजन होते हुए भी वह नहीं पिया। पता नहीं भगवान कैसे हरिजनों को जिन्दा रखता है! जहां कूड़े के अम्बार लगे हुए हैं वहां इनकी झोपड़ियां होती हैं। इसे दूर करने का कोई उपाय नहीं है। कागजी घोड़े दौड़ते रहते हैं। मकानों के लिए कांग्रेस सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। मैं चाहता हूं कि हर एक हरिजन परिवार को लाजमी तौर पर आबादी के लिए जमीन दी जाय। नीलाम में तो बड़े-बड़े पैसे वाले ही ले सकते हैं। हरिजनों के लिए हमारी सरकार इस सदन में एक बिल लावें जिससे हर हरिजन को रहने की जमीन लाजमी तौर पर देने की व्यवस्था की जाय। हरिजनों को उद्योग में लगाया जाय। किसी हरिजन परिवार को आप २० बीघे जमीन दे दीजिए, वह उससे अपनी गुजर नहीं कर सकता है। इसलिए इन्हें उद्योगों में लगाना बहुत आवश्यक है।

हरिजन समस्या के बारे में जो उपाय सुझाए जाते हैं वे अमली नहीं होते हैं। हरिजन कल्याण के काम पर नजर डालें तो इस विभाग में जो हरिजन अधिकारी हैं वे अपने को हरिजन अधिकारी कहलाने में शर्म महसूस करते हैं। फिर वे हरिजनों के लिए क्या कार्य कर सकते हैं? विद्यालयों के अनुदान और फीस के अनुदान तब दिए जाते हैं जबकि साल खत्म हो जाता है। डायरेक्टोरेट से लेकर जिला लेविल पर हरिजन विभाग चुप्पी साधे पड़ा रहता है। जब समय से सहायता न मिले तो वह वेस्टेज हो जाता है। जो शिक्षा में सहयोग होना चाहिए वह नहीं हो पाता है।

पब्लिक सर्विस कमीशन में हमारा एक सदस्य नियुक्त किया गया है, ठीक है। यह हमारी लगातार मांग रही और यह नियुक्ति करके इस सरकार ने हरिजनों में एक आशा का संचार किया है।

हरिजन कल्याण विभाग शिक्षा मन्त्री के साथ अटैच्ड है। हरिजन कल्याण के लिए अलग से एक मन्त्री होना चाहिए। सदन कह सकता है कि यह मेरी मन्त्री बनने की भावना का द्योतक है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि मेरी इसकी कोई भावना नहीं है। लेकिन यह काम इतना विकट है कि जब तक एक आदमी इसके लिए कोशिश नहीं करेगा, सुधार नहीं हो सकता है। जो रुपया जिला लेविल पर मिलना चाहिए उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है और वह लैप्स हो जाता है। कुंओं के लिए जो रुपया दिया जाता है वह भी इस्तेमाल न होकर लैप्स हो जाता है। जिला अधिकारी बुलन्दशहर के दफ्तर में साइक्लोस्टाइल करने की मशीन नहीं है और न टाइपराइटर है। वह कैसे हरिजनों का सुधार कर सकते हैं?

हरिजन विभाग में अभी तक जो नियुक्तियां हुई हैं वे ज्यादातर राजनैतिक हैं। जो कांग्रेस का कार्य करते थे ज्यादातर उन्हीं की नियुक्तियां हुई हैं। वे ही हरिजन कल्याण अधिकारी बनाए गए हैं। ऐसे स्थानों पर उन लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए जिनमें हरिजन उद्धार की भावना हो। आर्य समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मन और कर्म से भी हरिजनों के प्रति सुधार की भावना रखते हैं। ऐसे नौजवानों को रखा जाय जो इनका उद्धार करना अपना उद्देश्य और धर्म समझें।

(श्री दशरथ प्रसाद का नाम पुकारे जाने पर)

श्री दाता प्रसाद--

माध्यवर, मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि सदन का समय २ घंटे के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी तो माननीय सदस्य बोलें। समय बढ़ाने के सम्बन्ध में निर्णय बाद में कर लिया जायगा।

*श्री दशरथ (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का अवसर दिया है। माननीय उप मुख्य मन्त्री के भाषण को मैंने बड़े गौर से सुना। उन्होंने जो बजट को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है यह बहुत ही भ्रामक विषय है। आपने बजट के बारे में चर्चा करते समय कहा कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष १ करोड़ से अधिक बढ़ाया है। मान्यवर, पिछले सालों में जो बजट पेश हुए उसमें ९३ लाख बढ़ा था और उसको भी इन्होंने जोड़ा है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, मैं देखता हूं कि बढ़ती हुई हरिजनों की आबादी को ध्यान में रखकर हरिजनों के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के सम्बन्ध में जो बजट है उसमें कमी कर दी गयी है। इसके लिए ८० लाख रुपए का प्राविधान इसमें रखा गया है। २० लाख रुपया पिछली बकाया को देने के लिए रखा गया है और इस प्रकार से छात्रों को फीस देने के लिए सिर्फ इसमें ६० लाख रुपया रह जाता है। तो इस प्रकार से या तो हरिजनों से आधी फीस ली जाय या ६ मास तक ही उनकी फीस ली जाय, तब काम चल सकता है। मैं माननीय उप मुख्य मन्त्री जी से बजट के खंड ५ को देखने की प्रार्थना करूंगा जिससे उन्हें स्पष्ट हो जायगा कि हरिजनों को जो सुविधाएं मिलती थीं, वे काट दी गयी हैं।

मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने हरिजनों की छुआछूत की समस्या के बारे में क्या किया। क्या आज उनकी दशा किसी को मालूम नहीं है। जो माननीय सदस्य उधर से खड़े होते हैं, बड़े जोरों से कहते हैं कि जो कुछ भी हरिजनों के साथ हुआ है वह कांग्रेस के २० वर्ष के शासन का ही परिणाम है लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या २० वर्ष के पहले इस देश में कोई अव्यवस्था ही नहीं थी जिसके कारण हरिजन इस स्थिति पर पहुंच गए। इस दकियानूसी खयाल के लोग ही अपने पिछले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए और हरिजनों की आंखों में धूल डालने के लिए २० वर्ष के कांग्रसी शासन के नारे लगाते हैं। आज हरिजनों के बच्चों को छात्रवृत्ति और नौकरियां देने की बातें की जाती हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि यह किसकी देन है। आपने क्या कार्य किए हैं? आप ३० वर्ष की स्थिति को उठा कर देखें कि देश के काले कानूनों ने हरिजनों को शिक्षा से और सामाजिक कार्यों से वंचित किया है। आज २० साल की ही दुहाई दी जा रही है। हरिजनों को पुस्तकें तक छूने का अधिकार नहीं था। आज इस बजट को काट कर हमारे समाजवादी भाइयों ने, हमारे कम्युनिस्ट भाइयों ने, ढोल की पोल खोल कर दिखा दी है और यह स्पष्ट कर दिया कि इन सब के नारे केवल ढोल की पोल हैं। आज हरिजन समुदाय अपने को सोचने लगा है कि इस बजट को काटकर आपने उनकी आंखों में धूल झोंक दी है और आप उनको इस से २५ वर्ष पीछे ले जायेंगे। आप को चाहिये कि आप छात्रवृत्ति की धनराशि को बढ़ावें ताकि वे लोग पढ़ें और देश में उत्थान कर सकें, अपनी विद्या का विकास कर सकें।

मान्यवर, जिस सभ्यता और संस्कृति की दुहाई दे करके समाज के करोड़ों हिन्दुओं को अछूत बना कर रखा गया यह किसकी देन है? क्या इसलिये कांग्रेस खराब हो गयी कि उसने आपके काले कानूनों को तोड़ कर हरिजनों को शिक्षा का रास्ता दिया? जमींदारी का विनाश किया, हरिजनों को हारी और बेगारी से मुक्त किया, इसलिये कांग्रेस बदनाम है? मैं मानता हूं कि जिस तरह से उनका उत्थान होना चाहिये था, बजट का ५वां हिस्सा उनके उत्थान के कार्यों में लगना चाहिये था उतना नहीं हुआ। आप २० वर्षों की दुहाई देते हैं लेकिन आपने हरिजनों की कौन अधिक सेवा की? अतः आप हरिजनों को उतना बुद्धिहीन न समझें, उतने बुद्धिहीन नहीं जितने ४० साल पहले थे। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने घुमा फिरा कर कटौती की जिसका अन्दाजा लगाना कठिन है। उधर के बैठने वाले हरिजन कभी-कभी कहते थे कि उनकी मुख्य मंत्री से बात हुई है और उन्होंने बताया है कि हरिजनों के लिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दशरथ]

बजट में इस साल बहुत रुपया रखा गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में हरिजनों को मकान की सुविधा थी, वह रुपया कहां गया। पानी पीने की सुविधा थी वह रुपया कहां गया? पिछले वर्षों में हरिजनों को उद्योग की सुविधा थी वह रुपया कहां गया? तो गोल मटोल बात करने से काम नहीं चलने वाला है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रान्त के सारे बजट का रुपया जहां प्लानिंग है, उस प्लानिंग का रुपया भूमिहीन होने के नाते हरिजनों को नहीं मिल सकता, उद्योग का रुपया नहीं मिल सकता। फिर किस तरह से आप हरिजनों का उत्थान करना चाहते हैं, उसके लिये कौन-सी व्यवस्था आपने की? मैं कहना चाहता हूं कि पुनः आप बजट पर विचार करके उसे वापस लें और दुबारा बजट बना कर आप पुनः विधान सभा में रखें। इन शब्दों के साथ, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार ने हरिजनों को एक लड्डू दिया है। वह लड्डू है कि लोक सेवा आयोग में एक हरिजन सदस्य भेज दिया। मेरा कहना है कि तब तक हरिजनों का उद्धार नहीं होगा जब तक किसी खास सिद्धान्त पर उनकी सेवा करने की योजना न बनेगी। पिछले २० साल से लगातार सरकारी नौकरियों में हरिजनों का जो १८ फी सदी का रिजर्वेशन है वह पूरा नहीं हो पा रहा है और यह इसलिये पूरा नहीं हुआ क्योंकि वह योग्यता के आधार पर था। एक हरिजन छात्र दूसरे विद् बच्चों के साथ कभी भी नहीं आ सकता। उसका कारण यह है कि विद बच्चों के साथ पढ़ाई की व्यवस्था है, साथ ही साथ उनके पुर्खों का भी ज्ञान नत्थी है। इसलिये जब हरिजन बच्चे इंटरव्यू में जाते हैं तो जब योग्यता के आधार पर इंटरव्यू होता है तो हरिजन लड़के पिछड़ जाते हैं। निश्चित तौर पर उनका हित तभी होगा जब अवसर के आधार पर १८ फीसदी जगहें दी जायं। तब जाकर हरिजन प्रतिनिधि, जो लोक सेवा आयोग में गये हैं, उनके जाने से कुछ फायदा होगा। लेकिन जब तक योग्यता के आधार पर नौकरी देने का आधार रहेगा तब तक लोक सेवा आयोग में मेम्बर भेजने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये योग्यता का आधार रखने से हरिजनों का कोई भला नहीं हो सकता है, हां, लड्डू जरूर मिल गया कि हमारे घर का आदमी लोक सेवा आयोग में आ गया लेकिन वह कोई नतीजा नहीं दे सकता।

पंचवर्षीय योजना में ५० करोड़ रुपया ५ वर्ष में इस विभाग में खर्च होने वाला है। परिवार और बाल कल्याण के लिये १३ करोड़ रुपया, स्त्रियों के लिये विशेष कार्यक्रम में ६ करोड़ रुपया, बच्चों के लिये विशेष कार्यक्रम में ८ करोड़ रुपया, छात्रों के कल्याण के लिये २ करोड़ रुपया, मकान निर्माण के लिये ३ करोड़ रुपया, सामाजिक कार्य के लिये ५ करोड़ रुपया, अपाहिज व्यक्तियों को फिर से बसाने के लिये ९ करोड़ रुपया, ऐच्छिक संस्थाओं के लिये २ करोड़ रुपया और प्रारम्भिक शिक्षा संस्थाओं व प्रशासन के लिये २ करोड़ रुपया, इस तरह से करीब ५० करोड़ रुपया खर्च होगा। अगर पूरे देश की जनसंख्या को ले लिया जाय तो फी व्यक्ति एक रुपया पड़ा। उत्तर प्रदेश के पैसे को ले लिया जाय तो १६ करोड़ होता है जो ३ करोड़ २० लाख हर साल खर्च करने को था लेकिन यह सरकार खर्च करने वाली है २ लाख ८७ हजार रुपया ही। तो इस तरह से केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये हुये रुपयों को बचाया जा रहा है। दूसरी तरफ यहां जो मिनिस्टर साहब हैं, माननीय राम स्वरूप वर्मा जी, उन्होंने कहा कि यह छोटी जाति वालों की सरकार है जब कि पहले बड़ी जाति वालों की सरकार थी। लेकिन मैं समझता हूं कि दोनों सरकारें एक ही वर्ग की रहीं। पहले वाली सरकार ऊंची जाति के अमीर वर्ग की थी तो यह सरकार भी छोटी जाति के अमीर वर्ग की है। इसलिये जब तक दबाये गये और कुचले हुये आदमियों की सरकार नहीं बनती तब तक हरिजनों का कल्याण होने वाला नहीं है। कटौती का प्रस्ताव तो इधर से पेश किया गया लेकिन उधर गुप्ता जी ने पहले ही उनके अनुदान में खुद ही कटौती कर दी क्योंकि उनका संबंध भी उसी वर्ग से है। इस तरह से हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बीस वर्ष तक कांग्रेस राज्य में भी छूआछूत को दूर करने का और बराबरी का प्रचार किया गया लेकिन उस सरकार के जमाने की ही बात मैं देवरिया जिले के बरहज थाने के नरसिंहपुर की बात बतलाऊं कि वहां एक हरिजन लड़के की बरात डोली पर चढ़ कर आयी। उसको लेकर वहां बलवा हुआ, बरातियों को पीटा गया, डोली को उठाकर सरयू नदी में फेंक दिया गया और दूसरे दिन पुलिस की देख-रेख में वह शादी हुयी। जब यह सवाल यहां उठाया गया तो माननीय अध्यक्ष ने छोटी जाति के मंत्री श्री चरण सिंह के पास विशेष ध्यान आकर्षण के लिये भेज दिया लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी। उस सिलसिले में किसी का चालान नहीं हुआ। आज पुलिस की देख-रेख में सारा अत्याचार हो रहा है। आज भी हरिजनों को चारपाई के नीचे बैठना पड़ता है। एम० एल एज० को तो कुर्सी मिल जाती है लेकिन जो हरिजन सभापति या पंच चुने जाते हैं उनको भी चारपाई पर बैठने की हिम्मत नहीं पड़ती जबकि बीस वर्ष से बराबरी का आन्दोलन हो रहा है। मेरा तो साफ कहना यह है कि हरिजनों के लिये चाहे इधर का राज्य हो, चाहे उधर का राज्य हो दोनों ही दीनानाथ हैं। उनमें दीन कोई नहीं है। अब इन दीनानाथ का चरित्र कैसा है उसे भी सुन, लीजिये। इनका चरित्र यह है कि जब ये जंगल में रहते हैं तब तो शबरी का जूठन खाते हैं लेकिन गद्दी पर बैठते ही सीता को जंगल में भेज देते हैं। जो दबे हुये हैं और कुचले हुये हैं उनको उठाने के नाम पर वे आपको मिनिस्टरी का लड्डू देने की बात कर सकते हैं, और अब लोक-सेवा-आयोग में एक आदमी को रख कर एक लड्डू दे दिया है लेकिन उससे हरिजनों का कोई विशेष कल्याण नहीं होने वाला है। मैं तो कहता हूं कि आप हरिजन कल्याण के एक सिद्धान्त को मान लीजिये, आप उनको पानी में डाल दें, वे तैरना खुद सीख जायेंगे लेकिन आप चाहते हैं कि पहले वे तैरना सीख जायं फिर आप उनको पानी में डालें। जब योग्यता आ जायेगी तो कुर्सी दी जायगी। मेरा कहना है पहले पानी में डालो तभी तैरना आयेगा वर्ना नहीं आयेगा। साइकिल जब तक पकड़ाई नहीं जायेगी तब तक साइकिल पर चढ़ना नहीं आयेगा चाहे मुंह टूटे अथवा हाथ टूटे। आज गांव में ६, ७ तरह के भेद पड़े हुये हैं जैसे चारपाई भेद, रोटी भेद, बेटी भेद, थाली भेद, घड़ा भेद, मन्दिर भेद, अभिवादन भेद और ब्राह्मण पूजनीयता। मैं हरिजनों से कहता हूं कि जब तक यह सरकार गाय और ब्राह्मण की पूजा करने वालों के हाथ में, साधु पूजा करने वालों के हाथ में है, जब तक इस देश में गाय और साधु की इज्जत रहेगी तब तक हरिजन पीटे जायेंगे, पालकी पर चढ़कर अपनी बरात नहीं निकाल सकेंगे, मन्दिरों में नहीं जा सकेंगे। राष्ट्रपति महोदय तक ने यही किया। जब राष्ट्रपति बन गये, सब का आशीर्वाद मिल गया तो सुशील मुनि का आशीर्वाद लेने गये .....

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय चन्द्रबली जी, मैं आप से निवेदन करूंगा कि राष्ट्रपति के संबंध में कुछ टीका न करें और सदन की मर्यादा कायम रखें।

श्री चन्द्रबली––

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मेरी निश्चित राय है कि हरिजन अनुदान में जो कटौती की जा रही है उसे किसी तरह से पूरा किया जाय। केन्द्रीय सरकार से आपको पैसा मिल ही रहा है। ग्राम स्तर पर महिला कर्मचारियों को हटाया जा रहा है यह कह कर कि वह बदबू है लेकिन जिला स्तर तथा सूबे के स्तर पर इस सरकार को वे खुशबू नजर आ रही हैं। जिस समाज में औरत को बदबू कहा जाता है निश्चित तौर पर वह समाज ठीक से चल नहीं सकता। हम सभी लोगों के घर में बदबू है। निश्चित तौर पर आज यह कहना मुश्किल है कि कौन अपने बाप का बेटा है। दिन को शादी हो रही है अपनी जाति में और रात में शादी हो रही है दूसरी जाति में। इस तरह से समाज चल रहा है। यही समाज का ढर्रा है। जो देहात में सबसे पिछड़ा हुआ सबका है वहां से महिला कर्मचारियों को हटाना उचित नहीं है क्योंकि वह देहात में उनके उत्थान

[श्री चन्द्रबली]

के लिये कार्य कर रहा था। जब गांव स्तर पर महिला कल्याण के लिये कोई योजना आपके पास नहीं है तो फिर जिला स्तर पर, तथा सूबे के स्तर पर महिला कर्मचारियों को क्यों रखा जा रहा है ७, ८ लाख रुपये क्यों खर्च किये जा रहे हैं? केन्द्र आपको पैसा दे रहा है और इन महिला कर्मचारियों को पैसा देने में ८, ९ लाख रुपये लगेंगे और आपके पास पैसा भी है, ५५ लाख रुपया बचा है; उसमें से लेकर इन महिला कर्मचारियों पर खर्च कीजिये तभी हरिजनों का कल्याण देहातों में हो सकेगा।

*श्री राम चरन दोहरे (जिला इटावा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े हर्ष की बात है कि मुझे सदन में बोलने का मौका मिला है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने जो हरिजन कल्याण का बजट प्रस्तुत किया है उसके संबंध में उन्होंने जो स्पष्टीकरण किया है और एक तरफ से कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है, कटौती के प्रस्ताव के संबंध में केवल एक विचार रख कर इस बात को सामान्य बहस के रूप में बदलना नहीं चाहता कि जिन भाइयों की तरफ से कटौती का प्रस्ताव आया और उसका समर्थन भी हुआ मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। वह इसलिये कि ये बीस साल के पुराने कारनामे, उलहना उनको देना चाहिये था जो केवल अछूतों की फीस माफ, अछूतों को वजीफे दिये जाते, छुआछूत कानून मिट गयी, यह कह कर १८ फीसदी जनता का वोट लेती रही और इन कुर्सियों पर बैठ करके कानून ऐसी बनाती रही जिससे सेठ को लाभ हो या सारे का सारा जो धोखा दिया गया है उसकी जिम्मेदारी आज इस तीन महीने से आयी हुई सरकार पर नहीं है बल्कि जो २० साल तक शासन करते रहे उन पर है। उनको अपने गरेबान में मुंह डालकर देखना चाहिये कि अछूतों का गला इससे नहीं कटा बल्कि बीस साल के शासन के कारण कटा।

जो मौजूदा बजट उप मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है उसके संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जो आय-व्यय का अनुमानित लेखा जोखा है उसमें ३,३२,१०,७०० रुपये की कुल धनराशि रखी गयी है जिसका उल्लेख पृष्ठ १३२ पर है। इसको देखने के बाद मैं यह देख रहा हूं कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते का व्यय ३५,९५,३०० रुपये है। इसके बाद जहां हम देखते हैं कि पिछली मदों में जो रुपया खर्च करने से बच रहा उसकी जिम्मेदारी आज के उप मुख्य मंत्री पर नहीं है। इसका पूरा उत्तरदायित्व पिछले मंत्रिमंडल पर है कि अगर यह रुपया बच रहा तो क्यों और बचने के बाद क्यों लैप्स होता रहा और फिर भी हरिजनों के कल्याण की दुहाई दी जाती रही। जयह बात सही है कि अपने स्थान पर कि जो उन्होंने रुपया कम रखा है। मैं नहीं समझ सका कि वह इस चीज का कोई सही कारण समझ सकें हैं या नहीं, लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि अब इस तरह का प्रयत्न जरूर होना चाहिये जिस से कटौती का मौका न आये। यों तो यह जो ३ करोड़ रुपये का बजट है अगर देखा जाय तो पूरे प्रदेश का बजट लगभग ६ अरब रुपये के है। तो १८ प्रतिशत के हिसाब से करीब ३३ करोड़ का बजट अछूतों के उद्धार के लिये होना चाहिये। लेकिन जो भी है उसका सही सदुपयोग होना चाहिये। दूसरा ध्यान उप मुख्य मंत्री जी का मैं हरिजन कल्याण विभाग के जो निदशक हैं उनकी रिपोर्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं। पृष्ठ १६ पर लिखा है कि हरिजनों की कृषि की उन्नति के लिये जो अनुदान दिया जाता है उसमें एक सीमा है कि ५ एकड़ या उससे ज्यादा के हरिजन किसान को अनुदान या सहायता दी जाय। मेरा ऐसा खयाल है कि हरिजन में ज्यादातर वह लोग हैं जिनके पास ५ एकड़ से कम जमीन है। इसलिये अगर हरिजनों का उत्थान करना है तो सामहिक रूप से कोई सीमा न मानकर उनके पूरे वर्ग का उत्थान करने की बात ध्यान में रखनी चाहिये और उस पर अमल होना चाहिये। इसी तरह से कृषि अनुदान के लिये सहकारी समितियों का जिक्र है और १९६६-६७ में जहां १ लाख रुपय की चर्चा की गयी है, मेरी जानकारी में कोई सहकारी समिति

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरे जिले इटावा में नहीं बनी है हो सकता है कि किसी जिले में न हो। लेकिन एक बात मैं और देखता रहा पिछले ३० सालों में, मैं १९३४ से लेकर आज तक सामाजिक कार्यकर्त्ता रहा हूं। और हमारे जिले में कांग्रेस के अछूत भाई भी रहे लेकिन वे विरोधी पार्टी के लोगों को अछूत नहीं मानते रहे और बहुत-सी बातें हमसे छिपाते रहे जैसे कि मैं हरिजन नहीं हूं। जब हमारा ३६ साल का सार्वजनिक जीवन रहा है लेकिन इस प्रकार सहकारी समिति कोई नहीं रही। दूसरे प्रकार की हो तो बात दूसरी है। लेकिन अगर कोई है तो उसे अच्छी तरह से देखना चाहिये और उसका सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिये।

जहां तक मकान बनाने के लिये अनुदान और जमीन खरीदने की बात है, तो ५०० रुपये अनुदान के रूप में और १,०००० रुपये जमीन खरीदने के लिये कहा गया है। यह बहुत कम माने में इस्तेमाल हुआ है। कई गांवों में तो फार्म भर कर हरिजन कल्याण अधिकारी के पास भेजे गये और प्रार्थना-पत्र ब्लाकों में रखे गये। लेकिन उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। मैं एक पाता गांव तहसील विधूना, का उदाहरण दे रहा हूं। उसमें प्रार्थना-पत्र दिया गया लेकिन ब्लाक में उसका तथा नक्शे का कुछ पता नहीं चला। इस तरह की गलतियां आगे नहीं होनी चाहिये।

हरिजन विद्यार्थियों के लिये छात्रावास अलग से बनाने की व्यवस्था है। मेरा खयाल यह है कि जहां छुआछूत को मिटाने की बात कही जा रही है वहां दूसरी ओर हरिजनों के लिये अलग से छात्रावास बनाने की बात समाज के प्रतिकूल है और न्याय संगत बात नहीं है। अगर अलग छात्रावासों की व्यवस्था होगी तो भेदभाव बराबर बना रहेगा। जो आगे चलकर उन्नति के मार्ग में बाधक होता है और इस तरह से विश्वविद्यालयों में बहुत से झगड़े पैदा होते हैं। १९५४ में केन्द्रीय मंत्री माननीय जगजीवनराम जी ग्वालियर में किसी उद्घाटन के लिये गये थे तो उनके साथ वहां ऐसा व्यवहार करना पड़ा कि उनको कहना पड़ा कि १२ वर्ष की आजादी के बाद भी मुझे यह शब्द सुनने को मिले कि हरिजन मंत्री भेजना पड़ा और क्या मंत्री मर गये थे। उनको दुःख हुआ लेकिन मैंने उनको पत्र लिखा कि मुझे खुशी है कि आप केन्द्रीय सरकार के तख्त पर बैठे हुये हैं तो यह हो रहा है तो मेरे जैसे कार्यकर्त्ता की क्या हालत होती होगी? कितने ही विद्यार्थी इसके शिकार होते हैं, उनका क्या इलाज है?

उस समय माननीय पंत जी मुख्य मंत्री थे। उनसे मिलने के लिये हमारे यहां से दूसरी जगहों से हरिजन प्रतिनिधि मंडल आये थे। उस समय यह कानून बनाया गया था कि अस्पृश्यता मिटाई जाय तथा बेगार प्रथा बन्द हो। लेकिन धारा ३७६ का सही पालन नहीं हो रहा है और किसी को इसमें सजा नहीं दी गई है। गांवों में कुओं के झगड़े हैं और बहुत से छुआछूत के झगड़े हैं। कानून तो एक साधन होता है लेकिन सवाल मनोवृत्ति का है। जब तक हृदय में परिवर्तन नहीं होगा तब तक यह भेदभाव नहीं मिट सकता है। जहां ऐसे झगड़े चलते हैं वहां कानून का सहारा लिया जाता है। लेकिन कोई भी काम केवल कानून के आधार पर नहीं होता है। शारदा ऐक्ट के बनने के बावजूद बाल विवाह नहीं रुक सके। शादी व्याह में लम्बी दावतें कानून के बा[illegible] नहीं रुक सकीं। मेरे कहने का मतलब है कि कानून को व्यवहारिक और अमली रूप देने की जरूरत होती है। यह तो समितियां बन रही हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक और जिलाधीश के मातहत, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिला विद्यालय निरीक्षक के मातहत जो समिति बनायी जा रही है उसमें हरिजन प्रतिनिधि का स्थान नहीं है। इसलिये स्थान दिया जाय। दूसरी बात यह है कि तिलक इंटर कालेज, औरइया, में हरिजन विद्यार्थियों के साथ विभेद किया जा रहा है, उनको प्रवेश नहीं मिल रहा है। इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस प्रकार की मनोवृत्ति न रखी जाय। तीसरी बात यह है कि टेक्निकल एजूकेशन के लिये छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाय। बहुत सी बातें लिखी थीं लेकिन चूंकि समय कम है उनको मैं नहीं कह सकता।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकी (जिला हरदोई)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय धर्मवीर ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैंने माननीय उप मुख्य मंत्री का भाषण सुना। उन्होंने अपने भाषण में एक बात कही कि बड़े स्थानों पर पिछड़ी जाति के विद्यार्थी प्रतियोगिता में पीछे रहते हैं। यह कोई नयी बात नहीं है, जिस समाज का बच्चा हमेशा दबा कर रखा जायगा और उसको हेय दृष्टि से देखा जायगा और बराबर का वर्ताव नहीं बरता जायगा उससे आशा की जाय कि वह प्रतियोगिता में उन समाज के बच्चों से जो हजारों साल से उन्नति के मार्ग पर बढ़ते चले गये हैं बराबर आ जाय यह नितान्त असंभव बात है। मैं माननीय उप मुख्य मंत्री से यह आशा रखता था कि वह लखनऊ नगर के निवासी होने के नाते, (व्यवधान) मेरा उनका इतना नाता है कि वह नगरपालिका, लखनऊ में उप प्रमुख के रूप में रहे वहां उन्होंने विशेषकर इस प्रदेश का जो सबसे गिरा तबका है मेहतर तबका उसको बड़े नजदीक से देखा था और देखा है मैं आशा करता था कि उसके सिलसिले में कुछ शब्द कहेंगे। इससे पहले वित्त मंत्री का बजट भाषण देखा। मेरे एक साथी ने कहा भी। एक शब्द हरिजन नाम की कोई चीज आयी नहीं। मैं ताज्जुब करता रहा कि मामला क्या है। अभी पहले वर्षों में जब मैं १९५२ से १९६२ तक इस माननीय सदन का सदस्य रहा मैंने उस समय भी यह ही शिकायतें की थीं, लेकिन अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि --" शेख ने मस्जिद बना बिस्मार बुतखाना किया, पहले कुछ नक्शा भी था अब साफ वीराना किया।" इस वक्त जो समस्या है, देश के इस पिछड़े हुए वर्ग की, इसको सब लोग जानते हैं। जिस समय हमारे भाई बुलन्दशहर वाले हरिसिंह खड़े हुए थे मैंने सोचा नौजवान लड़का है, ग्रेजुएट है, इसमें उत्साह होगा, कम से कम इस दबे हुए तबके की बात जरूर कहेगा जो इस प्रदेश के हरिजनों में महा हरिजन कहा गया है लेकिन कहें कैसे भीष्म पितामह जैसे बड़े-बड़े नेता बैठे रहें चूंकि दुर्योधन का अन्न खाते थे इसलिए जबान खुलने नहीं पाती। इसी तरह से मुझे उनसे निराशा हुई पर महाभारत की यह बात याद कर मुझे संतोष हुआ कि शायद वह कुछ कहना चाहते थे लेकिन नहीं कह पा रहे हैं।

भाई हरीसिंह, मेरठ निवासी, जो इधर भी रहे हैं और आज कल उधर हैं, उनसे मैं आशा करूंगा कि वह इस प्रकार की धौंस में न आते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि यह तो शतरंज का खेल है, कभी वह इधर होंगे कभी उधर होंगे, इसलिए जो सच बात हो उसे ही वे सदा कहें। जब भी उन्हें इस विषय पर भाषण करने का मौका मिले वह मेहतरवर्ग की स्थिति पर सही बात कहें।

हरिजनों की जो हालत पहले से अधिक खराब थी, अब उनके खर्च के बजट में कटौती कर ली गई है। यह बड़ा अन्याय किया। श्रीमन्, हरिजनों की स्थिति बहुत ही दयनीय है और उसमें से मेहतरों की स्थति तो उससे भी कई गुना गई गुजरी है। हरिजन समाज के अन्य वर्ग तो किसी प्रकार से सांस ले सकते हैं, लेकिन जो मेहतर तबका है जिसकी हालत सबसे ज्यादा गिरी है, उसके लिए सांस लेने तक की भी गुंजाइश नहीं है। यह मरीज तो अब दम तोड़ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस समय जो बातें और सुझाव मैं दे रहा हूं, उसे उप मुख्य मंत्री जी सुनें और अपने उत्तर के समय उनका उत्तर अवश्य दें। जहां तक गृह उद्योग का संबंध है, हरिजन समाज में जितनी भी जातियां हैं उनमें मेहतर का भी नाम आता है। गृह निर्माण के लिए उनको जो अनुदान दिया जाता है, वह गलत है, शहरों में उनको जो आवास स्थानीय निकायों द्वारा दिया जाता है उसके बदले स्थानीय निकाय उनसे किराया लेते हैं। देहाती क्षेत्र में जो उन्हें मिलता है वह नहीं के बराबर है। देहाती क्षेत्र में इस अनुदान को उन्हें मिलने की बात मैं इसलिए नहीं मानता कि मैंने देहातों का दौरा करके यह भी देखा है कि मेहतरों के आवास की ऐसी खराब स्थिति है कि उनके पास छप्पर डालने तक को स्थान नहीं। इसका कारण यह भी है कि जो सोशल वर्कर सामाजिक कार्यकर्त्ता उनके कल्याण कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं वे मेहतर जातियों के नहीं हैं। पूरे प्रदेश में केवल एक अलीगढ़ में राम गोपाल ही ऐसा कार्यकर्त्ता है जो बाल्मीकी जाति का है। इसलिए मेहतर बेचारे उस अनुदान से वंचित रह जाते हैं। इस पुस्तक में जो लिखा गया है तो शहरों में भी उनको अनुदान कदापि नहीं मिलता है।

ये जब तक नौकरी में रसते हैं तब तक किराया उन मकानों का देते हैं जो हरिजन कल्याण विभाग की सहायता से स्थानीय निकायों द्वारा बनवा दिया जाता है, किन्तु जब नौकरी से अलहदा हो जाते हैं तो उनसे वह क्वार्टर्स खाली करा लिए जाते हैं।

हरिजनों के लिए और खास करके मेहतरों के लिए पानी पीने की समस्या भी बड़ी भयंकर है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि पानी कड़वा था, मैंने नहीं पिया। मैं भी अपनी बताता हूं मैं एक गांव में एक मेहतर के दरवाजे पर गया और मैंने वहां पर उससे पानी मांगा। जब उसने पानी लाकर दिया तो वह इतना ज्यादा मैला था कि मैं समझा कि यह कच्ची शक्कर का शर्बत है किन्तु जब उसे पिया तो उसे सादा और फीका पाया। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि हम लोगों के लिए पानी पीने हेतु किसी कुयें की व्यवस्था नहीं है, वह पानी खुले तालाब का है और उसी का पानी हम पीने के इस्तेमाल में लाते हैं। सदस्यगण हरिजन समस्या के बारे में काफी चर्चा करते हैं, लेकिन जब मेहतरों की बात आती है तो वे सुस्त पड़ जाते हैं। इसके पीछे उनकी यह भावना रहती है कि कहीं यह न हो कि उनके प्रयासों से वह कुछ सुधर जायं और वह तबका ऊंचा उठ जाय और ऊंचा हो जाने से उन्हें उनके घर की सफाई करने वाला कोई न मिले, उनका मैला उठाने वाला उन्हें कोई न मिले। क्योंकि उनके ऊंचा हो जाने से उन्हें मैला उठाने वाला कौन मिलेगा। सरकार का प्राविधान है कि जहां हरिजन बस्तियां हों वहां कुयें बनाए जायं या हैण्ड पम्प लगवाये जायं। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां पर पानी पीने की व्यवस्था की जाय। जहां गांव में ४०–५० घरों की हरिजन बस्ती मिलती है उसमें एक कोने पर कहीं दूर एक भंगी का मकान होता है तो वह कैसे वहां से पानी भर सकता है? पानी का साधन न होने से वह प्यासा मरता है। वह बस्ती में किसी के कुयें से पानी नहीं भर सकता है; किसी के द्वारा उसे पानी दे दिया जाय तभी वह पी सकता है।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, देहाती क्षेत्र में जो जमीनें परती पड़ी हैं गांव सभाओं के द्वारा जहां वह हरिजनों के अन्य वर्ग को दी जाय उसमें प्राथमिकता मेहतरों को दी जाय और इसी तरह से कुटीर उद्योग में होना चाहिए शहरों में इनकी बस्तियों में कताई, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, दर्जी गीरी, आदि कुटीर उद्योगशालायें खोली जायं जिसमें मेहतरों के बच्चे और विशेषकर उनके लड़कियां काम सीखें। मैंने मेहतरों की लड़कियों की हालत को अपनी आंखों से देखा है और भाई मेरठ वाले हरीसिंह जी भी जानते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति कितनी कमजोर है कि वे विवश होकर अपने नन्हें नन्हें बच्चों इस तरह का काम करवाते हैं। अगर वे इन कुटीर उद्योग शालाओं में काम पा जायं तो उनकी आर्थिक दशा सुधर सकती है। अभी मेहतर सुधार कमेटी की रिपोर्ट के सिलसिले में मैंने देहातों में काफी दौरा किया है। ऐसे स्थान भी हैं जहां यों तो कहने के लिए लोग कह दिया करते हैं ये सभी लोग काम करते हैं लेकिन ऐसी जगहें भी हैं जहां एक परिवार में या १० आदमी पाखाना फिरने के लिए जाते हैं लेकिन जो मेहतर या मेहतरानी उसको कमाती है उसको आठ दिन में केवल १ रोटी दी जाती है। यह उनकी उजरत है। जब इतनी कम आमदनी हो तो वह परिवार किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा सकता है और उन्हें आगे बढ़ते हुए समाज में वह कैसे आगे बढ़ा सकता है। हमारे भाई धर्मवीर जी जो बात अछूतिस्तान की कह रहे थे अगर यही स्थिति रही तो वह बन कर रहेगा और उ का इलजाम हमारे सामने जो बैठी हुई सरकार है उस पर होगा और उसको उसका जवाब देना होगा, आज नहीं सैकड़ों साल के बाद भी इतिहास उनसे जवाब तलब करेगा और इनको उसका जवाब देना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और प्रस्तुत अनुदान का विरोध करता हूं।

श्री देवी दयाल सेन (जिला मेरठ)—

(आचार्य दीपंकर का नाम पुकारे जाने पर) श्रीमन्, मैं आज सबेरे से खड़ा हो रहा हूं और मेरी स्लिप भी इनसे पहले पहुंच गयी थी लेकिन यह मुझे अवसर न देकर मेरे साथ ज्यादती की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय देवीदयाल जी, आप स्थान ग्रहण करें। आपको भी समय देने का प्रयत्न किया जायगा। कोई न कोई माननीय सदस्य बोल ही रहा है और कोई दूसरा व्यवधान तो हो नहीं रहा है।

श्री देवीदयाल सेन--

जी मेरा कहना यह है कि मेरी स्लिप तो आचार्य जी से पहले से है।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस ढंग से मोटिव लगाकर पीठासीन व्यक्ति पर आक्षेप करना अनुचित है। आचार्य जी की स्लिप जब अध्यक्ष जी विराजमान थे तभी से है, उन्होंने केवल उसकी ओर ध्यान दिलाया था। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस बात का ध्यान रखें।

श्री जंगबहादुर (जिला बाराबंकी)--

व्यवस्था का प्रश्न है। निवेदन है कि हरिजन कल्याण विभाग के इस अनुदान पर यदि हरिजनों को ही बोलने दें तो अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इस तरह का प्रश्न अध्यक्ष महोदय जब पीठासीन थे तब भी किसी माननीय सदस्य ने उठाया था। इस पर माननीय अध्यक्ष अपने विचार भी व्यक्त कर चुके हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह की प्रार्थना न उस समाज के हित में है जिसके लिए आप कह रहे हैं और न उचित ही है कि इस तरह की प्रार्थना की जाय। जहां तक हरिजनों के सुधार का संबंध है, उसका संबंध सभी से है न केवल उस समाज से। अतः इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। मैं यह अवश्य विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो बोलना चाहते हैं उन सभी को हम समय देने का प्रयास करेंगे।

*आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय जो विचार विनिमय चल रहा है वह उस अनुदान पर चल रहा है जो हरिजन और स्त्रियों से संबंध रखता है। हरिजनों के विषय में हमारे मित्रों ने काफी कहा है और जो कुछ भी कहा है चाहे इधर से या उधर से वह कम नहीं है। उन बातों का मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं। इसलिए उन बातों को रिपीट करके माननीय सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता हूं लेकिन जिस प्रश्न पर अभी तक कम ध्यान दिया गया है यानी स्त्रियों के विषय पर, उस संबंध में सदन का थोड़ा समय लेना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप यह जानते हैं कि हमारे समाज के सबसे ज्यादा पिछड़े हुये दो हिस्से हैं, हरिजन और स्त्रियां। जब तक इनके लिए विशेष सुविधा नहीं दी जायगी, जब तक समाज में समान कक्ष पर लाने के लिए इनके लिए विशेष प्रयास सरकार द्वारा नहीं किया जायगा तब तक समाज के अन्दर जो समानता के अधिकार की बात है जिसको संविधान के अन्दर भी स्थान दिया गया है वह कागज पर ही लिखी रह जायगी और उस सिलसिले में प्रगति नहीं हो सकेगी। इस दिशा में पिछली सरकार ने भी कुछ कदम उठाये थे जो बहुत प्रशंसनीय रहे हैं। यह बात नहीं है कि पिछले २० साल में जो कुछ भी इस दिशा में हुआ है वह न होने के बराबर है या गलत काम हुआ है।

स्त्रियों के उत्थान के बारे में या हरिजन उत्थान के बारे में जो कुछ भी कदम उठाये गये थे उन कदमों की दिशा में अब जो नई पगडंडी अख्तियार की जा रही है यानी हरिजन और स्त्री उत्थान के लिए जो अनुदान रखा गया था उसमें जो कटौती की जा रही है वह ठीक नहीं है यानी स्त्रियों के नव जागरण का जो आन्दोलन था उसके ऊपर बिलकुल अब कुठाराघात किया गया है। आखिरकार स्त्रियों में कौन जाकर काम करेगा? उपाध्यक्ष महोदय, आप भी नहीं कर सकते हैं और भी दूसरा सदस्य नहीं कर सकता है। स्त्रियों में नव जागरण का काम केवल स्त्रियां

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ही जाकर कर सकती हैं। ३,५०० बहनें जो उस क्षेत्र में काम करती थीं वह काम ठीक हुआ यह मेरी जानकारी में है। इस समय उप मुख्य मंत्री जी की व्याख्या को मैंने पढ़ा। मैं इसको पढ़कर खुश हुआ कि माननीय उप मुख्य मंत्री के दृष्टिकोण में और मुख्य मंत्री जी के दृष्टिकोण में थोड़ा सा जो भेद है उससे मुझको कुछ सान्त्वना इस तरह से मिली कि स्त्रियों को राहत देने की डाइरेक्शन में उन्होंने कुछ सहानुभूति के साथ सोचने का प्रयास किया है। कम से कम मेरी जो भावना थी उसको बल मिला है। फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो प्रोपोजल उप मुख्य मंत्री जी की तरफ से आया है उस प्रपोजल को लेकर मैंने उन स्त्रियों से बातचीत करने की कोशिश की और उनके दृष्टिकोण को जानने का प्रयास किया। मैं नहीं समझता कि इसके बारे में क्या नजरिया अब सरकार का होगा लेकिन मैं सदन से यह निवेदन चाहता हूं कि इस वक्त २,४०० महिलायें इस समाज कल्याण विभाग में काम करती हैं। इसमें १,७९५ स्त्रियां नियोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत काम करती हैं और ३६१ स्त्रियां समाज कल्याण विभाग में काम करती हैं। इस प्रकार से कर्मचारियों की जो गिनती दी गई है हमारे बजट के ३८५ पेज पर उसमें ३६१ को रख लिया जाने की बात है लेकिन बाकी को निकाल दिया है। इसमें समाज कल्याण की जो ३६१ महिलायें थीं उनको भी निकालने के लिए घोषणा अखबारों में की गई थी लेकिन अन्दर खाते कुछ प्रेशर पड़ा होगा अपने पक्ष से या दूसरी जगह से। उनको खपाने के लिए ३६१ स्त्रियों के साथ सहानुभूति का वर्ताव किया गया। इसी प्रकार सहायक निदेशिकायें जो कुल १० हैं इन २,११५ ग्राम सेविकाओं और ए० डी० ओ० डब्ल्यूज के काम की देखभाल करती थीं और इनके लिए ११ लाख रुपया सरकार की तरफ से खर्च किया जाता है। यह रहेंगी। अब ये सारी की सारी शिक्षा विभाग में काम करेंगी। लेकिन ये किसके काम का निदेशन करेंगी इसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं बताया। एक सहायक निदेशिका पर १ लाख रुपये साल का खर्च पड़ता है। जो निदेशिकायें २,१२५ ग्राम सेविकाओं के काम की देखभाल करती थीं वह अब कुल ३१५ का ही काम देखेंगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर सरकार यह सफेद हथनियां क्यों पाल रही है।

इसी प्रकार यह कहा गया कि खर्च कम करने की गरज से सरकार इस मद को घटाना चाहती है। मैं बताना चाहता हूं कि सारे ए० डी० ओज० निकाल दिये गये लेकिन एक जो सबसे जूनियर ए० डी० ओ० थी उसे उठाकर लखनऊ ले आया गया और वह बरकरार है। बाकी सब को निकाल दिया गया। इसके क्या माने हैं, मैं समझ नहीं पाया।

इसी प्रकार सामुदायिक विकास और नियोजन एवं समन्वय के अनुदान पर आवर्तक और अनावर्तक मदों में १ करोड़ ३८ लाख रुपये खर्च के लिए रखा गया है। वह पहले भी रखा जाता था। पिछले साल के बजट में भी है। लेकिन इसे खर्च करने की एजेंसी यह महिलायें ही थीं। इन्हीं के द्वारा यह रुपया खर्च किया जाता था। यह एजेंसी तो चली गयी, लेकिन उनके द्वारा खर्च होने वाले जो रुपया था उसका प्राविजन बजट में रखा गया है। यह पैसा खर्च कौन करेगा यह समझ में नहीं आता। इसी प्रकार से मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि इस स्कीम पर कुल मिला कर ३२ लाख १३ हजार रुपया खर्च होता अगर इन सब देवियों को रख लिया जाता। इसमें सेंटर देता है १९ लाख २८ हजार रुपया और प्रदेश की सरकार इस मद में केवल १२ लाख ८५ हजार रुपया खर्च करती है। प्रदेश अपने भाग का रुपया इन सहायक निदेशिकाओं पर अब भी खर्च करेगी, तो मेरा आपसे निवेदन है कि १ करोड़ ३८ लाख रुपये के खर्चे के लिए कोई मद निश्चित नहीं है। यह तो फुटकर खर्च है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस १ करोड़ ३८ लाख में से आपने क्यों नहीं यह १२ लाख ८५ हजार ५६० रुपया निकाल दिया इन के लिए ताकि हमारी सारी बहनों को इस विभाग में काम मिलता रहे और वे निकाली न जायं। मुझे केवल ३ मिनट और दे दें। यह प्रश्न ऐसा है कि जिस पर भूख हड़ताल हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष––

आप दो मिनट में समाप्त कर दें।

आचार्य दीपंकर--

दो मिनट तो लाल बत्ती से हैं ही। खैर, जो हुक्म। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जो भूख हड़ताल हो रही है वह सरकार के सामने है। कल मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि उन पर इसका असर नहीं पड़ने वाला है। ऐसी दुनिया में कोई ताकत नहीं कि जो इन आन्दोलनों के सामने न झुकी हो। बड़ी बड़ी हुकूमतें आयीं लेकिन इन आन्दोलनों के सामने धराशायी होकर धूल में मिल गयीं। यह रेवेंजफुल बदला भरा व्यवहार उचित नहीं है। वह हिंसा नहीं कर रही हैं। वे अपने आपको सता रही हैं और मैं जानता हूं कि एक बहन जो भूख हड़ताल पर बैठी है वह केवल दो चार दिन की मेहमान है। दो चार दिन में वह चल बसेगी और अगर उसकी चिता जली तो हमें डर है कि उस चिता के साथ ही कहीं सरकार की चिता न जल जाय। ऐसी उत्तेजना फैलाने से क्या फायदा ? एक भी मंत्री उन महिलाओं को देखने के लिए नहीं गया। उनमें से कई तो क्रांतिकारी रहे हैं, मैं आज उनको क्रांतिकारी मानता हूं। मैं आज भी एस० वी० डी० का सदस्य हूं, मेरी आत्मा एस० वी० डी० से हटी नहीं है। जिस दिन हट जायगी तो मैं इससे अलग हो जाऊंगा। कम से कम मंत्री जी की इस बात को मैं अपने गले में डालने के लिए तैयार नहीं हूं। आपको पूछना चाहिए कि बहन तुम्हें क्या कष्ट है। केवल १२ लाख रुपये की बात है। यह १२ लाख रुपये का मसला आसानी से सुलझ सकता है। दरअसल १२ लाख की बात नहीं है, बात तो दूसरी है, वह पोलिटिकल है। मंत्री जी का एक फ्यूडल आउट-लुक है, एक उपेक्षा का और उनको पिछड़ी हुई अवस्था में रखने का दृष्टिकोण है कि स्त्रियां चौके-चूल्हे में बैठी रहें। समाज कल्याण के काम में हिस्सा कुछ लेती हैं तो भवभूति ने कहा है, जोकि संस्कृत साहित्य में कालिदास के बाद दूसरे नम्बर के कवि हैं--

"यथा स्त्रीणां कवीनां च साधुत्वे दुर्जनो जनः"।

किसी स्त्री के बारे में अगर किसी से राय मांगी जाय या अगर किसी कवि के बारे में दूसरे से राय मांगी जाय तो प्रत्येक जन दुर्जन कहता है। अच्छा उन्हें कोई बताता नहीं है। कौन स्त्री ऐसी है जो समाज में अपने घर को छोड़कर आयी है और उसको लांछित न किया गया हो ? ऊपर से नीचे तक यही संकुचित दृष्टिकोण देखने में आता है। इस बजट को आर्थिक तरीके से पेश करने की बात सही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कम्युनिस्ट हूं। लेनिन का कहना था कि प्रत्येक कम्युनिस्ट को आब्जेक्टिव होना चाहिए, सबजेक्टिव नहीं। मैं भी आब्जेक्टिवली कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कम से कम समस्या की गंभीरता को देखा है। आज तक ऐसा मसला समाज और सरकार के सामने है जो कि हमारे समाज का आधा अंग है और उन आधे हिस्सों के प्रतीक के तौर पर हमारी कुछ बहिनें आन्दोलन कर रही हैं तो उनको अप्रतिष्ठा के तौर से न देखा जाय, उस समस्या के सिद्धांत को समझा जाय और उसको सुलझाने का प्रयत्न किया जाय और उप मंत्री ने गम्भीरता से जो स्टेटमेंट दिया मैं उसकी कदर करता हूं। यह प्रक्रिया और तेज होनी चाहिये और इस मसले को बहुत ही दूरदर्शिता और सहानुभूति के साथ सोचना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद।

श्री रघुवीर सिंह (जिला एटा)--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के भाषण को मैंने ध्यानपूर्वक सूना। उन्होंने अपने भाषण में पिछड़े वर्ग और हरिजन वर्ग की दयनीय दशा के बारे में व्यापक प्रकाश डाला। मुझे संतोष है कि वह उस दयनीय दशा को पूरी जानकारी रखते हैं, इसलिये मुझे इस संबंध में कुछ और नहीं कहना है। उन्होंने यह अनुदान प्रस्तुत करते समय उसकी विभिन्न मदों में जो कटौतियां की हैं उसके पक्ष में उन्होंने विद्वतापूर्ण भाषण दिया और उस जिम्मेदारी से निकलने की कोशिश

की कि उनके ऊपर कोई आंच न आ सके । इस संबंध में मुझे इसलिये कुछ नहीं कहना है कि हमारे साथी धर्मवीर और माताप्रसाद जी और दूसरे माननीय सदस्य इस संबंध में काफी प्रकाश डाल चुके हैं और उन्होंने अपने तर्क भी उपस्थित किये हैं, इसलिये मैं उनको दोहराना नहीं चाहता।

उन्होंने एक बात बड़े गर्व के साथ कही, उसका हमारे साथियों ने उत्तर नहीं दिया । वह यह थी कि उन्होंने कहा कि हम सारे प्रान्त में प्रायमरी कक्षा पास ५० छात्रों को छांटेंगे और उनके लिये विशेष पढ़ाई का प्रबन्ध करके फर्स्ट क्लास सर्विस के योग्य बनाने का प्रबन्ध करेंगे । वह इस समय उपस्थित नहीं हैं, मैं दूसरे मंत्री महीलाल जी से अनुरोध करूंगा कि उनकी इस प्रेरणा के संबंध में मेरी बात उन तक पहुंचा दें । मेरा अपना खयाल है कि मंत्री महोदय को इन वर्गों की जनसंख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

श्रीमन्, मैं सन् १९३१ की सेन्सेस की रिपोर्ट के आधार पर बताना चाहता हूं कि हिन्दुओं में उस वक्त पिछड़े वर्ग की ३७ जातियां थीं और मुसलमानों की २१ जातियां थीं । यह कुल मिलाकर ५८ जातियां थीं । प्रान्त की कुल जन-संख्या में इनका प्रति शत उस समय ५५ था । और २० प्रतिशत हरिजन वर्ग के लोग थे इस प्रकार पिछड़े और हरिजन वर्ग मिलकर ७५ प्रतिशत थे । इस समय जन-संख्या जिस हिसाब से बढ़ी है उसको देखते हुये इनकी संख्या ८० प्रति शत के करीब होगी । माननीय मंत्री जी ने जो अपनी योजना रखी है उसमें उन्होंने ५० लड़कों के छांटने की बात कही है जो कोरी विडम्बना ही कही जायेगी क्योंकि १५ साल शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही वह इस योग्य होगा कि किसी प्रथम श्रेणी की नौकरी में लिया जा सके । १५ साल की बात कह कर यह सरकार अभी से उसका श्रेय लेना चाहती है, पता नहीं कहीं किसी दिन की आंधी में वे उधर से इधर ही न आकर बठने लगें । मुझे तो आशंका है कि १५ साल तक उनकी सरकार बनी रहेगी भी । अगर यह अवसर उनको मिल भी गया तो मंत्री महोदय अपने ही समर्थकों को, अपनी पार्टी के लोगों के बच्चों को ही उस योजना में चयन करेंगे । मैं पूछता हूं कि क्या ५० लड़कों के ले लेने से ही हरिजन वर्ग का सुधार हो जायेगा। दूसरी बात मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे अपने उत्तर में यह बतायें कि इस अनुदान के माध्यम से प्रति व्यक्ति कितना पैसा खर्च कर रहे हैं जिसमें वे पिछड़े वर्ग और हरिजन वर्ग के उत्थान की बात कहते हैं । माननीय प्रतापसिंह जी यहां नहीं हैं, उन्होंने कांग्रेस शासन की २० साल की बात कही । मैं कहता हूं कि आपने जो अपने शासन में ३ महीनों में ही पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय किया है । माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बी० टी० सी० ट्रैनिंग में मेरिट के आधार पर लेने की बात कही है। वह देखने में बड़ी सुन्दर है, मगर ऐसा करने से पिछड़े वर्ग का अनर्थ होगा क्योंकि वह सवर्ण वर्ग के समकक्ष योग्यता को सामर्थ नहीं रखते । पिछड़ा वर्ग छात्रों के लिये यदि सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी, आयु संबंधी, योग्यता संबंधी कुछ रियायतें दी होती तो मैं समझता हूं कि पिछड़े वर्ग के कुछ छात्र B. T. C. के चयन में आ सकते हैं और मैं समझता हूं कि इसी प्रकार हरिजन वर्ग का १८ प्रतिशत का रेजर्वेशन भी पूरा हो सकता है । अगर सरकार इस तरह की कोई छूट नहीं देती तो उनकी भी संख्या पूरी नहीं हो पायेगी । कांग्रेस सरकार ने २९ जनवरी, सन् १९५३, में बैकवर्ड कमीशन की नियुक्त की थी उसके अध्यक्ष काका कालेलकर ने सदस्यों सहित पूरे भारतवर्ष में दौरा किया था । सन् ५५ में उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की गई । उसमें व्यापक रूप से सुझाव दिये गये हैं । उसमें एक सुझाव यह है कि हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के लिये शिक्षा संबंधी सभी प्रकार की सुविधायें निःशुल्क मिलनी चाहिये ।

दूसरा सुझाव यह भी था कि सामाजिक सुधार के लिये विभिन्न प्रकार के प्रयत्न करना चाहिये। तीसरी बात उसमें यह भी कही गयी थी कि सरकारी नौकरियों में इनका संरक्षण होना चाहिये। श्रीमन, पुनः खेद है कि हमारी कांग्रेस सरकार भी यथासम्भवइस काम में सफलता नहीं पा सकी । सारी बात यह है कि इस बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट को आज तक कार्यान्वित नहीं किया गया । अगर माननीय प्रतापसिंह जी या शिक्षा मंत्री कांग्रेस को दोष लगाते हैं तो

[श्री रिघुवीरसह]

मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस पार्टी ने कम से कम रिपोर्ट तो तैयार कराई, इन वर्गों के उत्थान की चेष्टा तो की । मैं यह कह सकता हूं कि अगर कांग्रेस सरकार ने चेष्टा न की होती तो माननीय महीलाल और विशारद जी आज मिनिस्टर पद पर न होते । यह कांग्रेस की ही देन है । (व्यवधान) श्रीमन, पिछड़े वर्ग के संरक्षण न करने से उसका जो अहित हुआ है उसका उदाहरण मैं पेश करना चाहता हूं । सन् १९४७ में जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा था तब गजेटेड अधिकारियों की संख्या ३,१०० थी जिनमें बैकवर्ड ३४ थे । सन् ५५ में गजेटेड आफिसर्स की संख्या बढ़कर ५,२०० हुई जिसमें बैकवर्ड केवल २५ रह गये । श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि यह संरक्षण न होने का ही परिणाम है । क्योंकि हरिजन लोग जो सन ४७ में १६ थे वे सन् ५५ में ७० हो गये । पूरा तो नहीं हुआ लेकिन अपेक्षाकृत संख्या बढ़ी । बैकवर्ड क्लास को संरक्षण प्राप्त नहीं था वह साठ फीसदी घटा है । (लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन् मैं निवेदन करूंगा कि हम लोगों को समय कम दिया करते हैं । कभी-कभी तो समय मिल जाया करे कि मैं पिछड़े वर्ग की आवाज सरकार तक पहुंचा दूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

समय जो रहता है उसी में दे सकते हैं । आपका समय दो मिनट था, दो मिनट और ले लें ।

श्री रघुवीर सिंह—

मैं जल्दी करता हूं । इस अन्याय को ध्यान में रखते हुये मैसूर सरकार ने पिछड़े वर्ग को ५७ फीसदी और हरिजनों को १८ फीसदी सुरक्षित स्थान दिये । मद्रास, केरल, आन्ध्र बाम्बे हर प्रान्त में संरक्षण दिया गया है लेकिन हमारी सरकार ने नहीं दिया है । इस कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पहला पार्ट रिपोर्ट के पन्ने १४० पर आप देखें कि उस रिपोर्ट में प्रथम श्रेणी में २५ फीसदी, सैकेन्ड क्लास में ३३ १/३ फीसदी, थर्ड और फोर्थ क्लास वालों को ४० फीसदी कम से कम स्थान मिलना चाहिये । उसमें यह भी दिया हुआ है कि लोक सेवा आयोग में उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिये जिससे भ्रम न रहे और संख्या के आधार पर चुनाव हो सकें । सरकार दोहाई दे रही है कि लोक सेवा आयोग में हरिजन वर्ग को तो एक प्रतिनिधित्व दे दिया है परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि जब तक स्वास्थ्य, योग्यता और आयु सम्बन्धी छूट सरकार की तरफ से उन बैकवर्ड व्यक्तियों को न मिलेगी तब तक सवर्ण क्लास के मुकाबिले में एक भी स्थान नहीं मिलेगा इसमें एक और बात भी है कि हरिजन वर्ग को तो आपने लोक सेवा आयोग में स्थान दे दिये लेकिन पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जिनकी आबादी ५५ फी सदी है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार को चाहिये कि पिछड़े वर्ग कभी प्रतिनिधित्व होना चाहिये । मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि सरकारी नौकरियों में स्थान देने से यह मतलब नहीं है कि आर्थिक लाभ ही होगा । इससे सामाजिक सुधार भी होता है । आज हम देखते हैं कि जो सरकारी बड़ी नौकरियों पर हरिजन वर्ग के लोग पहुंच जाते हैं तो उनकी जातियों को प्रोत्साहन मिलता है, सम्मान भी मिलता है, राजनैतिक सुधार अपने आप ही हो जाता है । इसके अतिरिक्त मुझे प्वाईन्ट तो कई कहने थे । मैं कहना चाहता हूं कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि सरकारी नौकरियों में संरक्षण न होने के कारण पिछड़े वर्ग के १/२ फीसदी और हरिजन वर्ग के १ १/२ फीसदी सरकारी नौकरियों में हैं बड़े उद्योगों को करने की तो उनमें सामर्थ्य नहीं है । उनको कुटीर उद्योगों में भी प्राथमिकता नहीं मिलती है । कुटीर उद्योगों में बैकवर्ड क्लास और हरिजन वर्ग को प्राथमिकता मिलनी चाहिये । जब इनमें व्यक्ति न मिलें तो दूसरों को वे दी जानी चाहिये । आये दिन यहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि संरक्षण के अनुसार स्थान क्यों नहीं करते उनके उत्तर में मंत्री लोग कह दिया करते हैं कि हरिजनों के योग्य लड़के नहीं मिलते हैं, इसलिये मैं कहता हूं कि अगर हरिजनों के योग्य लड़के नहीं मिलते हैं तो जितने लोग १८ प्रतिशत में कम हों उनका स्थान पिछड़े वर्ग को दें ।

मंत्रि मंडल के गठन के बारे में कहा गया है कि ५ या ६ मंत्रियों को उसमें ले लिया गया है । इसके प्रति मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ऐसा किया है लेकिन २–४ आदमियों को

मंत्रिमंडल में लिये जाने से काम नहीं चलने वाला है। जब तक उद्योगों में, व्यापार में और सरकारी नौकरियों में उनकी गिनती का समावेश नहीं होगा, इस ८० फीसदी जनता का उत्थान नहीं होगा।

*श्री बद्री प्रसाद अवस्थी (जिला लखनऊ)---

मान्यवर, मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इस बजट के द्वारा हरिजन कल्याण को और समाज कल्याण को उन्होंने एक नयी दिशा दी है जो यह है कि इस हरिजन जाति को पूरे समाज में विलीनीकरण के लिये जो प्रयास किये जा रहे हैं, वे इस बजट से दिखाई देते हैं। अभी तक कांग्रेस की सरकार ने हरिजनों को समाज के लोगों से दूर रखा था। आज जो बस्तियां बसाई जाती हैं वे भी शहरों से दूर बसाई जाती हैं। क्या वे इससे सवर्णों के साथ मिलाने का प्रयत्न कर रहे थे। मौजूदा सरकार ने बजट में प्राविधान किया है कि उनका बौद्धिक विकास हो, उनके मस्तिष्क का विकास हो और इसके लिये उन्होंने इसमें समुचित व्यवस्था भी की है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस वाले यह समझते थे कि जिस दिन इस जाति के लोग पढ़े-लिखे, या शिक्षित हो जायेंगे तो वे कांग्रेस के चंगुल से अलग हो जायेंगे और उनका जो आधिपत्य उनके ऊपर है वह दिन प्रति दिन समाप्त होता जायगा। इस भय के कारण हरिजनों के बौद्धिक विकास और शिक्षा के लिये कोई ऐसा प्रयत्न नहीं किया गया था जिससे वे समाज के अन्य स्तरों के साथ अपना स्तर भी ऊंचा कर सकें। मैं माननीय हरिजन व समाज कल्याण मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने इस बात की व्यवस्था की है कि उत्तर प्रदेश में वे ५० लड़कों को चुनेंगे जिन को पब्लिक स्कूल में वे शिक्षा दिलायेंगे। मैं इस बात के लिये काफी दिनों से सोच रहा था कि यदि हरिजनों के बच्चों को भी पब्लिक स्कूलों के स्तर पर शिक्षा दें, उनका स्तर भी वैसा हो जायगा जैसा कि और विद्यार्थियों का होता है जो ऐसे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हमारा देश या प्रदेश अवश्य पनपेगा और ऐसे विद्यार्थी भी कंधे से कंधा भिड़ा कर बड़ी से बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपने तो साबित कर सकेंगे। तो यह उनका विशेष प्रयास सराहनीय है।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इस बजट में विशेष वृद्धि इसके लिये की गयी है। करीब १५ लाख रुपया १०वीं कक्षा के ऊपर के लड़कों के लिये रखा गया है। दूसरे इसमें १६ लाख २० हजार रुपये की और धनराशि १० वीं कक्षा तक के लिये और अधिक दी गयी है। तो यह कहना कि इसमें कटौती की गयी है समझ में नहीं आता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान पंचवर्षीय योजनाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लगभग ५१९ लाख रु० की व्यवस्था की गयी थी। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ७९० लाख रु० के लगभग थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में १२४४ लाख रु० की व्यवस्था थी। परन्तु चौथी पंचवर्षीय योजना में यह कम कर के ७५० रु० कर दिया गया है। क्या इसके लिये यह मौजूदा सरकार जिम्मेदार है या योजना आयोग जिम्मेदार है? हरिजनों की जो आवास की व्यवस्था है इस में अवश्य कुछ वृद्धि करनी चाहिये और इस के लिये काफी गुंजायश है। यहां पर लखनऊ में ऐसी एक हरिजन बस्ती है जो कि भारत सरकार के पुनर्वास विभाग के मातहत है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उस हरिजन बस्ती को वह अपने हाथ में लेकर के वहां के १६७ परिवारों को बसाने की कृपा करें।

हमारे प्रदेश में लगभग २७ छावनियां हैं और लाखों की तादाद में उन में हरिजन निवास करते हैं। परन्तु दुर्भाग्य है कि जो पंचवर्षीय योजनायें बनायी गयीं वे या तो शहर के लिये या देहात के लिये बनायी गयीं और इतने बड़े छावनी के क्षेत्र में रहने वाले हरिजन भाइयों को कभी कोई लाभ नहीं मिल सकता है। मेरा निवेदन है कि सरकार इन छावनियों को हरिजनों के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बद्री प्रसाद अवस्थी]

आवास के लिये और उन के उत्थान के लिये या तो शहरों से संबंधित करे या उन को देहात से संबंधित करे ताकि पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले लाभ उन तक पहुंच सकें ।

जो छुआछूत की बात कही जाती है, मैं समझता हूं कि इस में कुछ ऐसी योजना बनायी जानी चाहिये, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हरिजनों के आवास के लिये, बजाय दूर रखने के उन को शहरों के अन्दर ऐसे स्थान ले कर कि जहां बड़े-बड़े होते हैं उन की वहां पर नई बस्तियां बनायी जानी चाहिये जिससे कि वे शहर के रहने वालों के साथ उन के रहन-सहन को देख कर उन में भी इस बात की भावना हो कि हमारा स्तर भी ऊंचा हो । इस प्रकार की योजनाओं को जन्म देना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री माता प्रसाद---

मैं, मान्यवर, प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय २ घंटे के लिये और बढ़ा दिया जाय क्योंकि बहुत से लोग बोलना चाहते हैं और पहले भी ऐसा होता रहा है । इसलिये आप अनुमति दें । मैं समझता हूं कि इधर भी माननीय सदस्यों को कोई एतराज नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर सदन की इच्छा हो तो सदन का समय बढ़ाने की कोशिश की जाय ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)---

श्रीमन, साढ़े ५ बजे संयुक्त विधायक दल की बैठक है, अन्यथा हम इस प्रस्ताव का स्वागत करते । इसलिये जरा सी असमर्थता है ।

श्री माता प्रसाद---

१ घंटा कर दिया जाय, मान्यवर ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी का क्या सुझाव है ?

श्री राम प्रकाश---

अभी साढ़े चार तक बहस चला सकते हैं । मैं थोड़ा समय लूंगा और उस समय तक काफी सदस्य बोल सकते हैं, ५-५ मिनट का प्रत्येक सदस्य को आप समय दे दें तो साढ़े ४ तक बहुत कुछ हो जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

५,६ सदस्य ही ज्यादा से ज्यादा बोल सकेंगे, जब कि ऐसा लगता है कि ज्यादा सदस्य बोलना चाहते हैं ।

श्री राम प्रकाश---

तो, श्रीमन्, आधा घंटा और बढ़ा दें ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)---

दोनों तरफ की बातों को सुन कर मुनासिब होगा कि सदन का समय १ घंटा बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

नेता विरोधी दल १ घंटा चाहते हैं । माननीय मंत्री जी आधा घंटा चाहते हैं । आप ऐसा कर लें कि जो मुनासिब हो, जितने समय में आप समझते हों कि सब लोग बोल सकेंगे, उतना समय बढ़ जाय तो ठीक है ।

श्री राम प्रकाश—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जैसा ठीक समझें कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे ऐसा लगता है कि बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक है । क्योंकि माननीय सदस्य इस विवाद में भाग लेना चाहते हैं इसलिये मैं सदन का समय एक घंटा बढ़ाने के सुझाव को स्वीकार करता हूं । सभी माननीय सदस्य इसके पक्ष में दिखाई देते हैं ।

(सदन की अनुमति से सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ाया गया । )

श्रीमती कला रानी (जिला हरदोई)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि ऐसे अवसर पर आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया । किसी भी कल्याणकारी देश अथवा प्रदेश में जहां विकास चल रहा हो सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना अनिवार्य हो जाता है । समाज में फैली हुई कुरीतियों, व्यभिचार, अनैतिक व्यापार को बन्द करने के लिये सरकार का महत्वपूर्ण दायित्व होता है । यदि हमें स्वस्थ समाज की स्थापना करनी है तो राष्ट्र का हित भी इसी में होता है । चरित्रवान, निष्ठावान और कर्त्तव्य परायण नागरिक पैदा करना एक सामाजिक दृष्टिकोण रहता है और उसी से हमारे राष्ट्र का हित भी होता है । हमारे प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की स्थापना सन १९५५ में हुई । इसके अन्तर्गत विभिन्न दिशाओं में सुधार के लिये सरकार ने विभिन्न योजनायें बनाकर तमाम नियम लागू करके अपनी योजनाओं की शुरूआत की । इनमें कुछ विशेष उल्लेखनीय योजनायें हैं जिनका मैं यहां उल्लेख करना चाहती हूं । एक तो महिला मंगल योजना है, एक बाल कल्याण योजना है, एक भिक्षा निवारण योजना है तथा एक अनैतिक व्यापार निरोधक योजना है ।

यदि हम भिक्षा वृत्ति निवारण योजना को ही ले लें तो इस दिशा में जो प्रगति होनी चाहिये थी वह बहुत ही कम हुई है और आवश्यकता के अनुसार अगर यह कहा जाय कि यह प्रगति बिलकुल नहीं के बरबर हुई है तो कोई बहुत आश्चर्य न होगा । आज भीख मांगने की प्रवृत्ति प्रदेश के कोने कोने में दिखलायी पड़ती है । आज भी भिक्षा मांगने वाले तमाम घेरा घेरी करते हैं । वे अनेक प्रकार की गन्दी बीमारियों से युक्त होते हैं और सदैव समाज में बीमारी फैलाने वाला काम करते हैं । इस योजना की सफलता तभी सम्भव हो सकती है जब कि प्रदेश में एक भी भिखारी कहीं न दिखलाई दे ।

दूसरी योजना जो विशेष उल्लेखनीय है वह हमारी महिला मंगल योजना है । महिला मंगल योजना के अन्तर्गत मुझे कई ब्लाक्स देखने का मौका मिला । कानपुर जिले में मैंने बैकुंठपुर का ब्लाक देखा । मैंने वहां पाया कि महिला कर्मचारियों ने श्रमदान प्राप्त करके घर घर में स्मोकलेस चूल्हे तथा बन्द जालियों व किचेन गार्डन का निर्माण कराया है । वहां प्रौढ़ शिक्षा का भी प्रबन्ध है, वहां छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल में जाते हैं और इस तरह से महिला कर्मचारियों ने वास्तव में उस बैकुंठपुर गांव को बैकुंठ ही बना दिया है ।

इसके अलावा मैंने सीतापुर जिले के कसमंडा ब्लाक को भी देखा । उपाध्यक्ष महोदय, वहां के काम की सराहना की जा सकती है । वहां महिला कर्मचारियों ने जो योगदान दिया है उससे ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है । आप देखें कि उसी कसमंडा ब्लाक की एक महिला ग्राम सेविका जिसका नाम मन्नी शुक्ला है, उसने भारतवर्ष का नेशनल एवार्ड प्राप्त किया है और इसी प्रकार का एक एवार्ड उन्नाव जिले की एक महिला कर्मचारी कमला अवस्थी ने प्राप्त किया है । इस प्रकार से हम देखते हैं हमारी महिला मंगल योजना दो स्त्रियों के लिये प्रौढ़ शिक्षा, बच्चों की देखरेख, माताओं की शिक्षा वे ऐसा स्वस्थ वातावरण पैदा करें, इसीलिये है, जिसके कारण यह महिला मंगल योजना चलायी गयी थी ।

[श्रीमती कलारानी--]

लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है पता नहीं क्यों इस महिला मंगल योजना को यह सरकार समाप्त करने जा रही है। स्त्रियों का जो ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ा हुआ था वह पिछड़ा ही रह जायगा और उनकी प्रगति के लिये कोई उपाय नजर नहीं आता। इन महिलाओं की ट्रेनिंग के लिये गड़ा रुपया खर्च किया गया और इसके अन्तर्गत विविध कार्य सम्पन्न होते थे जैसे पोषण आहार योजना, बाल बाड़ी, युवती मंगल दल योजना, बच्चों को शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, जवानों के परिवारों को सुख-सुविधा पहुंचाना।

इतनी प्रभावशाली और महत्वपूर्ण कार्य करने वाली महिला मंगल योजना क्यों समाप्त की जा रही है, यह समझ में नहीं आता। इन साढ़े ४ हजार महिलाओं के प्रशिक्षण में बहुत पैसा सरकार का खर्च हुआ। १० प्रशिक्षण केन्द्रों में १४४६ महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा १४,१४,३३४ रु० उस पर खर्च हुआ। सन् १९६६-६७ में ३२४ महिलायें प्रशिक्षित हुईं जिनमें २,९६,३०० रु० व्यय हुआ। ३७५ महिलाओं को बागवानी पशुपालन, सहकारिता, सिलाई, बुनाई, फल संरक्षण, कृषि, स्वास्थ्य में प्रशिक्षित किया गया और १९,३०० रु० व्यय हुआ। इसके अलावा अल्पकालीन प्रशिक्षण दिये गये। ३८ शिक्षिकायें, १७ सहायक विकास अधिकारी, ५५ महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया।

समाज की उन्नति के लिये इन महिलाओं ने वास्तव में प्रशंसनीय कार्य किया। ग्रामीण क्षेत्रों में इन महिलाओं द्वारा उन्नति तथा प्रगति हुई है। अगर उनके पद समाप्त किये गये तो हमारी बहुत सी ग्रामीण स्त्रियों का वर्ग पिछड़ा रह जायगा। महिला मंगल योजना में केवल ३२ लाख रुपया व्यय होता है। १७ लाख रुपया केन्द्रीय सरकार देती है। ३, ४ लाख रुपया यूनीसेफ देता है। १०, १२ लाख रुपये की बात रह जाती है। इस धनराशि की बचत करके सरकार ग्रामीण महिलाओं के साथ अन्याय कर रही है जो कि वास्तव में पिछड़ी हुई है। आखिर इस बचत की क्या आवश्यकता पड़ गयी? बहुत सी ऐसी मदें हैं जिनसे रुपया लेकर इस आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। सरकार की इस अन्यायपूर्ण नीति से महिलाओं में बड़ा क्षोभ है और वे यह अनुभव करती हैं कि उनके अधिकार सुरक्षित नहीं हैं और इस प्रकार यह न्यायसंगत बात नहीं होगी। ऐसा करने से महात्मा गांधी के राम राज्य का स्वप्न अधूरा रह जायगा।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि अनैतिक व्यापार को अगर रोकना है तो बहुत से नियम और कानून ऐसे बने हुए हैं जिनको बदलना पड़ेगा और बगैर क्रान्तिकारी परिवर्तन किए हुए सरकार का सारा रुपया बेकार खर्च हो जायगा और उसमें हमको कोई सफलता नहीं मिलेगी। मैं माननीय उप मुख्य मंत्री से जानना चाहती हूं क्या वे लिखित अथवा मौखिक घोषणा इस सदन में करना चाहते हैं कि जितनी महिलाओं को वे निकालने जा रहे हैं उन सभी को स्थान देंगे?

*श्री देवीदयाल सेन--

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरे विचार व्यक्त करने का समय दिया इसके लिये आपका आभार मानता हूं। अनेक माननीय सदस्यों के विचार हरिजन समस्या के ऊपर सुने। काफी तफसील से अपने अपने अनुसार माननीय सदस्यगण ने विचार दिये। अभी करीब पौन घंटे पहले माननीय जवाहिरलाल जाटव ने अपने विचार रखे और उन्होंने यह बताया कि लोक सेवा आयोग म एक हरिजन की नियुक्ति करके इस वर्तमान सरकार ने कितना बड़ा काम किया है। उसक उत्तर में माननीय चन्द्रबली ने कहा कि यह तो एक लड्डू की तरह हरिजनों को दे दिया कि इसको खाकर मुंह मीठा कर लो। मैं माननीय चन्द्रबली से और आगे बढ़ कर कहता हूं कि जो नियुक्ति की गयी है वह इस तरह से की गयी है कि जैसे किसी बच्चे के हाथ में वास्तव में लड्डू हो और उससे वह लड्डू छीन कर एक मिट्टी का लड्डू थमा दिया जाय। जो डी० आई० जी० लोक सेवा आयोग में नियुक्त किये गये हैं उनका नम्बर आई० जी० बनने का था इस वास्ते उनको लोक सेवा आयोग में नियुक्त किया गया ताकि आई० जी० किसी दूसरे को बनाया जा सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज जो हमारे उप मुख्य मंत्री हैं जिनके हाथ में हरिजन विभाग है मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वह वास्तव में हरिजन समस्या को किसी रूप में सुलझाना चाहते हैं तो जो मानसिंह जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और कौंसिल का चुनाव हार गये हैं यदि उनकी लोक सेवा आयोग में नियुक्ति करें और उनको आई० जी० बनने दें तो वास्तव में हरिजनों के प्रति आप कुछ करेंगे। इस तरह से तो सरकार ने एक तीर से दो निशाने मारे हैं। म कांग्रेस की बीस साल की डायरी को पढ़ना नहीं चाहता और न मुझे उसे पढ़ने की जरूरत ह। जिस वक्त कांग्रेस शासन था उस वक्त मैंने उनकी डायरी खोली थी लेकिन जिस वक्त उनका शासन खत्म हो गया मैंने उनकी डायरी फाड़ कर फेंक दी। अब तो मैंने इस वर्तमान सरकार की डायरी खोली है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले बीस साल में हरिजनों का रिजर्वेशन २, ३, ४ और ५ फीसदी तक ही पूरा हो पाया है। लेकिन मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूं कि इन तीन महीनों के अन्दर .९९ परसेंट हरिजनों का रिजर्वेशन पूरा नहीं किया गया। मेरा दावा है कि हजारों की तादाद में चपरासी से लेकर ऊंची ऊंची पोस्ट्स पर इन तीन महीनों के अन्दर नियुक्तियां हुई ह। लेकिन मुश्किल से १० हरिजनों को भी नियुक्त नहीं किया गया है। जिस तरीके से कांग्रेस शासन में हरिजनों के साथ ज्यादतियां होती थीं उसी तरह से इस शासन में भी उनक साथ ज्यादती हो रही है। यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मैं मान्यवर, विशेष तरीके से कहूंगा कि जो सूबे के अन्दर बेकार भूमि पड़ी हुई है, जिसके लिये हम लोगो ने बाहर से भी मांग की, आन्दोलन भी चलाये मगर कांग्रेस सरकार ने हमारी मांग को अमली जामा नहीं पहनाया और आज हम वर्तमान सरकार से यह मांग कर रहे हैं लेकिन उसके कान पर भी जूं नहीं रेंग रही है कि जो भमि बेकार पड़ी हुई है वह भूमिहीनों को बांट दी जाय जिससे इस सूबे की उपज बढ़े और भूमिहीनों को भी काम मिले। मैं पुन. निवेदन करना चाहता हूं कि बकार भूमि को जल्दी से जल्दी भूमिहीनों को बांट दिया जाय।

मान्यवर, आज मसला सिर्फ कुओं पर या मन्दिरों पर चढ़ने का नहीं है। इससे हरिजनों का उत्थान होने वाला नहीं है। आज इस बात की जरूरत है कि आज देहातों के अन्दर जो हरिजन हैं उनको राय देने का भी अधिकार नहीं है। जिस वक्त चुनाव आता है उनको लाठी के जोर से बन्द कर दिया जाता है मकानों के अन्दर। मैं इस बात के कहने में चूकना नहीं चाहता कि मेरे जिले की मिसाल है, जो हमारे मौजूदा मुख्य मंत्री हैं चौधरी चरण सिंह उनके क्षेत्र के अन्दर डंडे के जोर से हरिजनों को बन्द कर दिया गया और उन्हें राय नहीं देने दिया गया। (शोर) और जो वीरेन्द्र वर्मा जी हैं उनके इलाके में भी डंडे के जोर से हरिजनों को राय नहीं देने दिया गया। (शोर) मेरा तो विश्वास हो रहा है कि बीच में ही इलेक्शन होने वाला है, श्रीमन्, इसका प्रबन्ध कीजियेगा वरना प्रजातन्त्र की हत्या होने में कोई शक नहीं रहेगा।

अनटचैबिलिटी ऐक्ट की बात मैं कहता हूं। या तो इस सूबे के अन्दर छुआछूत है ही नहीं और अगर है तो मेरी समझ में नहीं आता कि दो-चार, दस -पांच मुकदम इस सूब क अन्दर क्यों नहीं चलाये गये जो छुआछूत करते हैं उनके खिलाफ। तो या तो मैं मान लूं कि यहां कोई छुआछूत नहीं है या फिर इस सूबे की कोई भी सरकार हो वह छुआछूत को मिटाना नहीं चाहती। तो सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिये जिससे कि उस ऐक्ट को अमल म लाकर छुआछूत को कुछ रोका जा सके।

मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूं। इलाहाबाद जिले के अन्दर किसी थाने पर--- उस थाने का नाम मुझे याद नहीं रहा---एक हरिजन थानेदार नियुक्त था। वह इतना अच्छा काम करने वाला था कि उसको सरकार ने तरक्की दी। लेकिन वहां का जो गुन्डा एलीमेंट था उसको काबू में करने के लिये जब उन थानेदार साहब ने प्रयत्न किया तो वे सारे के सारे उनसे नाराज हो गये और उनके प्रयत्न से उनका ट्रांसफर हो गया। वह उस स्थान से किसी दूसरे स्थान को जाने वाले थे। तो जहां पर वह रहते थे उसकी बिजली काट दी गयी, अन्धेरा किया गया, उस थानेदार को और उसकी घरवाली को क्लोरोफार्म सुंघाया गया और भाले और बर्छियां

[श्री देवीदयाल सैन]

उस थानेदार के सिर के आरपार निकाल दी गयीं। उसकी पत्नी को भी झाला लगा। मैं नहीं कह सकता कि कल कोई कार्यवाही हुई हो, लेकिन परसों तक मेरी जानकारी में था कि उन गुंडों के खिलाफ अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया था। क्या मैं यह समझूं कि वह थानेदार हरिजन था, उसकी पहुंच करने वाला सरकार के अन्दर कोई नहीं है, वह गरीब है, वह बेबस है इसलिये उसकी इन्क्वायरी नहीं हो रही है और इसलिये उन पार्टियों को प्रश्रय मिल रहा है? यदि कोई और होता तो सूबे के अन्दर एक तूफान खड़ा हो जाता, सैकड़ों की गिरफ्तारी होती। आज हरिजन समस्या का हम बहुत ढिंढोरा पीटते हैं, कागजों से एलान होता है, लेकिन अमल में क्या होता है, यह मेरे माननीय सदस्य इधर के और उधर के कह चुके हैं। (लाल बत्ती जलने पर) म अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं इस बात का मानने वाला हूं कि जितना समय आप निर्धारित करेंगे उसी में मैं अपनी बात कहूंगा।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

श्री रामस्वरूप---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया उनके भाषण को मैंने ध्यानपर्वक सुना। सभी माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार व्यक्त किये उनको भी बड़े गौर से सुना और समझने की कोशिश की और मैं केवल एक ही तथ्य पर पहुंचा कि जितनी समस्यायें हैं वे सब कांग्रेस सरकार की पिछले २० वर्षों में पैदा की हुई हैं। इस सिलसिले में इतना ही कहना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार ने पहली अप्रैल को जब अपना १९ सूत्री प्रोग्राम रखा था तो उनमें दो कार्यक्रम हरिजनों की उन्नति के लिये भी थे। १९ सूत्री कार्यक्रम इस माननीय सदन द्वारा पास हुआ। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि आपको कांग्रेस के ही पद चिन्हों पर चलना था तो वह कार्यक्रम क्यों पास किया? फिर तो कांग्रेस आप से अच्छी थी। जिसने हरिजनों के लिये इतना किया कि आज हम रिजर्वेशन की बात कर सकते हैं और हरिजनों की आवाज को पहुंचाने के लिये स्टेट लेजिस्लेचर्स और पार्लियामेंट में हम लोगों को आने का मौका दिया और हमारी आर्थिक और सामाजिक समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया तो वह सरकार क्या बुरी थी?

जिस दिन वह सरकार आई तो हम लोगों को यह आशा हुई कि शायद हरिजनों की तरक्की के सिलसिले में कुछ विशेष कार्य किये जायंगे। लेकिन आज जब यह अनुदान पेश हुआ तो उसको देख कर विशेष दुख हुआ और विशेष दुख जिन माननीय मंत्री जी ने इस अनुदान को पेश किया उनकी तरफ से नहीं हुआ क्योंकि उनसे और उनकी पार्टी से हम लोगों को यही उम्मीद थी इसलिये परेशानी नहीं हुई। उन पार्टियों की तरफ से परेशानी हुई जिनके सपोर्ट से वह सरकार बनी हुई है और जो अपने को प्रगतिशील पार्टियां कहती हैं। जैसे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट तथा कम्यूनिस्ट पार्टी। इन पार्टियों ने जनता के बीच में जाकर हरिजनों के लिये सब कुछ देने का वायदा किया और कहा कि जब हमारी सरकार आयेगी तो सारी समस्याओं को सुलझा देंगे। उनके चुप बैठे रहने से विशेष परेशानी हुई। आखिर अगले इलेक्शन में जब ये पार्टियां फिर जनता के बीच में जायेंगी तो उसको समझाने का इनके पास क्या उत्तर होगा?

जो बजट पेश किया गया है और जो भाषण दिया गया है उससे सदन को गुमराह करने की कोशिश की गई है। आपने कहा कि इस बजट में बहुत कुछ नहीं किया जा सका। लेकिन हम सप्लीमेंटरी में लायेंगे या अगले बजट में हरिजन उत्थान के लिये प्रावीजन किया जायेगा। मुझे निवेदन करना है कि मंत्री जी ने जिस दिन इस विभाग को संभाला तो सब से पहला काम आपने यह किया कि जिलों में जो हरिजन सहायक समिति और शिक्षा समिति की स्थापना की उनमें से हरिजन एम० एल० एज० का सफाया किया। हम मानते हैं कि हरिजन एम० एल० एज० की बहुत नहीं चलती लेकिन इतना जरूर होता था कि जहां गड़बड़ होती थी तो जो हरिजन

एम० एल० एज० रहते थे वे उसको रोकने का प्रयास करते थे और बहुत कुछ कार्यवाही उसके अनुसार होती थी। तो पहला काम इन्होंने यह किया कि इन समितियों में से हरिजन प्रतिनिधियों का सफाया कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो कटौती इस विभाग में की है उससे और जो दलील दी गयी है कि २० वर्ष में कांग्रेस वाली बात उसके सिलसिले में क्या यह नहीं कहा जा सकता कि समाज के एक बहुत समुन्नत और हर प्रकार से अच्छी हालत में होते हुए जो शहरी वर्ग था महज भूमि भवन कर इसलिए माफ किया गया कि जनसंघ पार्टी की पापुलेरिटी बढ़े ? क्या यह आवश्यक नहीं था कि हजारों वर्ष से पददलित समाज के अंग हरिजन वर्ग के लिए, ग्रांट को बढ़ाया जाता और पिछली सरकार ने जो गलतियां की थीं या जो कार्य किये थे उनमें जो कमि ां थीं उनकी पूर्ति की जाती, या जो समाज का वर्ग हर प्रकार से समुन्नत है उसको थोड़े से पैसों की सूद दे कर अपनी पापुरि ेटी गेन करने की बात ज्यादा आवश्यक थी ? हरिजनों के साथ उनके अनुदान में जो कटौती की गयी है, गृह आवास, पानी पीने के कुओं और हरिजनों के छोटे मोटे उद्योगों में, बहुत बड़ा अन्याय किया गया। यह किसी भी प्रकार से प्रगतिशील या समाजवादी बजट नहीं कहा जा सकता है यदि समाजवादी, प्रजा समाजवादी और कम्युनिस्ट भाई अगर इस बात के हामी हों कि यह समाजवादी बजट है। इसमें जरा भी समाजवाद की झलक नहीं है। इस बजट में अमीरों को ज्यादा अमीर और गरीबों को ज्यादा गरीब करने की दशा में कदम उठाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, पहली तारीख को जब मौजूदा सरकार का १९ सूत्री कार्यक्रम स्वीकार हुआ उसमें प्राविधान था। "कृषि यो-य ऊसर, परती बंजर जमीन को मुफ्त बांट देने और वितरण में खेतिहर मजदूर, भूमिहीन किसान, हरिजन, थारू, कोल आदि कमजोर तबकों को प्राथमिकता देने" इस सम्बन्ध में बजट के सामान्य विवाद के अवसर पर माननीय मुख्य मंत्री जब उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने इस तरह से समझाने की कोशिश की कि जमींदारी अबालिशन ऐक्ट की धारा १९८ में इसका पहले से प्राविजन है। उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा को मैंने भी देखा है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस सिलसिले में आज तक कितने कितने हरिजनों को कितनी भूमि कितने गांवों में मिली। अगर इसके आंकड़े इकट्ठा करना चाहें तो उससे स फ जाहिर हो जायगा कि एक परसेंट भी इस किस्म के हरिजन नहीं मिलेंगे जिनको परती और बंज र भूमि गांव सभा द्वारा मिली है। न भविष्य में मिलने की गुंजायश है।

छात्रवृत्तियों की जो बात कही गयी है उसके सिलसिले में इतना कहना है कि यह जो प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल जिला परिषद् द्वारा चलाये जाते हैं उनमें जो छात्रवृत्तियों की व्यवस्था है, किताबों के वितरण की व्यवस्था है, वह बहुत दोषपूर्ण है। जब शिक्षासत्र समाप्त होने को होता है तो जिला परिषद् से छात्रवृत्ति का पैसा भेजा जाता है और वह पैसा पहुंचते पहुंचते स्कूल बन्द हो जाते हैं। नतीजा यह होता है कि वह पैसा वितरित नहीं होता है। वा स हो जाता है। और जिला परिषदें उसे अपने जनरल फण्ड में ट्रांसफ कर देती हैं। नतीजा यह होता है कि सरकार जो मंजूर करती है वह भी हरिजनों को नहीं मिल पाता। आखिर जब हरिजन विभाग बना हुआ है तो क्या कारण है कि जब कि हायर सेकेंडरी स्कूल और उससे ऊंची कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को इस विभाग से छात्रवृत्ति मिलती है और प्राइमरी स्कूलों के छात्रों को जिला परिषद् के माध्यम से दी जाती है ? तो सभी स्कूलों के छात्रों को हरिजन विभाग के माध्यम से ही मिलना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को आज कल मिलती है, इस महंगी के जमाने में जितना एमाउन्ट उन्हें दिया जाता है वह बहुत ही कम है। इस महंगाई को देखते हुये इस पर सरकार विचार करे और विचार करके इस एमाउन्ट को और बढ़ाने की कृपा करे। जहां तक पब्लिक सर्विस कमीशन में एक हरिजन सदस्य की नियुक्ति का सवाल है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन इतना अवश्य चाहता हूं कि ऐसे माननीय सदस्य की नियुक्ति होनी चाहिये थी जो सरकारी नौकर न होता। मुझे जो सूचना मिली है, उससे यह पता चला है कि जिस माननीय सदस्य की नियुक्ति हो रही है, उनके बारे में काफी आब्जेक्शन

[श्री राम वरूप]

हुये हैं कि वह तो एस० एस० पी० रहे हैं और वह दूसरे सदस्यों के साथ कैसे इसमें बैठ सकते हैं। तो जो आई० जी० पद के लिये डिजर्व करता है और उनका समय भी आ गया है, उनका वह हक न मारा जाए और सदस्य के पद पर अन्य व्यक्ति की नियुक्ति हो।

इन शब्दों के साथ, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री कन्हैयालाल (जिला इटावा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी उधर से एक माननीय सदस्य ने कहा था कि २० साल में कांग्रेस ने हरिजन छात्रों को मकानों की सुविधाएं दीं, लेकिन माननीय सदस्य को यह मालूम नहीं होगा या जानते नहीं होंगे कि यह जो सुविधाएं दी हैं वे कांग्रेस ने दी हैं या और कोई उनका देने वाला था। माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि जिस वक्त पूना में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था, उस वक्त आश्वासन दिया था कि १० साल में हम उसको बराबर कर देंगे, हरिजन और सवर्ण जातियों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं रह जाएगा। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग २० वर्ष तक शासन करते हुये अछूतों को समाज के दूसरे वर्ग के बराबर नहीं कर पाए और जो जनता के प्रतिनिधि चुन कर गये उनको भी जब मिनिस्टर्स बना दिया गया तो वे कुर्सी में चिपक गये और कभी उन्होंने कुर्सी के पद के लालच में सही बात नहीं कही। मैं भूतपूर्व मंत्रियों से पूछना चाहता हूं कि जो १८ प्रतिशत का कोटा सरकारी नौकरियों में हरिजनों के लिये रिजर्व है क्या उन्होंने उसको पूरा कर दिया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज भी यह हालत है कि किसी भी डिपार्टमेंट में १८ प्रतिशत हरिजन नहीं हैं। आज कल तो हालत यह है कि जो विभागों में छटनी होने जा रही है उसमें बहुत से हरिजन छंटनी में निकाले जा रहे हैं। जैसे मैं अपने जिले का उदाहरण दूं, मेरे जिले इटावा में १७ लेखपालों में केवल एक हरिजन था जिसको भी अब निकाला जा रहा है। इस बारे में मैंने जब जिलाधीश से भेंट की तो उन्होंने मुझे जी० ओ० दिखाया और कहा कि देखा जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों के ऊपर आज इस हद तक अत्याचार होता है और इस कदर छुआछूत माना जाता है कि यदि कोई हरिजन देहातों में किसी की चारपाई परबैठ जाए तो उनकी चांद की खैर नहीं। कोई सदस्य यदि इसे देखना चाहे तो मैं दिखा सकता हूं। छात्रों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है, वह नहीं के बराबर है क्योंकि १९५१-५२ में जो छात्रवत्ति दी जाती थी उससे आज की महंगाई में फर्क है। अब महंगाई बढ़ी हुई है। वह महंगाई अब तिगुनी और चौगुनी हो गई है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजन छात्रवत्ति को बढ़ाने की कृपा करें। आज उनको दो बार भोजन भी ठीक से प्राप्त नहीं होता है। कहा जाता है कि जो लड़का फर्स्ट क्लास होगा वह लिया जायगा। जब उनको खाने के लिये भी ठीक ढंग से नहीं मिलेगा तो वह कैसे फर्स्ट क्लास और सेकिंड क्लास आ सकते हैं? किसी भी विभाग में जाकर देखिये वही छुआछूत की बात चली आती है। जैसे हमारे यहां इटावा में जिला परिषद् के आफिस में हरिजन कर्मचारी थे। उनके ऊपर बड़ा अत्याचार हुआ और उनको मारा पीटा गया लेकिन उनके ऊपर कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। मंत्री महोदय के सामने मैं यह रखना चाहता हूं कि कई घटना हो जाती हैं जिनमें हरिजन मारे पीटे जाते हैं और अगर कोई रपट लिखाने भी जाता है तो उसकी भी कोई सुनवाई नहीं होती है। कुछ उन्नति जरूर हुई है कि कुछ विधायक चुन कर आ जाते हैं या लोक सभा में चले जाते ह या मिनिस्टर बनाये जाते हैं लेकिन यह विशेष तरक्की नहीं है। जब तक समाज के अन्दर उनको ऊपर नहीं उठाया जायगा तो क्या तरक्की कही जायगी? आज हरिजन एम० ए० पास कर लेते हैं और एल० टी० भी हो जाते हैं लेकिन समाज के अन्दर उनको हरिजन ही कहा जाता है। उनको समाज में गांवों के अन्दर सम्मान नहीं मिलता है। हिन्दू कास्ट के लड़के पढ़े लिखे भी न हों, काले कलटे हों लेकिन उनको समाज में सम्मान मिलता है और ऊंचे समझे जाते हैं। इसलिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूं कि देहातों में जो यह हरिजनों की दशा हो रही है इसमें सुधार किया जाय। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि जालौन के अन्दर हरिजन ए० डी० ओ० छटनी में निकाले जा रहे हैं। वह यहां आकर रो रहे थे कि वहां पर १८ फीसदी भी कोटा नहीं है लेकिन फिर भी उनको निकाल रहे हैं। तो क्या सरकार उन लोगों को वापस लेगी जो आज छटनी में निकाले जा रहे हैं और उन स्थानों को पूरा करेगी जहां पर अभी तक १८ फीसदी स्थान नहीं भर पाये हैं? मैं आपकी आज्ञा से वह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में प्रतियोगिता के आधार पर जो अभ्यर्थी नियुक्त होते हैं उनमें हरिजन और अनुसूचित जाति के कितने लोग नियुक्त किये गये हैं, इस पर आपका ध्यान जाना चाहिये।

श्री इन्द्रलाल---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी साढ़े चार घंटे से इस सदन में मैं हरिजन कल्याण और समाज कल्याण विभागों पर माननीय सदस्यों के भाषण सुन रहा हूं। श्रीमन्, आज हमारा प्रदेश विकास की जिस प्रगति पर बढ़ रहा है मैं तो यह कहने के लिये तैयार हूं कि आज भी इस प्रदेश के हरिजनों की दशा वही है। जिस प्रगति से उनकी दशा में सुधार होना चाहिये था वह उतनी मात्रा में प्रगति के साथ सुधार नहीं हो पाया है।

मान्यवर, अभी बार बार यह कहा जाता है कि बीस वर्ष के कांग्रेसी प्रशासन में जो दशा हरिजनों की रही है उसे देखते हुये तीन महीने में हमने उनके लिये बहुत कुछ किया है। एक हरिजन भाई के पब्लिक सर्विस कमीशन में लेने की बात कही गयी। मैं समझता हूं कि उनके लिये जो रिजर्वेशन कांग्रेस सरकार ने किया है उसे देखते हुये यह बिलकुल नाम मात्र की बात है। आप की आज्ञा से मैं माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज देश में चाहे वह विरोधी दल हो अथवा सरकारी दल, किसी भी राजनीतिक दल की रीढ़ हरिजन वर्ग ही कही जायगी। यह हरिजन वर्ग हमारे प्रदेश की आबादी का एक-चौथाई भाग है। लेकिन उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वह उचित नहीं है। केवल कागजों को रंगने के लिये ही बड़ बड़े वायदे किये जाते हैं। अमली तौर पर कुछ भी नहीं हो रहा है। पिछले वर्षों में हरिजनों के उत्थान के लिये जिला हरिजन समितियों का निर्माण किया गया था। जिसके अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे और जिले के लिये जिला हरिजन कल्याण अधिकारी नियुक्त किये गये थे, लेकिन आमतौर पर मैं देखता हूं कि जब भी हरिजन विद्यार्थियों के वजीफे का सवाल आता है अथवा जब कभी उनको जमीन दिलाने की बात आती है अथवा उनको ऋण मिलने का प्रश्न होता है, उनके लिये कोई सुनने वाला नहीं होता। वह समिति की बैठकें भी जिला परिषद के अध्यक्ष के घर पर ही बुलाई जाती है और उनका निर्णय उसी परम्परा के अनुसार होता है जो भाग्यविधाता है जो अब तक कटुनीति चली आती रही है और उसमें सब तरह से हरिजनों को दबाया जाता है यह एक समाज के उत्थान के इतिहास में आपके सामने रख रहा हूं। किसी भी देश की स्थिति उसके गिरे हुये वर्ग की आर्थिक स्थिति से ही नापी जाती है।

मैं कुमायूं और उत्तरा खंड से आया हूं। वहां के हरिजनों की दशा देख कर आपका हृदय भी पिघल जायगा। उनकी सबसे बड़ी समस्या भूमि की है। उसके बाद उद्योग से उनका उत्थान हो सकता है किन्तु उसके लिये ऋण मिलने की कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे पिछली सरकार रही हो, अथवा यह सरकार हो, दोनों का नारा है कि हम पिछड़े हुये लोगों का उत्थान करेंगे, कल्याण करेंगे लेकिन आज कुमायूं व उत्तराखंड के तराई भावर में हमारे जो हजारों भाई भूमि के लिये भटक रहे हैं और उनके लिये भूमि का इन्तजाम यह प्रजातांत्रिक सरकार नहीं कर सकती है। यह बड़े शर्म की बात है। हमारे बाजपुर तहसील में एक खुकरोटा नाम का ग्राम है, वहां के हरिजन भाइयों ने तीन वर्ष तक भूमि के लिये प्रयत्न किया उनके पास भूमिहीन होने का सर्टिफिकेट था, वह भटकते रहे लेकिन वन विभाग की भूमि मिल गयी उन लोगों को, जिन्होंने भूमि पर

[श्री इन्द्र लाल]

जबरदस्ती कब्जा कर लिया। जिनके पास साधन थे, उन्होंने उस पर अपना अधिकार जमा लिया और वे हरिजन यूं ही रह गये। मैं तो कहूंगा कि यहां हरिजनों के नाम पर बिलकुल थोथली बातें हो रही हैं और इस विकास के युग में भी उनको बिलकुल अंधेरे में रखा जा रहा है। जरा देर के लिये कहा जाता है कि हम आपके रिजर्वेशन में सहूलियतें दे रहे हैं। आज विकास कार्यक्रम में जितना रुपया दिया जाता है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चाहे कम हो लेकिन उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं, इस पर आपका ध्यान दिलाऊंगा। पहले डिस्ट्रिक्ट लेविल पर पंचायतराज अफसर होते थे और तहसील लेविल पर पी० आर० आई० होते थे उनकी योजनायें तुरन्त पूर्ण हो जाती थीं और सहायता मिल जाती थी, कोई दिक्कत नहीं रह जाती थी। लेकिन आज विकास कार्यक्रम में जितना लम्बा-चौड़ा ढिंढोरा पीटा गया है जो कृषि और भवन निर्माण के लिये जो रुपया दिया जाता है वह कहां जाता है। आपके नये बजट में उसका नामोनिशान तक नहीं है।

हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी कहा है कि थारू, बोक्सा और भोटिया लोगों को भी अनुसूचित जाति में स्थान दे दिया है। यह भी बैकवर्ड क्लास है। मुझे हर्ष है लेकिन जब आज बजट घटा दिया गया है, उसी में ये लोग भी भागीदार बनेंगे तो क्या उनका पूरा हो सकता है? मुझे आश्चर्य तो यह है कि हमारे प्रदेश में कहा जाता है कि हम समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं। जहां वन विकास के लिये वन मंत्री जी ने लगभग साढ़े चार करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है, वहां मानव-मात्र प्राणी के लिये ढाई करोड़ का बजट रखना, यह कहां तक बुद्धिमत्ता का कार्य होगा। अगर हरिजनों को कोई प्राथमिकता देनी है तो जिला स्तर पर जो सहायक समितियों का गठन किया गया है उनको बदल दिया जाय और परिषद् के अध्यक्षों के प्रभुत्व से हटाकर वास्तविक जनप्रतिनिधि एम०एल०ए०, जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनके अधिकार में समिति का कार्यक्रम और जहां तक बजीफ बंटवाने का प्रश्न है इस को जनता के नुमाइन्दे के हाथ में दिया जाय और हरिजनों के विकास कार्यक्रम और समितियों में हरिजन वर्ग का डाइरेक्ट प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

**(इस समय ४ बज कर ३९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)**

पंचायतराज में जो रिजर्वेशन किया गया है वह केवल नाम मात्र का ग्राम सभाओं में कर दिया जाता है और न्याय पंचायतों के लिये कोई स्थान नहीं होता है। अगर इस सरकार की समाजवाद में आस्था है और हरिजन समाज को समानता देनी है तो समाजवाद और समानता के आधार पर उन्हें स्थान मिलने चाहिये और उत्तराखंड, कुमायूं में उनकी आर्थिक उन्नति के लिये शीघ्र भूमि का प्रबन्ध किया जाय। इन शब्दों के साथ जो मैंने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

(श्री मोती लाल देहलवी का नाम पुकारने के उपरान्त)। मैंने आपको बुला लिया लेकिन आप स्थान ग्रहण करें, मुझे कुछ सूचनाएं देनी हैं। मैंने आपको इसलिये बुला लिया कि माननीय सदस्यों को बार बार न खड़ा होना पड़े।

## कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास आज एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है माननीय हेमवती नन्दन बहुगुणा जी की ओर से। जो विषय है उस पर किसी न किसी रूप में चर्चा हो चुकी है, कृषि अनुदान पर प्रश्न उठा था, इसलिये मैंने उसको अस्वीकार कर दिया है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---

जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव मैंने दिया था, यह सही है कि इस सदन में कई बार आया था, लेकिन कृषि मंत्री जी ने ऐलान किया था कि उन्होंने बीज की प्रदेश भर में व्यवस्था कर दी है। श्रीमन, सूखे वाले इलाकों के लिये सरकार की व्यवस्था हो गयी है। लेकिन मान्यवर, वह पर लेट वेराइटी वाला बीज पहुंचा है जब कि वहां पर अरली वेराइटी वाले बीज की जरूरत है। हमारे यहां इलाहाबाद में बारा, करछना और मेजा में अरली वेराइटी वाला बीज ही बोया जाता है। मैंने इस लिये आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ताकि जो गलत बीज वहां चला गया है वह वहां से बचाकर जहां उसकी आवश्यकता हो वहां भेजा जा सके और उसका सही प्रयोग हो सके। सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि बीज नकद पैसे के आधार पर दिया जायेगा। मान्यवर, एक हैसियत के नीचे लोग इस से फायदा नहीं उठा पायेंगे। माननीय मंत्री जी के आदेश हैं, मगर उनका सही सही पालन नहीं हो रहा है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री जी दफा ५१ के अन्तर्गत यहां बयान दे दें ताकि लोगों को जानकारी हो जाय।

श्री अध्यक्ष---

मैं आपको यह बताना भूल गया कि मैंने इसको कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार न करते हुये भी इसे महत्व का माना है और इसको संबोधित मंत्री जी के पास उनकी जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया है। अब माननीय सदस्य अगर कुछ और जानकारी करना चाहते हों तो वे और तरीके से भी कर सकते हैं। वैसे आपने सारी सूचना लिखकर भी दे दी है और यह भी कह दी है। मैं मंत्री जी को वक्तव्य देने के लिये बाध्य नहीं कर सकता। माननीय कृषि मंत्री जी अगर बयान देना चाहेंगे तो मैं समय निर्धारित कर दूंगा अन्यथा आप प्रश्नों के द्वारा जानकारी कर सकते हैं। यह आपका अधिकार है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

क्या अल्पसूचित प्रश्न स्वीकार हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष---

मैं यहां तो नहीं बता सकता, उसके लिये नियम हैं।

## चमोली जिले में तिब्बतियों के आने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास करीब १२, १३ सूचनायें नियम ५१ के अन्तर्गत आयी हैं जिनमें से केवल एक को मैंने स्वीकार किया है वह माननीय योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी की हैं। वह इस प्रकार है।

मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम ५१ के अनुसार सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु द्विप्रतीक सूचना प्रेषित करते हुये निवेदन करता हूं कि निम्नलिखित विषय एक अविलम्बनीय लोक महत्व का है, अतः इसे स्वीकृत करने की कृपा की जाय। समाचार पत्रों और चमोली के अन्य सुत्रों से ज्ञात हुआ है कि उत्तरी खंड के चमोली जिले में 'बारा होती व माना पास' को पार कर तिब्बती लोग बड़ी संख्या में अपने पशुओं तथा सामान के सहित चमोली जिले में पहुंच रहे हैं और आते जा रहे हैं। तिब्बतियों के इस प्रकार के निष्क्रमण को जनता रहस्यमय समझ रही है। ये लोग शरणार्थी हैं या क्या हैं इस पर बड़े आश्चर्य की चर्चा जनता में है और अनेक प्रकार की आशंकायें व्याप्त हो रही हैं।

अतः सरकार इस पर वक्तव्य दे कर स्थिति स्पष्ट करने की कृपा करे।

मैं इसको भी स्वीकार करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री यदि इस समय आप वक्तव्य दे सकें..

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि यह प्रश्न अर्जेंट पब्लिक इम्पार्टेंस का है और इस सिल-सिले में हमको कुछ बातें मालूम भी हैं। लेकिन पूरी जानकारी देने के लिये समय की आवश्यकता होगी। इसलिये परसों रख लें तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न इतने महत्व का है कि इस में पूरी जानकारी होने पर ही सदन में चर्चा होना ठीक है। जानकारी में समय लग सकता है। इसलिये मैं परसों का समय उचित समझता हूं। परसों रख लिया जाय।

## नियम ५१ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनायें

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)--

श्रीमन्, मेरा एक नियम ५१ था कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश के संबंध में। परीक्षा परिणाम देर से निकला। ३० तारीख प्रवेश के लिये उस विश्वविद्यालय में अन्तिम थी। विद्यार्थियों का क्या होगा। कृपया इस पर भी वक्तव्य करा दें।

श्री अध्यक्ष--

मैं सरकार को बाध्य तो नहीं कर सकता। इस से कुछ लोगों का ही संबंध है। और उसमें भी तात्कालिक कार्यवाही की आवश्यकता है, ऐसा मैं समझता हूं। इसलिये मैंने मंत्री जी को जानकारी के लिये लिखा है। मैं समझता हूं कि इस पर कृषि मंत्री जी जो संभव होगा अवश्य कार्यवाही करेंगे।

श्री हरीश कुमार गंगवार--

श्रीमन्, अभी आपने अपने मुखारविन्द से एक बात कही कि आप मंत्री को वक्तव्य देने के लिये बाध्य नहीं कर सकते। इस से पहले भी नियम ५१ के अन्तर्गत स्वीकृत करते हैं उस पर भी वक्तव्य हुये हैं, प्रश्न भी किये जाते हैं। इससे पहले भी परम्परा रही है और आपने भी कहा है कि हम नियम ५१ के अन्तर्गत स्वीकार करेंगे किसी को महत्वपूर्ण समझेंगे तो केवल वक्तव्य के लिये भी स्वीकार करेंगे। वक्तव्य के लिये स्वीकार कर देते हैं .....

श्री अध्यक्ष--

यह विषय ऐसा है जिसमें मैं निश्चित समझता हूं कि इस में चर्चा से कोई फायदा होने वाला नहीं है। फायदा केवल कार्यवाही और ऐक्शन से होने वाला है। माननीय शिक्षा मंत्री बैठे हैं। इस में कुछ कार्यवाही कर चुके हों या करने वाले हों तो बता दीजिये। माननीय शिक्षा मंत्री, शायद आपको पता नहीं कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडिएट बोर्ड का परीक्षा फल २० जून को प्रकाशित हुआ। देहात तक परीक्षा फल पहुंचने में ३-४ दिन लगे। मार्क शीट लेने में ५-६ दिन का समय लगा। अब विद्यार्थी कृषि प्रवेश लेने के लिये गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल कालेज, कानपुर पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि प्रवेश की अन्तिम तारीख ३० जून, समाप्त हो गई। इस तरह से देहात के विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिल पाया है। उनके प्रार्थना पत्र नहीं लिये गये। इस अव्यवस्था से विद्यार्थियों में घोर असंतोष है। यह प्रश्न है। चूंकि इस में सदन की चर्चा से कोई लाभ होने वाला नहीं है। यदि शिक्षा मंत्री आप उचित समझें और इस स्थिति में कोई तारीख बढ़ा सकते हों तो देख लें और कर लें।

उप मुख्य मंत्री (श्री राम प्रकाश)--

श्रीमन्, यह तो कृषि मंत्री से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष--

कृषि मंत्री हैं नहीं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--(जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, एक बात व्यवस्था के संबंध में जानना चाहता हूं । अभी कहा गया कि आप मंत्री को वक्तव्य देने के लिये बाध्य नहीं कर सकते । नियम ५१ में किसी प्रश्न को स्वीकार कर उसके ऊपर सरकार से बयान दिलवाना आपके अधिकार में है या सरकार की इच्छा पर है ।

श्री अध्यक्ष--

उसका अधिकार मेरे पास है । बहुत सारी बातें बिना बहस के अच्छी रहती हैं। नियम ५१ में मुझे अधिकार है कि मैं यदि कोई प्रश्न स्वीकार करूं, तो सरकार को उस पर वांछित सूचना देनी होगी । यह उसकी इच्छा या अनिच्छा पर नहीं है । एक प्रश्न के बाद अगर कोई और प्रश्न है तो मैं बाध्य नहीं कर सकता, नियमों के अन्तर्गत । अगर संबंधित मंत्री आवश्यक समझें तो वह वक्तव्य दे सकते हैं ।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--(जिला मिर्जापुर)--

मैंने नियम ५२ में दिया था । प्रश्न हमारी मां और बहनों का काफी अहम है । उसके संबंध में कई प्रकार के वक्तव्य हुये हैं । मुख्य मंत्री ने कल कहा था कि शायद हम सबको नौकरी नहीं दे सकते । बड़ी गड़बड़ स्थिति चल रही है । उन मां बहनों का क्या होगा ? इसमें ९, १० लाख रुपया है .....

श्री अध्यक्ष--

कितनी ही महत्वपूर्ण बात हो, नियमों के अनुसार ही उसे लिया जा सकता है । मैंने उसका महत्व समझते हुये और आपकी इच्छा को देखते हुये इतना तो आपको अवसर दे दिया कि आपने कह लिया । कल इस पर चर्चा हो चुकी है । माननीय मुख्य मंत्री का वक्तव्य हो चुका है । आज वही अनुदान इस समय चल रहा है । अब आप उसका जिक्र कर रहे हैं, वह बहुत आवश्यक नहीं है । लेकिन फिर भी आपने जिक्र किया है और संबंधित मंत्री ने सुन लिया है । हम आशा करेंगे.....

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

माननीय मुख्य मंत्री चल कर देख लें ।

श्री अध्यक्ष--

मुख्य मंत्री पर जन साधारण का अधिकार है । तो सदन में ही क्या जरूरत है ? इस तरह से मेरे पास १२-१४ सूचनायें आयी हैं । मैं सबको पढ़कर नहीं सुना सकूंगा और न मेरे लिये आवश्यक है । अगर कोई माननीय सदस्य चाहें तो वह कृपा करके देख लें कि मैंने क्या किया है । जब मैं एक सूचना को स्वीकार कर चुका हूं तो दूसरी कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न हो उसे स्वीकार नहीं कर सकता ।

एक सदस्य--

अगर माननीय मंत्री जी चाहें तो वक्तव्य दे सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

वक्तव्य की प्रथा पर आप लोगों के आग्रह से कुछ आघात हो रहा है । सारे प्रश्न संबंधित मंत्रियों के पास भेज दिये गये हैं । आप कृपा करके मंत्री जी से मिल लें और अगर संतुष्ट न हों तो प्रश्नों के द्वारा पूछ सकते हैं ।

श्री भगवती सिंह विशारद---(जिला उन्नाव)---

मैंने एक प्रश्न आपकी सेवा में प्रस्तुत किया था। एक आदमी रायबरेली जेल में ७ वर्ष से अनशन कर रहा है।

श्री अध्यक्ष---

आप विशारद हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप की इच्छा हो सकती है कि सदन को जानकारी हो क्योंकि अजीब-सी बात है जो आपने लिखी है कि एक बन्दी ७ साल से अ मरण अनशन जेल-खाने में कर रहा है। उसका वजन २३ किलो रह गया है। यह सदन में विचार की बात नहीं है। बन्दियों के लिये नियम बने हुये हैं। सात साल हो गये। इसमें अर्जेंसी की बात भी नहीं है। वह तो योगी हो गया, फिर। माननीय मुख्य मंत्री बड़े सहृदय आदमी हैं। आप जाइयेगा, वह इसके बारे में कुछ सोचेंगे।

श्री मोहन लाल गौतम---(जिला अलीगढ़)---

आपने इतना समय दिया है। वह क्या खाता है, क्या पीता है, अगर आप अनशन की परिभाषा नहीं करेंगे तो हमारी जानकारी में कुछ कमी रह जायगी।

श्री अध्यक्ष---

मैं आशा करता हूं कि माननीय विशारद जी आप की इस जानकारी में मदद करेंगे।

## १९६७-६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान सख्या २९---अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां तथा अनुदान संख्या ३०---समाज कल्याण (क्रमागत)

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय,

ताज्जुब क्या जो मजलूमों को, जोशे इन्तकाम आए,
कि परवरिश पाती है बिजली भी तो पानी में।

हरिजन अनुदान पर बहस चल रही है। मैं कई दिनों से कटौती के प्रस्तावों के सम्बन्ध में जो भाषण होते आ रहे हैं उन्हें बहुत गौर से सुनता रहा हूं। अब तक जितने कटौती के प्रस्ताव पर भाषण हुए हैं वे सब ऐसे-ऐसे लगते हैं कि जैसे एक नालायक बेटे ने अपनी मां को दूध, मलाई और रबड़ी खाने के लालच में खाते-खाते भ्रष्ट कर दिया हो और जब २० साल के बाद अपने बाप से शिकायत कर रहा हो अपनी मां की। ठीक इसी तरह से जितने कटौती के प्रस्ताव हुए हैं वे इसी तरह से हैं। आज हरिजन अनुदान पर कटौती का प्रस्ताव रखा गया। कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जितने भी भाषण हुए, कि हरिजनों को कितनी तकलीफ है, कितनी शिकायत और परेशानी है, इसके बारे में सब लोगों ने जो कुछ कहा अगर वह १६ आने कहा तो मैं उसे सवा सोलह सही मानता हूं। इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ३ महीने में ही वे सब तकलीफें व शिकायतें हो गई हों। अगर आप हरिजनों की समस्या पर गौर करना चाहते हैं, दो आंसू सही में बहाना चाहते हैं, तो आपको अपनी तरफ और अपने कारनामों की तरफ देखना पड़ेगा।

मैं बहुत खुले रूप में कांग्रेस के लोगों पर यह आरोप लगा रहा हूं और दावे के साथ यह अभियोग लगा रहा हूं कि हरिजनों के नाम पर आप लोगों ने जितना भी रुपया खर्च किया, कुओं के नाम पर, कहीं सुअर के नाम पर, वह कल्लू, मटरू, छीतर, चतरू वगैरह के नाम पर दिलवाया है, लेकिन वह तमाम रुपया आप लोग खाते रहे हैं और हरिजनों को नहीं दिया है। आपको हरिजनों के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप जो आज आंसू बहा रहे हैं वे मगर

मच्छ वाले आंसू हैं। वह दिखावटी-बनावटी और धोखा देने वाले आंसू हैं। हरिजनों के बारे में मापदण्ड होना चाहिए कि आपने कितना उत्थान किया है और इन्होंने (मौजूदा सरकार ने) कितना किया है। यदि आपने इन २० सालों में हरिजनों के आत्मबल को न गिराया होता तो मैं पहला व्यक्ति होता जो इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता। यदि आपने वास्तव में हरिजनों की हालत में सुधार लाने की दिशा में कोई कोशिश की होती तो आप यकीन करें मैं पहला आदमी होता जो कि सरकारी बचों के खिलाफ आपके पक्ष में वोट देता लेकिन मैं समझता हूं कि इन २० वर्षों में आपने हरिजनों की आत्मशक्ति और आत्मबल को गिराया है और इस हद तक गिराया है कि उसे रसातल पर पहुंचा दिया है। आने वाला इतिहास और आने वाली संतानें आपको कहेंगी कि कांग्रेस के लोगों ने हरिजनों के साथ जबरदस्त अपराध और पाप किया है जितना कि कोई और देश अपनी पिछड़ी जातियों के लिए नहीं कर सकता है।

आज हरिजनों को यदि गांवों में कोई शिकायत होती है तो उन्हें पुलिस से कोई मदद नहीं मिलती है। आपने खुद भी उसको सत्याग्रह का रास्ता नहीं दिखाया है, कभी अन्याय का प्रतिकार करना नहीं सिखाया है। अगर आपने कुछ सिखाया है तो उनको गुलाम बनाना ही सिखाया है। इसके बारे में मैं कांग्रेस के लोगों पर एक जबरदस्त आरोप लगा सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अगर उन्हें सही मानों में हरिजनों से कोई हमदर्दी होती तो उन्होंने इन २० वर्षों में कोई न कोई भूमि कानून अवश्य बना दिया होता। हरिजन भूमिहीन हैं, उनके पास कोई जमीन नहीं है। वे हमेशा दूसरे के खेतों पर एक रुपए या १२ आने प्राप्त करके मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। इनकी मांगों को लेकर कि जमीन का बटवारा किया जाय, जब हमने आवाज उठाई तो हमें जेलों में कांग्रेस सरकार डालती रही है। इसी मांग को लेकर जब हमने आवाज उठाई तो सम्पूर्णानन्द जी ने लाठी चार्ज कराया और जितना खून सीतापुर जेल में इस लाठी चार्ज से गिरा, उससे मुझे बचने की कोई उम्मीद नहीं रही थी। हम २० साल से...

श्री अध्यक्ष––

अब आप का समय समाप्त। अब आप कृपया बैठें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

यह उचित नहीं है कि जब मैं कह रहा हूं तो आप भी माननीय सदस्य से बैठने के लिए कहें। कृपया आप बैठने के लिए न कहें। मैं साधारणतया कोशिश करता हूं कि समय बढ़ा दूं। जब माननीय सदस्य बोलते हों तो रोकने में मुझे खेद होता है लेकिन इस ग्रान्ट को ६ बजे तक समाप्त करना है और अभी काफी कार्य बाकी है। तो अब जो माननीय सदस्य खड़े हों वे ७, ८ मिनट से ज्यादा न बोलें और जब लाल बत्ती बुझ जाय, तो बैठ जायं।

श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद)––

श्रीमन्, जो बजट प्रस्तुत है वह एक ऐसा बजट है जिस का सम्बन्ध इस प्रदेश के बहुत बड़े समाज से है और अब तक जो माननीय सदस्यों के भाषण हुए और विशेष कर जो मन्त्री का भाषण हुआ उस पर लोगों की टीका टिप्पणी हुई और विचार भी आए। मैं कहूंगा कि हमारे उपमुख्य मन्त्री ऐसी पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं जिन को अपनी पार्टी के अनुसार इस बजट से ज्यादा दूसरा बजट रख नहीं सकते थे। अगर इस बजट को समाजवादी बजट माननीय सदस्य कहें तो उन की एक भूल है। यह बजट पूंजीवादी हो सकता है, रुढ़िवादी हो सकता है। आज माननीय सदस्यों को भ्रम है कि इस बजट के अन्दर कुछ कटौती कर दी गई है, हरिजनों के हितों की तरफ उनकी उदासीनता है। तो यह कोई नई बात नहीं है। जब हम क्षेत्र में चुनाव के समय जाते हैं तो हर पार्टी कोई न कोई अपना घोषणा-पत्र रखती है और उस में कहीं न कहीं हरिजनों और पिछड़े हुए समाज के उत्थान की चर्चा होती है। लेकिन उपमुख्य मन्त्री जिस पार्टी से सम्बन्ध

[श्री सुक्खन लाल]

रखते हैं उस पार्टी के किसी भी घोषणा-पत्र में कहीं भी हरिजनों के उत्थान की बात नहीं है। अतः यदि इन्होंने इस बजट को इस रूप में रखा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे मुख्य मन्त्री ने हरिजन विभाग को जब शिक्षा मन्त्री के सुपुर्द किया था तो बिलकुल वही बात थी जैसे किसी भेड़िए के हाथ में मेमना दे कर के यह आशा करना कि वह उसका पालन, पोषण कर सकेगा। तो यह तो होना ही था और जब हम ने सुना था कि यह विभाग शिक्षा मन्त्री को दिया जा रहा है तो हम समझ गए थे कि यह आशा निराशा में बदलेगी। मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में यह कहा कि जो कुछ भी बजट में कटौती की गयी है वह इस आधार पर की गई है कि पिछली जो कांग्रेस सरकार थी उस के जमाने में उस का उपयोग नहीं हो सका, इसलिए कटौती की गई। यह ऐसा ही उदाहरण है कि किसी को खाना दिया जाय और उससे यह कह कर छीन लिया जाय कि तुम खा नहीं सके। तो मैं कहूंगा कि समाज में आज भी ऐसे तत्व मौजूद हैं जो कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन करने में समय-समय पर अड़चन डालते रहे हैं और नियमों का पूरी तरह से पालन न करने देने में उन का पूरा हाथ रहा है। हरिजन अनुदान की व्यवस्था जब विकास क्षेत्रों में बांटने की की गयी थी तो उस वक्त हमारे उधर बैठने वाले बहुत से महानुभाव इस बात को देख कर कि यह अनुदान मुफ्त में मिलता है हरिजनों के लिए, अपने घर के नौकरों के नाम पर, अपने हलवाहों के नाम पर अनुदान लेकर हरिजनों को बदनाम करने की कोशिश की। तो मैं कहूंगा कि जिन लोगों ने इस बजट को इस रूप में देखा है उससे इसकी कोई आशा नजर नहीं आयी कि इसमें हरिजनों को कुछ बल मिलने की बात हो।

कुटीर उद्योग की भी बात कही गयी। किसी भी समाज की आर्थिक दशा में जब तक सुधार न हो, तब तक उसका उत्थान होने वाला नहीं है। सबसे पहले जो हमें इस बजट में देखने को मिला वह यह कि जो कुटीर उद्योग हैं उनको खत्म करने के लिए रुढ़िवाद की तरफ संकेत किया गया है। अगर हरिजन अपने काम को आगे बढ़ाता है और अपनी आर्थिक दशा को सुधारने की कोशिश करता है तो यह घातक हो सकता है उस समाज के लिए जो आज तक हर तरह से उसको गिराता रहा है। जो समाज आज तक इनको जानवरों की तरह से इस्तेमाल करता रहा है, जो समाज इनकी सेवाओं पर राज्य करता रहा है उस समाज को इसे धक्का पहुंच सकता है।

शिक्षा की जो बात कही गयी है, मैं समझता हूं कि शिक्षा के भ्रम में लोगों को डाल कर एक तरह से हरिजनों को बहकावे में डालने की बात कही गयी है। किसी समाज का सुधार तभी हो सकता है जब कि नीचे वालों को शिक्षा की हर तरह से सुविधा मिले। नीचे स्तर के लोगों को साधन मुहय्या करने का जहां तक सम्बन्ध है, हरिजन विभाग का इसमें कोई हाथ है ही नहीं। हमारी कांग्रेस सरकार पहले ही ६ठे क्लास तक की शिक्षा फ्री कर चुकी है। अब कहा जाता है कि ७वीं कक्षा के हरिजन विद्यार्थी को पुस्तकों के लिए भी अनुदान मिलेगा। मैं नहीं समझता कि इसमें आपने कौन-सा भारी अहसान कर दिया। बजट को देखने से मालूम होता है कि क्लास ७ से १० तक के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जायगी लेकिन जिन लोगों के जरिए वह वितरित किया जायगा उनका इस समाज से कोई सम्बन्ध नहीं है। जिनका इस समाज के प्रति कोई प्रेम व स्नेह नहीं है। कहा जाता है कि मेरिट के लिहाज से दिया जा रहा है, बच्चों के संरक्षक की आमदनी के लिहाज से दिया जा रहा है। तो इससे हरिजनों का कोई उत्थान होगा, ऐसी बात मैं नहीं समझता।

आगे एक बात यह कही गयी कि सर्विसेज में रिजर्वेशन दिया जायगा लेकिन उस रिजर्वेशन का नतीजा क्या रहा जबकि आज तक भी उनका कोटा पूरा नहीं हो सका। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(श्री हरीश कुमार गंगवार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष —

माननीय गंगवार जी, साढ़े ५ बजे तक में चाहता हूं समाप्त कर देना, तो ५–६ मिनट ही आप लेंगे ।

*श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, मैं इस पर बोलना तो नहीं चाहता था परन्तु बहुत से माननीय सदस्यों को गलत-फहमी है, इस कारण मैंने यह सोचा कि अवश्य कुछ न कुछ कहा जाय । श्रीमन, पहली बात तो यह है कि माननीय सदस्यों का यह आरोप है कि एक ऐसा व्यक्ति मिनिस्टर बनाया गया है इस डिपार्टमेंट का जिनकी पार्टी हरिजनों की समस्या में विश्वास नहीं रखती, उनके कल्याण में विश्वास नहीं रखती । तो मैं केवल इतनी बात कह देना चाहता हूं कि इस समय जनसंघ के अन्दर २२ हरिजन एम० एल० एज० हैं । अगर इनकी समस्याओं की तरफ हमारा दृष्टिपात न होता तो इतने हरिजन मेम्बर हमारे यहां क्यों होते ?

(व्यवधान)

इसके अलावा श्रीमन्, संयुक्त विधायक दल में सम्मिलित जो और विभिन्न दल हैं उन सब को ले लिया जाय तो आज जितने कांग्रेस के हरिजन एम० एल० एज० हैं उनसे कहीं ज्यादा हमारे यहां हरिजन एम०एल०एज० हैं ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी जो माननीय सुक्खनलाल जी भाषण कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जनसंघ के घोषणा-पत्र में कहीं हरिजन समस्या का जिक्र ही नहीं है । अब जनसंघ के घोषणा-पत्र से अगर उनको इतनी नफरत है कि उसको पढ़ना भी नहीं चाहते तो मैं उनके कमरे में जाकर खुद पढ़ा दूंगा तो उनको पता चल जायगा कि कितना जिक्र उसमें हरिजनों का है । आप यह चाहते हैं कि ३ महीने के अन्दर हम कोई बड़ा भारी बदलाव उस ढांचे में कर दें जिसे आप २० साल से खराब करते रहे । २० साल के अन्दर जो कूड़ा कचड़ा भर गया है, प्रदेश भर में, गन्दगी भर गयी है उसमें झाड़ू लगाकर गन्दगी को निकालने में कम से कम २० महीने तो लगेंगे ही । उसके पश्चात् ही हम अपनी नीतियों को चला सकेंगे ।

आपने २० साल में हरिजनों के लिए उतना ही किया जितना कि राजनीतिक रूप में आप उनसे वोट प्राप्त कर सकें । आपने उनको चिपकाए रखा ताकि उनमें कोई आत्म सम्मान पैदा न हो और वे कोई बात सोच न सकें । जिला परिषद् में आपने हरिजनों को नामिनेट कर दिया लेकिन उनके लिए सीट सुरक्षित नहीं की । अगर ऐसा करते तो उत्तम हरिजन चुन कर आते । आपने उन लोगों को नामिनेट किया था जो आपके पीछे रहते, आगे बढ़ न सकते । (शोरगुल) सत्य कड़ुआ होता है । मेरे अन्दर इतनी बुद्धि नहीं है कि उस कड़वे सत्य को मीठा बना कर, उसकी घुट्टी बना कर आपको पिला दूं । आपने बरेली में तीन हरिजन छात्रावास बनाने के लिए १० हजार प्रति छात्रावास के हिसाब से रुपया दिया लेकिन एक भी छात्रावास नहीं बना और वहां के मैनेजर उस रुपए को खा गए ।

मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । हरिजनों की आज समस्या आर्थिक उतनी नहीं है जितनी कि सामाजिक है । जो हमारे अन्दर छुआछूत का भेदभाव घुसा हुआ है उसे दूर होना चाहिए और उसके लिए अन्तरजातीय विवाह होने चाहिए और जो लोग हरिजनों के साथ अन्तरजातीय विवाह करें उनको गजेटेड पोस्ट्स दी जायं तभी हरिजनों का कल्याण होगा । २० साल में उधर के लोगों ने हरिजनों का कल्याण नहीं किया, अपना कल्याण किया । हम प्रैक्टिकल हैं । मानसिंह हमारे साथी हैं, उनका हमने अन्तरजातीय विवाह कराया । जब तक सामाजिक स्तर ऊंचा नहीं उठेगा, और वह उठेगा, जब अन्तरजातीय विवाह होंगे वरना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

नहीं उठेगा। दिन भर हम चाय पीते हैं, खाना खाते हैं तो कोई बात नहीं है लेकिन जब विवाह, शादी की बात आती है तो जाति और उपजाति को देखते हैं कि कौन अग्रवाल है, कौन जायसवाल है। इसलिए इस कुरीति को दूर करने का यही एक उपाय है।

दूसरी बात यह है कि मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। एक सुझाव मैंने माननीय सीताराम जी को भी दिया था और जहां तक उनसे हो सका उन्होंने उस पर कार्य करने की कोशिश की। इसमें कोई शक नहीं है। एक सुझाव यह है कि जिला परिषदों के जो जूनियर हाई स्कूल हैं, उनमें हरिजन और पिछड़ी जातियों के बच्चे तालीम पाते हैं, उनको वजीफा उसी तरह से दिया जाय जिस तरह से कि गवर्नमेंट कालेजों तथा स्कूलों के अध्यापकों के बच्चों को दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि उसी कमेटी के द्वारा दिए जायं। आचार्य जुगलकिशोर कमेटी तथा हरिजन समिति ने भी यही सिफारिश की थी। आज यह होता है कि जिला परिषदों को हम रुपया दे देते हैं और वह रुपया कुछ खास लोगों को दे दिया जाता है। अब आप सोचिये कि शहर में जो स्कूल हैं उनमें हरिजन लड़के तालीम पाते हैं तो उनको ७-८ रुपए मिलते हैं और जिला परिषदों के जूनियर हाई स्कूलों में जो हरिजन तथा पिछड़ी जाति के लड़के तालीम पाते हैं उनको रुपया, डेढ़ रुपया मिलता है। यहां तो १०० रुपए पाने वालों के बच्चों को वजीफा मिल जाता है। लेकिन देहात में जहां आवश्यकता है, जो किसान हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं और उन्होंने अगर अपने बच्चे का नाम लिखा दिया तो उसको वजीफा नहीं मिलेगा। उन लोगों के लिए इस वर्ष छात्रवृत्ति दिलाने का प्रबन्ध करें।

श्री धर्मवीर--

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी इस अनुदान के सम्बन्ध में सत्तारूढ़ दल के कई माननीय सदस्यों के विचारों को मैंने सुना। मैंने प्रयास किया उनकी भावनाओं के अन्दर जाने का तो यह बात स्पष्ट जाहिर हुई कि उनके दिल और दिमाग में इस बात का दर्द जरूर है कि हरिजन और बैकवर्ड जातियों का उत्थान होना आवश्यक है। मैं भी चाहता हूं, मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन व्यवहार, और सिद्धांत में जो फर्क स्थापित किया गया है और हमारे हरिजन भाइयों के लिए जिस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया गया है और हमारे सदस्यों को जिस तरह से गुमराह किया गया है उससे वे उसको समझ नहीं सके। माननीय उपमुख्य मन्त्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि कटौती की है, फिर भी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि बजट बढ़ा दिया गया है। मुझे उनकी बुद्धि पर कुछ नहीं कहना है। मैं उपमुख्य मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा माननीय गंगवारजी ने कहा कि जनसंघ के घोषणा-पत्र को देखिए और उसी के अनुसार २२ हरिजन तथा पिछड़ी जाति के सदस्य चुनकर आए हैं। यह गोरखधंधा हमें न समझाइए। यह आपकी मेहरबानी नहीं है, अगर आपकी चलती होती तो एक भी हरिजन सदस्य चुनकर न आता। यह तो इन कांग्रेस नीतियों एवं रिजर्वेशन का परिणाम है, पूज्य डाक्टर अम्बेदकर के प्रयत्नों का फल है कि आज हरिजन सदस्य यहां चुन कर आए हैं। इधर से और उधर से प्रतिक्रियावादी एवं साम्प्रदायिक शक्तियां जो कभी बरदाश्त नहीं कर सकता पद-दलित वर्ग का आगे बढ़ना, उन्होंने हमेशा कुचला है, दबाया है, उस हाथ को जो हाथ उनको आगे बढ़ाने के लिए उठा। स्वामी दयानन्द सरस्वती पैदा हुए, उन्होंने हरिजनों को उठाने का प्रयत्न किया, उनको १४ बार जहर दिया गया। राष्ट्रपिता पूज्य बापू ने आन्दोलन शुरू किया--हरिजन और पद-दलितों को उठाने के लिए, हिन्दू मुसलमानों की एकता के लिए, उनको गोलियों से भेदा गया। यह हैं प्रतिक्रियावादी शक्तियां। "वह क्या जानें पीर पराई, जिनके फटी न पैर बेवाई"। मैं दावे के साथ कहता हूं कि राज्य सभा के चुनाव में (विधान परिषद्) यह श्री कुरील की जीत और मानसिंह की हार नहीं है, यह इस सरकार की अलोकप्रियता एवं दकियानूसी बजट का परिणाम है। आप अपनी नीतियों को देखें। हम तो चाहते हैं कि आओ, आगे क्रान्तिकारी कदम उठाओ और इस देश के हरिजनों, को पद-दलितों को उठाओ। यह इस देश की सबसे बड़ी सेवा होगी। आपने कहा कि जो हरिजन

चुन कर आ गए यह किस का परिणाम है ? कांग्रेस की सद्भावना और नीतियों का परिणाम है। जिला परिषद् में पिछलग्गू लोग चुने जाते हैं।

मैं माननीय गंगाभक्त सिंह से पूछना चाहता हूं कि कोआपरेटिव में उन्होंने नामिनेशन किए हैं, कितने हरिजनों को उन्होंने नामिनेट किया ? आपने बजट देखा। मैं उन समाजवादी भाइयों से कहूंगा जो उस तरफ बैठे हैं, वह देखें कि इस बजट में हरिजनों की कितनी ही सेवाओं को समाप्त कर दिया गया। उन ग्रांटों को काट कर डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब कोई और नयी योजना उनके स्थान पर रखते तो मैं समझ सकता था। उधर से कहा जाता है कि इन हरिजनों ने कांग्रेस को बहुत सपोर्ट किया, अब मौका आ गया है इसीलिए इनका अनुदान समाप्त कर दिया गया है। हम को धमकी दे रहे हैं और आप हम से सहयोग लेना चाहते हैं। सहयोग प्यार और मुहब्बत से मिलता है। हम तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हैं, आप हमारी बातों को मानें। आप इस दकियानूसी ग्रांट को पास करवाना चाहते हैं। आपकी भावनायें क्या हैं हमें मालूम हो गयी है। हम तो विरोधी दल के हैं ही। लेकिन माननीय देवीदीन ने एक बात कही हम २० साल की बात नहीं करना चाहते, हम तो तीन महीने की बात कहना चाहते हैं कि इस सरकार ने क्या किया, जिस दरोगा के कत्ल का जिक्र किया गया उसकी दास्तान सुनें। एक आठ वर्ष की हरिजन बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। उसको पकड़ने के लिए दरोगा गए। तो दरोगा ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया यह तो तुम्हारी बेटी के बराबर है, तो वह जवाब देता है कि जब तक मैं दो तीन लड़कियों के साथ न करलूं मुझे चैन नहीं आता। दरोगा उसे गिरफ्तार कर लाए। रात को दरोगा और उनकी पत्नी सो रहे थे, उस वक्त बल्लमों से खत्म कर दिया। यहां प्रश्न किया गया कि इस सम्बन्ध में कार्यवाहियां हुयीं ? तो जवाब दिया गया कि जनहित के दृष्टिकोण से नहीं बता सकता। इस तीन महीने के शासन में हमारा एक नौजवान शंकर राव, जिसने मेहतर भाइयों की मांग के लिए हड़ताल किया था, उसको दिन-दहाड़े गोली से मार दिया जब यहां सदन में प्रश्न किया गया तो माननीय मुख्य मन्त्री कुछ न कह सके। उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि शंकर राव के कातिल कौन हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि सभी हरिजन कांग्रेस के कार्यों से पूर्ण संतुष्ट रहा, जो हरिजनों के साथ हुये बहुत कुछ हुआ लेकिन दुख की बात यह है कि जो हम आपसे उम्मीद करते थे वह भी छीन लिया।

मैं भाई उग्रसेन से कहूंगा कि वह डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बात करें और बात करके हरिजनों की ग्रान्टों में जो कटौती की गई है, उसे आप पूरा करायें। हरिजन ग्रान्ट में चन्द लाख की जो कटौती की गई है, मैं नहीं समझता हूं कि उससे सरकार कौन सा बड़ा भारी काम कर लेगी। आप हरिजनों के हृदयों को टटोलें, आप उनकी आहों को सुनें, गरीब की आह में भी बड़ी शक्ति होती है, उसे आप पहचानें और जो कटौती हुई है उसे पूरा किया जाय। भाई उग्रसेन जी और देवी दयाल जी, मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप इस कटौती को खत्म कराइये वरना आप इस मंत्रिमंडल को लात मारकर बाहर आइये, हम आपका स्वागत करने को तैयार हैं। (व्यवधान)

मैं यह तो मानता हूं कि कांग्रेस काल में भी जुल्म हुये हैं, लेकिन हमें आपसे कुछ अपेक्षा थी लेकिन आपने तो हमें और खड्ड में डाल दिया है। अभी कई माननीय सदस्यों और आचार्य दीपंकर जी ने महिलाओं और हरिजनों के ऊपर अत्याचार का जिक्र किया है। आप हरिजन समाज की ओर और महिला समाज की ओर ध्यान दीजिये। यदि आपको देश का उत्थान करना है तो उसके लिये नारियों और हरिजनों का उत्थान प्रथम सोपान है, बिना इसके आपका यह स्वप्न कभी पूरा नहीं हो सकता है। नारी मां के तुल्य है, किन्तु उस पर आपके ३ महीने के शासन काल में लाठी चार्ज किया गया और पी० ए० सी० की बटालियन उनकी कोखों को रौंदते हुये निकल गई। आज वह अभी तक हड़ताल कर रही हैं और हमें दुःख है कि हमारे मुख्य मंत्री

[श्री धर्मवीर]

जी कहते हैं कि हम उनकी बात को सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं कहे देता हूं याद रखो, नारी का अपमान तुम्हें जिन्दा नहीं रक्खेगा, देश को जिन्दा नहीं रखेगा। आपको सभी जातियों के बीच सद्भावना व प्यार का वातावरण पैदा करना चाहिये, उनमें भारतीयता और राष्ट्रीयता का भाव भरना चाहिये, और आपको उनमें यह भावना पैदा करनी चाहिये कि कर्म के अनुसार जातियां होती हैं, जन्म से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। आचार्य दीपंकर ने और देवीदयाल जी ने बताया कि नौकरियों में चुनाव कम्प्टीशन के आधार पर होता है, लेकिन हम कहां आपसे कम्पीटीशन कर सकते हैं। उन्हें तो विशेष सुविधायें मिलनी चाहियें, किन्तु खेद है कि उनके लिये जो स्पेशल प्राविजन देने की बात थी वह तो दूर रही, जो था भी उसे आपने हटा लिया। यह आपको शोभा नहीं देता और इसके लिये आपको देश की जनता कभी क्षमा नहीं करेगी। मैं उधर के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि उनकी मांग पूरी कराइये तभी मैं इस बजट का अनुमोदन कर सकता हूं। कांग्रेस शासन काल में ही एक बुनियादी शुरुआत हुई थी समाज में फैली इस विषमता को मिटाने के लिये, जो खाई आपने हमारे बीच में डाल दी थी। हम तुम्हारे राम और कृष्ण को पूजें, गंगा और हनुमान की आराधना करें, और उसके बाद भी हमें आप छाती से न लगा सकें, भाई न बना सकें तो यह विडम्बना कहां तक चलने वाली है। पूज्य महात्मा गांधी ने इस विषमता को दूर करने का प्रयास किया और इसके लिये उन्होंने त्याग और तपस्या का आदर्श समाज के सामने प्रस्तुत किया। मैं नहीं कहता कि उनके प्रयास से कोई विशेष सुधार हुआ है, लेकिन आपको उनके प्रयासों की सराहना अवश्य करनी चाहिये। हमारे में से जगजीवनराम पैदा हुये हैं, और अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष, संजीवैय्या पैदा हुये हैं, और हमारे में से श्री कामराज पैदा हुये हैं। किन्तु कांग्रेस के अलावा कोई ऐसी पार्टी देश में नहीं है जो उच्च पदों पर, अखिल भारतीय स्तर के पदों पर हरिजनों को अपने नेता का पद दे सकें। आप ढिंढोरा चाहे जितना ही पीटें, लेकिन कभी ऐसा कर नहीं सकते हैं। (लाल बत्ती होने पर) अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त करना चाहूंगा, एक बात मैं नौकरियों के रिजर्वेशन के बारे में कहना चाहता हूं। १८ प्रतिशत रिजर्वेशन का कोटा तो पहले ही पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आप की सरकार तो बड़े-बड़े क्रान्तिकारी कदम उठाने के नाम पर आई थी लेकिन जो कर्मचारियों को हटाना और बदलना शुरू किया है, उसके भुक्तभोगी कौन हैं? हरिजन भी हैं, यह अत्याचार उन पर भी हुआ है। उन हरिजनों को सस्पेंड किया गया। उनके साथ उनकी बात सुनने तक की रियायत नहीं की गई। जब हरिजनों ने अपने काम के लिये प्रार्थना-पत्र दिये तो बड़े बड़े एस० पी० और डी० एम० ने कह दिया कि जिलों के अन्दर ये किसी इक्जीक्यूटिव पोस्ट के काबिल नहीं हैं। इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया। मैं नहीं चाहता था कि इस प्रकार से यहां पर कोई बात कहूं लेकिन जब हरिजनों के लिये ढिंढोरा पीटा जाता है कि यह किया, वह किया तब मैंने बताया कि इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है गैर कांग्रेसी सरकार में।

अभी हरिजन डिपार्टमेन्ट में एक असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट का प्रमोशन होने वाला था। १९ साल की उनकी सर्विस थी। वह अकेले ही उस विभाग में काम करने वाले हरिजन असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट थे। जब उनके प्रमोशन का मौका आया तो उनको सुपरसीड कर दिया और दूसरे को वह चांस दे दिया गया। उनकी नौकरी और सर्विस रोल का खयाल न करके उनको सुपरसीड किया गया। इसी प्रकार से हरिजन कल्याण विभाग के बारे में मैं कहना चाहता हूं। निदेशालय, समाज कल्याण विभाग की वार्षिक ६६–६७ रिपोर्ट के २१ पृष्ठ पर प्रोग्रेस के विषय में डेवलपमेन्ट बताया गया है लेकिन ६७–६८ के बजट में उसके लिये धन की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है। इस पर भी आप यह कहना चाहते हैं कि यह क्रान्तिकारी बजट है। आप हमको गुमराह करना चाहते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। हम इससे गुमराह नहीं हो सकते हैं और न जनता इससे गुमराह हो सकती है। मैं तो चाहता था कि इस ग्रान्ट पर डिवीजन हो और सब अपना मत जाहिर करें लेकिन मैं जानता हूं कि अगर जो भी मेरी आवाज को सुनेगा तो इस बजट का समर्थन नहीं करेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि जनता के सामने इस बजट

की बातों को रखा जाय तो वह एक मिनट भी इस सरकार को यहां पर ठहरने नहीं देगी। इन शब्दों के साथ में अपने कटमोशन को सदन के समक्ष रखता हूं कि वह इसको स्वीकार करे।

*श्री राम प्रकाश—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बजट के अनुदान प्रस्तुत करते समय यह सोचा था कि हरिजन और समाज कल्याण ऐसे विषय हैं जिन पर गम्भीरता से विचार करना उपयोगी होगा और जो समस्या है उस समस्या की गहराई में माननीय सदस्य जायेंगे परन्तु श्रीमन्, मुझे बहुत दुख है कि इस अनुदान को भी राजनैतिक अखाड़ा बनाने का प्रयत्न किया गया। सोचना तो यह है कि जो खुद ही कांच के मकान में बैठा हो और पत्थर फेकने की कोशिश करता हो तो यह उचित नहीं होता। मैंने इस अनुदान के विषय में आक्षेप नहीं किया था लेकिन अब क्योंकि कुछ आक्षेप करने का प्रयत्न उधर से किया गया तो उनका जवाब देना होगा। मुझे आश्चर्य है कि माननीय धर्मवीर या अन्य साथी सदस्यों ने बड़े जोर से कहा कि इस सरकार ने इस अनुदान में कटौती क्यों कर दी? लेकिन पिछले साल सरकार ने इस अनुदान को खर्च क्यों नहीं किया इस पर एक भी शब्द किसी ने नहीं कहा। जनता को धोखा देने के लिये लिख दिया कि इतना धन दिया। इस अनुदान को रख तो दिया गया लेकिन खर्च नहीं किया गया उस अनुदानों पर....

श्री धर्मवीर—

मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं.....।

श्री अध्यक्ष—

यह संसदीय प्रथा है कि कोई भी इन्ट्रप्शन की मांग कर सकता है। माननीय मंत्री जी उसको मानें या न मानें। और वह बैठ जाते हैं तो वह बोल सकता है अन्यथा नहीं बोल सकता है।

श्री धर्मवीर—

मैं अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि अभी उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने बीस साल के शासन काल में उनके लिये इतना खर्च क्यों नहीं किया। उन्होंने नहीं किया, न सही, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप ने क्यों नहीं किया? इस का आप जवाब दें।

श्री राम प्रकाश—

इस तरह प्रश्न और उत्तर से काम नहीं चलेगा। जो स्थिति है उस का आपको सामना करना पड़ेगा। पिछले वर्ष कटौती करते समय हरिजन कल्याण की सारी योजनाओं को समाप्त क्यों कर दिया गया इस प्रश्न का उत्तर उधर से नहीं दिया गया और इस वर्ष की जो आयोजना है उस योजना में केवल ७, ८ लाख रुपये का अंतर है, लेकिन पिछले वर्ष जो हमारी सरकार ने कटौती की, जैसा कि मैंने पहले पढ़ कर सुनाया था, वह कटौती ४२ लाख रुपये की है। यह रुपया हरिजन कल्याण विभाग के लिये निश्चित किया गया था जो पिछले वर्ष खर्च नहीं किया गया। अगर इस वर्ष उस के मुकाबले में केवल ८ लाख रुपये के अनुदान की व्यवस्था नहीं है तो उस के लिये इतना बड़ा शोर क्यों मचाया जा रहा है।

मैं श्रीमन्, यह भी कहना चाहता हूं कि गृह निर्माण योजना के बारे में कुछ सवाल किये गये। मैं विस्तार में नहीं गया था, परन्तु विस्तार में जाने की आवश्यकता है। पिछले वर्ष यह जो पुस्तक छाप कर दी गयी है उत्तर प्रदेश में हरिजन कल्याण योजना, इसके बारे में....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डाक्टर सीताराम (जिला देवरिया)—

हाउसिंग में, प्लानिंग में, इंडस्ट्रियल ग्रान्ट में, किसी में भी हरिजनों के लिये कोई व्यवस्था नहीं है जो कि हरिजनों के लिये होना चाहिये । इसलिये हम इस बात क विरोध में वाक आउट करते हैं ।

(विरोधी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राम प्रकाश—

सच्चाई कदाचित् कड़वी होती है । उस का सामना करने का साहस हमारे मित्रों में नहीं है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य सदन की गरिमा को सुरक्षित रखें । शान्त रहें ।

श्री राम प्रकाश—

श्रीमन्, गृह निर्माण योजना पर १९६५–६६ में ६ लाख ५० हजार रुपये की व्यवस्था थी और उस में ६ लाख ५० हजार रुपया खर्च भी हुआ था लेकिन १९६६–६७ में गृह निर्माण क लिये कोई प्राविधान नहीं किया गया । पिछली सरकार ने भी गृह निर्माण योजना में राज्य सरकार की योजना के अन्तर्गत कोई प्राविधान नहीं किया और श्रीमन्, जो ४ लाख रुपया केन्द्रीय सरकार की योजना के अन्तर्गत इस के लिये रखा गया था उस में से एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया जब कि इस वर्ष जो बजट प्रस्तुत किया गया है. . . . .

श्री धर्मवीर—

आप की बात मैंने मानी, लेकिन मेरी अपील के बावजूद भी हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बजट को पास कराना चाहते हैं जिस का मुझे खेद है और इस वजह से म अपना अलग से वाक आउट कर रहा हूं ।

(श्री धर्मवीर ने सदन का परित्याग किया ।) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें । उन्हें किताबें समेटने में देर लगी इसलिये उन्होंने अलग से अपना भाषण दे दिया ।

श्री राम प्रकाश—

तो श्रीमन्, मैं बताना चाहता हूं कि इस वर्ष गृह निर्माण योजना के लिये पिछले वर्ष जो चार लाख की व्यवस्था की गयी थी उसके बजाय बजट में ५ लाख की व्यवस्था की गयी है और श्रीमन्, मैंने पहले ही कह दिया था कि कुटीर उद्योग और आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में जो ४, ५ लाख रुपये की व्यवस्था पिछले वर्ष रखी गयी थी वह व्यवस्था इस साल पिछली सरकार की कटौती के कारण से बजट में नहीं आ पायी, लेकिन हम ने पहले ही उस के लिये आश्वासन दे दिया कि यह योजनायें पूर्ववत् चालू रहेंगी और इनके लिये सप्लीमेंटरी बजट में व्यवस्था की जायगी ।

श्रीमन्, और कुछ प्रश्न माननीय मित्रों ने उठाये हैं । अब मैं कुछ सुझावों के बारे में चर्चा करूंगा । एक सुझाव यह था कि हरिजन सहायक समितियों में जन प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होनी चाहिये । श्रीमन्, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि उन समितियों में सभी विधायक प्रतिनिधि के रूप में पहले से हैं । केवल शिक्षा समिति को अलग करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में सभी लोगों को छात्रवृत्तियां देने का प्रयास होता है इसलिये कोई पक्षपात की गुंजायश नहीं है और उस काम के लिये दूसरी समिति बना दी गयी है । पर यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो उसमें भी उनको प्रतिनिधित्व दिया जायगा । श्रीमन्, जो सेवाओं में १८ परसेन्ट

प्रतिनिधित्व करने के बारे में लोक सेवा आयोग में एक हरिजन बन्धु की नियुक्ति के बारे में बड़ा प्रश्न उठाया गया, उसमें यह आरोप लगाया गया कि वे आई० जी० बनने वाले थे और न बनाने के उद्देश्य से उनको इस स्थान पर भेजा गया । लेकिन मेरे पास सीनियारिटी लिस्ट है और जो वर्तमान आई० जी० हैं उनसे ३६ आदमियों के बाद जिनकी नियुक्ति की गयी है उनका नम्बर आता है । इस प्रकार से माननीय सदन को गुमराह करने क लिये झूठे आरोप लगाने का प्रयास किया जाता है । जिनकी नियुक्ति की गयी है, वह उनकी इच्छा से की गयी और केवल इस उद्देश्य से की गयी कि जो मंतव्य पिछले २० वर्षों में पूरा नहीं हो पाया है उसको पूरा करने के लिये हम ठीक प्रकार से कोशिश कर सकें और मुझे विश्वास है कि इस उद्देश्य की पूर्ति शीघ्र हो जायगी ।

और कुछ सुझाव दिये गये हैं । एक कमीशन नियुक्त करने के बारे में माननीय जवाहरलाल जी ने रखा था । वैसे हरिजन जातियाँ के प्रतिनिधित्व के बारे में एक कमेटी मुख्य मंत्री जी ने बनायी है और १५ तारीख को उसकी बैठक हो रही है, वह स्थायी समिति है । वह निरन्तर ध्यान देगी कि अनुसूचित जातियों का परसेंटेज सेवाओं में बढ़ता रहे । फिर भी जो कमीशन की मांग है उस पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और संभव है कि उसके बारे में शीघ्र निर्णय हो जाय ।

एक और विषय आया था कि अनुसूचित जातियों के बारे में और समाज कल्याण की योजनाओं के बारे में हमने विचार किया लेकिन जो पिछड़े वर्ग हैं, जो बीच में आते हैं उनके बारे में कोई व्यवस्था नहीं है । परन्तु श्रीमन्, छात्रवृत्तियों के लिये पिछड़ी हुई जातियों के लिये विशेष व्यवस्था बजट में हमेशा से रही है और इस वर्ष भी वह की गयी है । तीन महीने से इस सरकार ने काम शुरू किया है, पर सही मानों में इसी सरकार ने पिछड़ी हुई जातियों और पिछड़े वर्ग के उपेक्षित समाज को महत्व दिया है, यह इस सरकार का जो स्वरूप है, उससे प्रकट होता है । इसलिये पिछड़ी जातियों के बारे में क्या सुविधायें दी जा सकती हैं, कौन से मार्ग हो सकते हैं इसके बारे में सरकार विचार करेगी ।

एक शक प्रकट किया गया कि पैसा कम होने के कारण छात्रवृत्तियों में शायद कमी हो जाय या जिनकी फीस माफ रही है उसमें कठिनाई पड़े । लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितनी भी सुविधाय अभी तक दी जा रही थीं चाहे हाई स्कूल के छात्रों के लिये हों, चाहे उसके ऊपर के छात्रों के लिये हों, हाई स्कूल के आगे पढ़ने वालों की जो केन्द्रीय सरकार व्यवस्था करती है तो उसकी व्यवस्था बजट में की गयी है, लेकिन जो हाई स्कूल तक राज्य सरकार व्यवस्था करती है उसमें भी किसी विद्यार्थी को कोई कठिनाई नहीं होने दी जायगी और जो आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था बजट में की जायगी ।

अब जो विषय दूसरे माननीय सदस्यों के लिये रखने थे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं तो इधर के ही माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा, पिछड़ हरिजन वर्गों का उत्थान और समाज कल्याण ऐसा विषय है जिस पर हमें बैठकर विचार करन की आवश्यकता है । और जो हरिजन कल्याण बोर्ड की स्थापना कई वर्ष पूर्व हुई थी उनमें जिन लोगों का नामांकन हुआ था, जब मैंने उनको देखा तो वे सभी ४५ आदमी कांग्रेस के थे, उनके अतिरिक्त एक भी और नाम नहीं था, सरकार अब उसको पुनर्गठित करने का विचार कर रही है ताकि उसमें सभी पार्टियों के लोग और जो हरिजन कल्याण म रुचि रखने वाले हों उनको उसमें रखा जाय । इन शब्दों के साथ मैं सदन से निवेदन करता हूं कि वह इस अनुदान को स्वीकृत करें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २९—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २९—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,५०,३२,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३०—समाज कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३६,८७,४०० रुपय से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१२ जुलाई, १९६७ ।

विधान सभा प्रदेश

# नत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ ७२८ पर)

## अनुदान संख्या २९—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां

| क्रम-सं० | प्रस्तावक का नाम | प्रस्ताव का रूप |
|---|---|---|
| १ | श्री राम दुलारे .. | संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य—सामान्य चर्चा और आलोचना। |
| २ | श्री काली चरण अग्रवाल | संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य—(१) प्रत्येक अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति के उत्थान पर चर्चा करना तथा सुझाव देना ।<br>(२) हरिजनों के आवास प्रश्न पर चर्चा करना ।<br>(३) कुछ अनुसूचित जातियों का जिनका पर्याप्त विकास हो चुका है, संरक्षण समाप्त कर दूसरी जातियों को अवसर देने पर चर्चा करना । |
| ३ | श्री धर्मवीर | संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य—हरिजनों को दी जाने वाली सहायता में कटौती का विरोध करना । |
| ४ | श्री रघुबीर सिंह .. | संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य—पिछड़ी जातियों के आधार पर आर्थिक सहायता न देने तथा बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट को कार्यान्वित न करने के विषय पर चर्चा करना । |
| ५ | श्री माता प्रसाद .. | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य—अनुसूचित जातियों के लिये पिछले कई वर्षों से मिलने वाले पेय जल, कूप, कृषि, कुटीर उद्योग, गृह निर्माण के अनुदानों को समाप्त कर देने की अन्याय पूर्ण नीति की आलोचना तथा लखनऊ पालीटेकनिक के अनुदान में कटौती, दसवीं कक्षा तक राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लिये दिये जाने वाले शिक्षा शुल्क और छात्रवृत्ति देने में अनिश्चितता की स्थिति, ३५ जिला हरिजन कल्याण अधिकारियों की सेवायें अधर में लटकाने और हरिजन विभाग को समाप्त कर शिक्षा विभाग में विलय करने की योजना की आलोचना करना । |
| ६ | श्री श्रीनाथ .. | संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपय कर दी जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य—नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना । |

| क्रम-संख्या | प्रस्तावक का नाम | प्रस्ताव का रूप |
|---|---|---|
| ७ | श्री सुक्खन लाल .. | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य—अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के प्रति उदासीनता तथा बजट में कटौती करके उत्थान को रोकने की सरकार की नीति की आलोचना करना । |
| ८ | श्री दशरथ .. | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य—(१) हरिजन उत्थान की नीतियों में आमूल परिवर्तन करना ।<br>(२) हरिजनों की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा मिटाना ।<br>(३) भूमिहीन हरिजनों में परती बंजर जमीनों का वितरण करना ।<br>(४) हरिजन उत्थान हेतु भवन निर्माण, पेय जल सुविधा, उद्योग आदि उत्थान कार्यों के लिये अनुदान की मांग करना ।<br>(५) कक्षा ६ से १० तक के हरिजन छात्रों में अनिवार्य रूप में छात्रवृत्ति वितरण करना । |
| ९ | श्री राम समझावन | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी की जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य—अनुसूचित और पिछड़ी जाति के संबंध में सरकार की नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना । |
| १० | श्री प्रभु दयाल .. | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी की जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य—पिछड़ी और अनुसूचित जातियों की शिक्षा की कमी पर ध्यान दिलाना । |
| ११ | श्री इन्द्र लाल तथा श्री गोपाल रामदास | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी की जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना । |
| १२ | श्री श्रीनाथ .. | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी की जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य—उद्धार तथा कल्याणकारी कार्यवाहियों को अधिक प्रभावकारी न कर सकने की आलोचना । |

## अनुदान संख्या ३०—समाज कल्याण

| क्रम-संख्या | प्रस्तावक का नाम | प्रस्ताव का रूप |
|---|---|---|
| १ | श्री श्रीराम तिवारी | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना। |
| २ | डाक्टर सीताराम | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—महिला मंगल योजना के समाप्त करने की नीति का विरोध करना। |
| ३ | श्री बीर बहादुर | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।<br>कमी करन का उद्देश्य—निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करना।<br>(१) युवक एवं युवतियों के कल्याणकारी कार्यों की दिशा में विशेष उदासीनता की ओर संकेत किया गया है।<br>(२) सामाजिक वातावरण को स्वस्थ बनाने के लिये उचित प्रयास नहीं किया गया। |
| ४ | डाक्टर सीताराम | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में एक रुपये की कमी की जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना। |
| ५ | श्री चन्द्रबली सिंह | समाज कल्याण के उपमद–ख—जिला प्रशासन के अधीन मांग की राशि में ४,००,००० रुपये की कमी की जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—ग्राम स्तर की महिला कर्मचारियों के कार्य-क्रम एवं प्रसार और महिला मंगल योजना की समाप्ति के फलस्वरूप जिला स्तर पर महिला मंगल की योजना की अनुपयोगिता की ओर ध्यान दिलाना और चर्चा करना। |
| ६ | डाक्टर सीताराम | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—समाज कल्याण की योजनाओं को प्रोत्साहन करने के स्थान पर उन्हें कम करने की आलोचना करना। |
| ७ | श्री चन्द्रबली सिंह | समाज कल्याण के उपमद–ख—जिला प्रशासन के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—ग्रामीण स्तर पर महिला मंगल योजना को खत्म करने की सरकारी नीति से ४।। हजार महिला कर्मचारियों, जिनकी सेवा की अवधि २० स २५ वष तक बीत गयी ह, की बकारी तथा बेसहारापन की ओर ध्यान खींचना और उसे पुनः चालू करने का सुझाव देना। |

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ६२ एल० ए०—१९६७—८४६।